उत्तराखण्ड शासन

सामाजार्थिक समीक्षा

कुमाऊँ मण्डल

वर्ष 2020–21

कार्यालय उप निदेशक,

अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या – 05946–293931

E – Mail - ddecostat@gmail.com

प्रस्तावना

कुमाऊँ मण्डल की वर्ष २०२०-२०२१ की सामाजार्थिक समीक्षा प्रकाशन श्रृँखला का ३९ वाँ संस्करण है। इसके अर्न्तगत मण्डल की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक संरचना, प्राकृतिक संसाधन, जनशक्ति एवं पशुधन, कृषि, उद्यान, सिंचाई, उद्योग, ग्राम्य विकास, विद्युत, परिवहन, संचार, पर्यटन एवं सामाजिक व आर्थिक सेवाओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है। पुस्तिका को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से विस्तृत आँकड़ों को अध्यायों के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

पत्रिका के प्रकाशन में मण्डल के समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारियों, जनपद के सम्बन्धित सहायकों, मण्डलीय कार्टोग्राफिक सहायक श्री हरीश चन्द्र भट्ट एवं मण्डलीय कार्यालय के अन्य सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में पत्रिका को ससमय प्रकाशित करने एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए जनपदों से त्रुटिरहित आंकड़े उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होता रहेगा। प्रबुद्ध पाठकों के बहुमूल्य सुझाव का सदैव आदर किया जायेगा।

(राजेन्द्र तिवारी)
उप निदेशक
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल ।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मण्डल का ऐतिहासिक परिचय / भौगोलिक स्थिति	1–4
2	खनिज सम्पदा	5–9
3	प्रशासनिक ढाँचा	10–11
4	जनसंख्या विवरण	12–13
5	कृषि	14–23
6	उद्यान	24–28
7	रेशम	29–30
8	सहकारिता	31–34
9	पशुपालन	35–41
10	वन	42–45
11	जल सम्पूर्ति	46–52
12	उद्योग	53–64

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
13	विद्युत	65–69
14	मार्ग परिवहन एवं संचार	70–71
15	पर्यटन	72–76
16	शिक्षा	77–82
17	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	83–86
18	बाल विकास	87–89
19	ग्राम्य विकास	90–96
20	प्रादेशिक विकास दल	97
21	दुग्ध विकास	98–103
22	मत्स्य विकास	104–106
23	बैंकिग सेवायें	107
24	समाज कल्याण	108–110
25	अक्षय ऊर्जा	111–112

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ0प्र0 के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28'7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78'7°से 81'1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमाऊँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी0 है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते हैं। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे–बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये है। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते हैं। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50–60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते हैं। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रूहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यह भाग सामान्य उतार–चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढ़ला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।

नैनीताल :– अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे–बड़े अनेक ताल हैं, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है। नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्त्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होनें ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल

शहर वर्ष 1841 में बसने लगा। इसके पहले यहाँ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊँ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने ''हिम्मला'' नामक पुस्तक में लिखा है कि वहाँ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि0 ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पाँच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटकों की आवाजाही रहती है।

अल्मोड़ा :– जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊँ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पाँच किमी0 लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

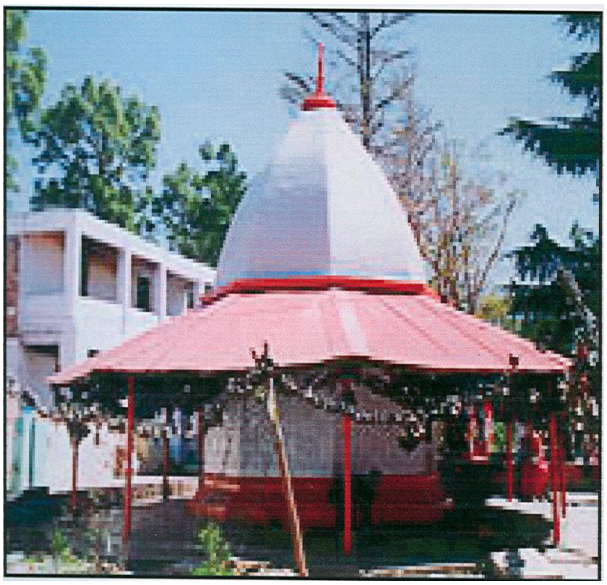

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग से ग्लेशियरों तक पहुँचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

बागेश्वर :– जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरूड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। देश–विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते हैं। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान हैं। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते हैं कि चन्दवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602 ई0 में पुनर्निर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया। इस मन्दिर में सातवीं शताब्दी से लेकर

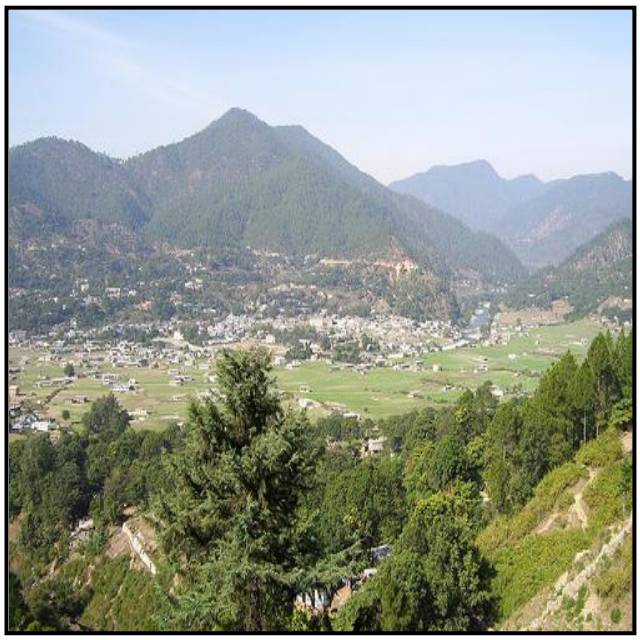

सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी–देवताओं के अलग–अलग मन्दिर हैं। प्रतिवर्ष माह जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी का मेला नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश–विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं।

ऊधमसिंहनगर :– जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रूद्र के किसी भक्त या रूद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रूद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगडंडियों से चलकर विशाल रूद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रूद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रूद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊद्यमसिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864–65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई । बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी0 परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उपनिवेश योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ0प्र0, गढ़वाल, कुमाऊँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रूद्रपुर। इसीलिए 20–25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :– जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती हैं। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात है। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लेशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

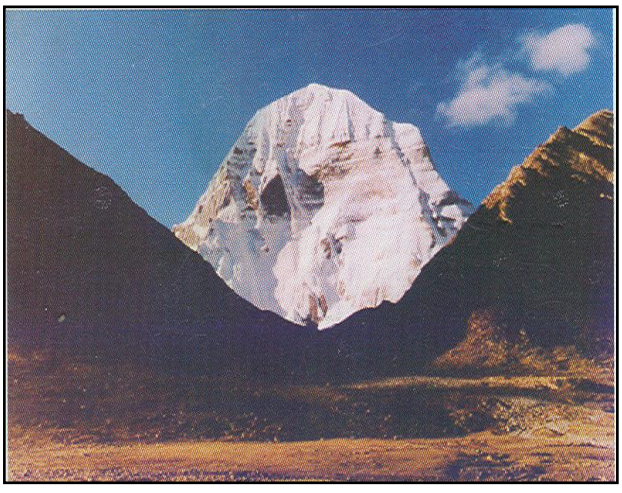

चम्पावत :– जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम बनबसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।

जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं–कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती हैं।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। माँ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते है, जनपद चम्पावत में ही स्थित है। जनपद चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरू गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय–समय पर मेले आदि लगते है। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2

खनिज सम्पदा

कुमाऊँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण शीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा है।

इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइड आदि पाया जाता है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यवसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यवसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार है। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थो के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

हिमालय क्षेत्र भूवैज्ञानीय दृष्टिकोण से अत्यन्त जटिल भू–संरचनात्मक क्षेत्र है। क्षेत्र की भूसंरचना इतनी जटिल है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न शोध संस्थाओं के भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में खनिजों की उपलब्धता एवं उनके भण्डारों के आंकलन हेतु विस्तृत अध्ययन एवं खनिज विकास तथा विनियमन हेतु उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का गठन किया गया है।

हिमालय क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय संरचना तथा भूमि के गर्भ में होने वाले प्लेट विवर्तनिक संक्रियाओं के सक्रिय होने से क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूमि धंसाव जैसे विनाशकारी घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं। जिनके विस्तृत अध्ययन से जन एवं धन की हानि को कमतर किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा भू–अभियांत्रिकीय कार्यो/दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किया जाता है।

हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के भी प्रमाण मिलते हैं जिनको चिन्हित कर विदोहन कराकर राजस्व प्राप्ति करने के उपरान्त प्रदेश को स्वावलम्भी बनाने में योगदान प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में उप खनिजों यथा बोल्डर, बजरी, बालू इत्यादि के अपार भण्डार हैं जिनके वैज्ञानिक विदोहन से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यों के कुशल सम्पादन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशिष्ट महत्ता है।

उत्तराखण्ड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अन्वेशण करना, उसका मूल्याँकन करना तथा वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये है जिससे राज्य के विकास के साथ–साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। उत्तराखण्ड राज्य में विभाग द्वारा खोजे/आँकलन किये गये खनिज सम्पदा के भण्डारों एवं नये खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाये तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

विभाग राज्य की समृद्धि बढ़ाने के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व वृद्धि एवं निर्माण कार्यों में योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग के मुख्य कार्य/दायित्व

- **खनिज अन्वेशण कार्य** – खनिज अन्वेशण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्यनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विष्लेशण, पेट्रोलोजिकल विष्लेशण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्यनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेशण का कार्य स्थगित है।

- **खनन प्रशासन कार्य –** खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। विभाग द्वारा खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

- **भू–अभियांत्रिकीय कार्य** – भू–अभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है।

- **पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना** – राजस्व बृद्धि तथा रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर राजस्व एवं वन क्षेत्र में उपलब्ध अधिक से अधिक उपखनिज क्षेत्रों की खोज/चिन्हित तथा आवश्यकतानुसार खनिज क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन कराया जाना।

- **खनन सर्विलांस योजना –** खनन परिवहन/अवैध सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑनलाईन किया जाना। गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेशण का कार्य स्थगित है।

विभाग के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

• विभिन्न खनिज अन्वेशणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।

• खनिजों के वैज्ञानिक विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये विदोहन हेतु शासन के निर्देशानुसार व्यवहारिक नीतियों को प्रस्तावित करना।

• विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।

• सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।

• खनिज विकास एवं अन्वेशण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।

• खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।

• खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।

• खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।

• क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।

• खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।

• क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।

• विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।

• खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।

• जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।

• खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।

• खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

• वार्षिक योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।

• विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।

• विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।

• खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें नियमानुसार पट्टे पर आवंटित किया जाना।

• प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक Surveillance युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं वेब एप्लीकेशन माइनिंग गार्ड का प्रभावी स्तर से क्रियान्वित किया जाना।

• खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना।

• राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेशण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/आंदान जमा कराये जाने के प्राविधान है। उक्त धनराशि से प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज किया जाना।

राज्य में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज

क्र0 सं0	खनिज	उपलब्धता (मिलियन टन में)	जनपदवार
1.	लाइम स्टोन	950	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
2.	डोलोमाइट	200	देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
3.	मैग्नेसाइट	180	बागश्वेर, चमोली, पिथौरागढ़
4.	सोपस्टोन	160	अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली, पिथौरागढ़
5.	फास्फोराइट	20	देहरादून, टिहरी गढ़वाल
6.	बेस मेटल्स	10	अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़
7.	बेराइट्स	--	देहरादून
8.	सिलिकासेण्ड	10000	उत्तरकाशी, देहरादून
9.	ग्रेफाइट	--	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौडी़ गढवाल
10.	स्लेट्स	--	उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़
11.	मारबल्स	--	देहरादून
12	नदी तल उपखनिज	--	राज्य के सभी नदी तलों पर

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

1. चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2021 तक खनिजों से कुल रू0 353 करोड़ का अर्जित किया गया।

2. खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु गठित जिला खनिज न्यास में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं, जिसमें माह दिसम्बर, 2020 तक कुल रू0 117.62 करोड़ जमा हुआ है, जिसके सापेक्ष जनपदों में विकास से सम्बन्धित कुल 583 योजनायें स्वीकृत की गई हैं, और योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग रू0 70.30 लाख का उपयोग किया जा चुका है।

3. राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेशण कार्यो हेतु पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/आंदान जमा कराया जाने के प्राविधान हैं। उपरोक्तानुसार माह जनवरी, 2021 तक उक्त कोश में रू0 3,67,227.00 की धनराशि जमा हो चुकी है। राज्य में खनिज भण्डारों के समुचित खोज हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

4. खनिज परिवहन/खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त खनन कार्यकलापों की समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान हैं।

5. चालू वित्तीय वर्श में खनन प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह जनवरी, 2021 तक कुल 1818 स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

6. चालू वित्तीय वर्श में भूअभियांत्रिकीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास से सम्बन्धित माह जनवरी, 2021 तक कुल 626 स्थलीय प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

7. राज्य में खनिज विकास, राजस्व वृद्धि, स्टोन क्रेशर आवंटन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 905/टप्प–1/2020/68–रिट/08 टीसी दिनांक 21 जुलाई, 2020 के द्वारा

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 का प्रख्यापन किया गया है।

8. अपेक्षित राजस्व अर्जन तथा रोजगार सृजन के दृष्टिगत नदी तल स्थित नाप भूमि में पट्टे स्वीकृत किये जाने के हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 200/VII-1/2020/31ख/17टीसी दिनांक 05 मई, 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 (संशोधन) का प्रख्यापन किया गया है।

9. अवैध खनन/परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, के अधिसूचना संख्या 906/VII–1/2020/158 ख–04 टीसी दिनांक 15 जुलाई, 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 प्रख्यापित की गयी।

वर्ष 2021–22 हेतु विभाग की रणनीति तथा प्रस्तावित कार्य योजना के मुख्य बिन्दु :

1. राज्य में बेसमेंटल तथा खनिज रॉक फॉस्फेट के चिन्हित खनन क्षेत्र में खनिज अन्वेशण कार्य हेतु भारत सरकार का उपक्रम MECL के साथ Bipartite Agreement किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

2. प्रदेश में खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति तथा रोजगार सृजन व अपेक्षित राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत जनपदों में राजस्व एवं वन क्षेत्र के अधिक से अधिक नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये उन्हें पट्टे पर आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

3. जांच अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण हेतु मोबाईल एप्लीकेशन तैयार किया जाना तथा परिवहन विभाग के ऑनलाईन साप्टवेयर से इन्टीग्रेट किया जाना।

4. खनन परिहार स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑन लाईन किये जाने हेतु ई–एप्लीकेशन तैयार किया जाना।

5. ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन का 2.0 वर्जन तैयार किया जाना।

6. प्रदेश में उपखनिजों के चुगान हेतु ऐसी नीतियों को तैयार किया जाना, जिससे पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये अधिक से अधिक राजस्व तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर प्राप्त हो सके।

7. खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। जिला खनिज न्यास (DMF) में जमा धनराशि से जनपदों में खनन प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक से अधिक विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमाऊँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है, जिनमें 52 तहसील, 10 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 18 नगर पंचायत तथा 3 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7457 ग्राम है। जिनमें से 279 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6921 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7305 है। जिसमें से 279 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6769 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3421 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 34 व नगरीय क्षेत्र में 37 तथा 02 जी0आर0पी0 है।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयॉ

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	तहसील
1.	अल्मोड़ा	1. स्याल्दे	1. स्याल्दे
		2. चौखुटिया	1. चौखुटिया
		3. भिक्यासैंण	1. भिक्यासैंण (आंशिक)
		4. ताड़ीखेत	1. रानीखेत (आंशिक)
		5. सल्ट	1. सल्ट
			2. भिक्यासैंण (आंशिक)
		6. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट
			2 रानीखेत (आंशिक)
		7. ताकुला	1. सोमेश्वर (आंशिक)
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)
		8. भैसियाछाना	1. .धौलछीना
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)
		9. हवालबाग	1. सोमेश्वर (आंशिक)
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)
		10. लमगड़ा	1. लमगड़ा
			2. जैती
		11. धौलादेवी	1. भनौली
			2. अल्मोड़ा (आंशिक)

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	तहसील
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
			2. काण्डा (आंशिक)
			3. दुग नाकुरी (आंशिक)
			4. बागेश्वर (आंशिक)
		2. बागेश्वर	1. काण्डा (आंशिक)
			2. दुग नाकुरी (आंशिक)
			3. बागेश्वर (आंशिक)
			4. कठपुड़ियाछीना
		3. गरूड़–बैजनाथ	1. गरूड़
3.	नैनीताल	1. रामनगर	1. रामनगर
		2. कोटाबाग	1. नैनीताल (आंशिक)
			2. कालाढूँगी
		3. रामगढ़	1. नैनीताल (आंशिक)
			2. कोश्याकुटोली (आंशिक)
		4. भीमताल	1. नैनीताल (आंशिक)
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट
			2. कोश्याकुटोली (आंशिक)
		6. धारी	1. धारी (आंशिक)
		7. ओखलकांडा	1. खनस्यूँ
			2. धारी (आंशिक)
		8. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी
			2. लालकुआँ
4.	ऊधमसिंहनगर	1. जसपुर	1. जसपुर
		2. काशीपुर	1. काशीपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. गदरपुर	1. गदरपुर
		5. रूद्रपुर	1. रूद्रपुर
			2. किच्छा
		6. सितारगंज	1. सितारगंज
			2. नानकमत्ता
		7. खटीमा	1. खटीमा
5.	पिथौरागढ़	1. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी
			2. बंगापानी (आशिक)
			3. तेजम
		2. धारचूला	1. धारचूला
			2. बंगापानी (आशिक)
		3. बेरीनाग	1. बेरीनाग (आशिक)
			2. थल (आशिक)
		4. डीडीहाट	1. डीडीहाट
			2. थल (आशिक)
		5. कनालीछीना	1. कनालीछीना
			2. देवलथल
		6. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट
			2. गणाई गंगोली
		7. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ (आशिक)
		8. मूनाकोट	1. पिथौरागढ़ (आशिक)
6.	चम्पावत	1. पाटी	1. पाटी
			2. लोहाघाट (आंशिक)
		2. बाराकोट	1. बाराकोट
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट (आंशिक)
		4. चम्पावत	1. चम्पावत
			2. श्री पूर्णागिरी

अध्याय - 4

जनसंख्या वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		**21034**	**4228998**	**2138287**	**2090711**	**201**	**978**	**78.52**

कुमाऊँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमाऊँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%, अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

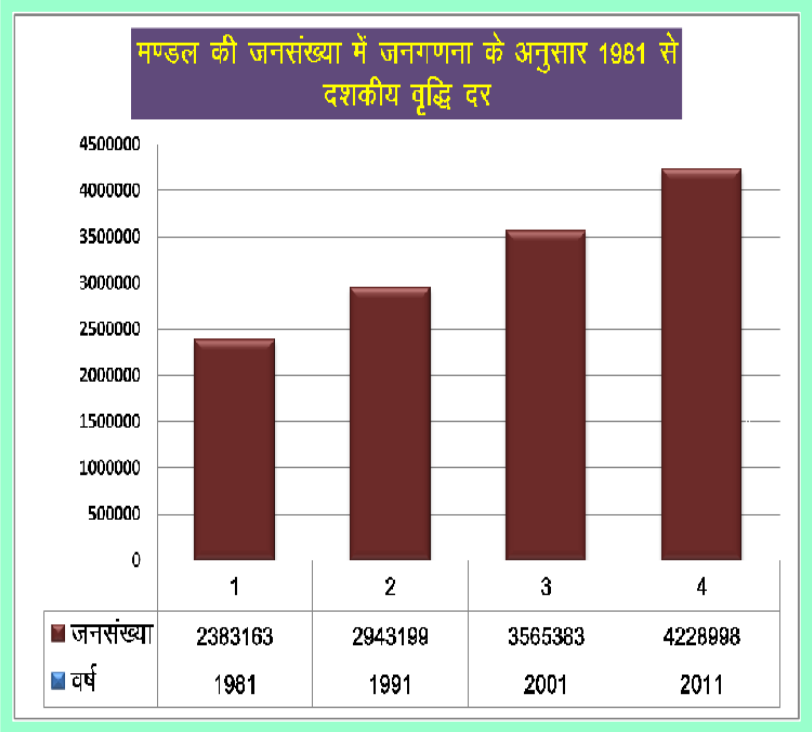

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा ऊधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू–भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरूष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरूष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते है, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।

खेत छोटे–छोटे तथा छिटके है, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विविधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिशकालीन भारत में सन् 1875 में की गयी। प्रारम्भ में विभाग का कार्य कृषि ऑकडे एकत्रित करना एवं कुछ आदर्श फार्म स्थापित करने तक सीमित था। सन् 1980 में इसे भूमि अभिलेख विभाग से सम्बद्व किया गया। कालान्तर में GOVERNMENT OF INDIA ACT 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिनांक 01.12.1919 से स्वतंत्र विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन 09 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि विभाग उत्तराखण्ड का पुर्नगठन किया गया। विभागीय विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में एकल खिडकी व्यवस्था के अर्न्तगत कृषि निवेश केन्द्र न्यायपंचायत स्तर पर स्थापित कर समस्त विभागीय कार्य न्यायपंचायत स्तर से सम्पादित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग का कार्य जनपद में कृषकों की जोत कृषि भूमि की मृदा का परीक्षण प्रयोगशाला में कर कृषकों को उनकी मृदा के बारे में जानकारी एवं मृदा सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्नतशील प्रजातियों के बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराता है। कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी प्रशिक्षण/फसल प्रर्दशन के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध करायी

जाती है। विभाग द्वारा दैवी आपदा एवं अन्य कारणों से कृषि भूमि के कटाव/क्षरण होने की स्थिति में चैक डैम, ब्रस्टवाल, स्पर आदि के माध्यम से कृषि भूमि की सुरक्षा करते हुए जल संरक्षण कार्य भी सम्पादित करता है। कृषकों के रोजगार क्षमता में अतिरिक्त वृद्वि हेतु विभाग द्वारा बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक का निर्माण कर सिंचाई क्षमता में वृद्वि करते हुए कृषकों को मत्स्य पालन करने पालीहाउस से सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करता है।

भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। 'तलाऊ' भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रवी, खरीफ जायद फसलें ऊगाई जाती है। फसलें जैसे आलू, प्याज अथवा सोयाबीन, जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है, नकदी फसलें उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते है। यह दो भागों में बाटी जा सकती है– 1. अव्वल 2. दोयम। अव्वल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती हैं उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षांत में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रवी में एक भू–भाग परती छोड़ना पड़ता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की आवश्यकता की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रदशर्नियों के आयोजन, बीज उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उत्पादन एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय किये जा रहे है।

<u>कृषि जोतों का आकार</u> :–

कृषि गणना 2015–16 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :–

कृषि गणनाः 2015–16
उत्तराखण्ड में जोत बर्गवार क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्षेत्रफल है० में

क्र. सं.	जनपद	उप सीमान्त (0.5 है0 से कम)		सीमान्त (1 है0 से कम)		लघु (1 है0 से 2 है0)		लघु एवं सीमान्त (2 है0 तक)	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	नैनीताल	20270	4979.513	32897	14143.703	9716	13595.067	42613	27738.770
2	उधमसिंहनगर	40758	9832.842	61401	24826.428	20180	28520.315	81581	53346.743
3	अल्मोड़ा	39246	11382.692	76258	38808.238	21490	29903.176	97748	68711.414
4	पिथौरागढ़	43261	12236.585	66686	28800.232	6063	8218.078	72749	37018.310
5	बागेश्वर	29837	8398.974	43959	18585.988	3381	4434.285	47340	23020.273
6	चम्पावत	14931	4684.642	25404	12583.996	5166	7513.075	30570	20097.071
कुमाऊँ मण्डल		**188303**	**51515.248**	**306605**	**137748.585**	**65996**	**92183.996**	**372601**	**229932.581**

कृषि गणनाः 2015–16
उत्तराखण्ड में जोत बर्गवार क्रियात्मक जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल

क्षेत्रफल है० में

क्र. सं.	जनपद	लघु एवं सीमान्त (प्रतिशत में)		कुल		जोत का औसत क्षेत्रफल
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	
1	नैनीताल	87.44	55.58	48733	49909.073	1.024
2	उधमसिंहनगर	79.23	37.23	102971	143298.073	1.392
3	अल्मोड़ा	95.61	85.30	102240	80555.454	0.788
4	पिथौरागढ़	98.65	92.87	73744	39859.546	0.541
5	बागेश्वर	99.62	97.72	47522	23556.717	0.496
6	चम्पावत	94.77	80.42	32257	24991.481	0.775
कुमाऊँ मण्डल		**91.44**	**63.49**	**407467**	**362170.344**	**0.889**

जहॉ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू–भाग में एक ओर तो जोतें छोटी है दूसरी ओर जोत के अर्न्तगत आने वाले खेत भी छोटे–छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2015–16 के अनुसार मण्डल की लगभग 63.49 प्रतिशत जोतों का आकार लघु एवं सीमान्त श्रेणी की है। एक है0 तक की जोतों के अन्तर्गत 38.03 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं, जबकि 25.45 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है0 क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, एवं दो है0 से अधिक जोतों के अन्तर्गत 36.51 प्रतिशत क्षेत्रफल हैं।

संख्यात्मक रुप से एक है0 तक क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या 75.24 प्रतिशत, एक से दो है0 के बीच क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या लगभग 16.19 प्रतिशत एवं दो है0 से अधिक क्षेत्रफल वाली जोतों की संख्या 8.55 प्रतिशत है। कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, सितारगंज जेल, हेमपुर आर्मी फार्म) स्थित है।

खरीफ क्षेत्राच्छादन वर्ष 2020–21	**नैनीताल**	**ऊधमसिंह नगर**	**अल्मोड़ा**	**पिथौरागढ़**	**बागेश्वर**	**चम्पावत**	**मण्डल योग**
धान	11960	99000	19000	20400	13700	7500	**171560**
मक्का	3605	0	2000	3870	500	500	**10475**
मडूवा	2815	0	36000	6940	4900	5030	**55685**
सावा	580	0	13000	940	480	2000	**17000**
रामदाना	67	0	186	115	200	0	**568**
उर्द/मूंग	2760	3000	2000	1890	960	2010	**12620**
अरहर	100	0	196	75	110	203	**684**
गहत	1253	0	4000	985	80	1005	**7323**
राजमा	0	0	10	970	45	202	**1227**
भटट	425	0	2304	2915	500	500	**6644**
सोयाबीन	8755	3100	806	1180	980	1500	**16321**

रबी क्षेत्राच्छादन वर्ष 2020–21	नैनीताल	ऊधम सिंह नगर	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	चम्पावत	मण्डल योग
तिल	0	0	204	38	5	0	**247**
अन्य	0	1000	0	0	0	0	**1000**
योग	**32320**	**105100**	**79706**	**40318**	**22460**	**20450**	**300354**
गेहूँ	22200	100734	39000	21200	18500	6983	**208617**
जौ	919	3	2200	3900	1540	590	**9152**
चना	375	8	100	55	50	80	**588**
मटर	1077	4800	22	180	12	29	**6091**
मसूर	405	325	1100	4530	1985	1673	**8345**
लाही/ तोरिया	578	7850	800	460	200	859	**9888**
योग	**25554**	**113720**	**43222**	**30325**	**22287**	**10214**	**242681**

1. केन्द्रपोषित योजनाः–

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

- **जैविक कार्यक्रमः–**जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत क्रमश 161, 187, 200, 110, 75, 75, वर्मी कम्पोस्ट, क्रमश 76, 0, 75, 50, 50, 50 नाडेप, क्रमशः 15, 30, 65, 40, 16, 18 प्रशिक्षण एवं क्रमशः 6,7,10,8,3,4 मास्टर ट्रेनरों के मानदेय के योजनान्तर्गत क्रमशः.रू0 17.58, 16.08, 25, 16.55, 9.44, 10.62 लाख व्यय किया गया।

- **एकीकृत बहुद्देशीय जल सम्भरण योजनाः–** इस योजना अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत में क्रमश 3, 1 बहुद्देशीय जल संभरण टैकों का निर्माण कराया गया जिसमें 35000 लीटर व 50000 लीटर की क्षमता के जल संभरण टैक निर्मित किए गए साथ ही पॉलीहाउस, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन का कार्य भी किया गया। जिसमें क्रमशः रू0 11.68, 2.52 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

➢ **घेरबाड़ योजना :–** जंगली जानवरों के कृषि फसल के बचाव हेतु जनपद अन्तर्गत घेरबाड़ योजना संचालित की गयी वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, चम्पावत में 6050, 523.48 मी घेरबाड़ का निर्माण कराया गया, जिसमें क्रमशः रू0 101.32, रू0 15 लाख की धनराशि व्यय की गई।

➢ **फसलोत्पादन (धान/गेहूँ) कार्यक्रम :– धान फसलोत्पादन** योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 160, 25, 70 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 31.2, रू0 1.5, रू0 10 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीज 54.75 कु0 कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में नैनीताल जिले में 2667.74, चम्पावत में 164.00 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। जल सम्भरण पाईप जनपद नैनीताल में 2000 मी0 एवं चम्पावत में 4000 मी0 अनुदान पर कृषको को वितरित किया गया। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत कुल रू0 42.70, लाख व्यय किया गया।

गेहूँ फसलोत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल 80 है0, अल्मोडा 60 है0 एवं चम्पावत में 60 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 44, 7.48, 5 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीज वितरण नैनीताल 80.00, कु0, चम्पावत 60.00 कु0 कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। जल संवहन पाईप के अन्तर्गत चम्पावत 4000 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत कुल रू0 56.50 लाख व्यय किया गया।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

➢ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल कार्यक्रम :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर 311 है0, अल्मोड़ा 160 है0, पिथौरागढ़ 193 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण क्रमशः 1076.00 कु0, 26.57 कु0, 22.00 कु0 कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। पादप तथा मृदा प्रबन्धन/पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमश 6078 है0, 4650 है0, 236 है0 क्षेत्रफल हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान कृषकों को अनुमन्य कराया गया। योजना के अन्तर्गत नैपसैक स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर वीडर, पम्प सैट आदि कृषियंत्र अनुदान पर वितरित किये गये। सिचाई हेतु जल सवंहन पाईप जनपद ऊधमसिंहनगर में 686 मी0, अल्मोड़ा में 918 मी0 एवं पिथौरागढ़ में 1262 मी0 अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया गया। योजना के अन्तर्गत 50000 ली0 क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंक (सामुदायिक) जनपद अल्मोड़ा में 01 एवं पिथौरागढ़ में 02 अनुदान पर टैंको का निर्माण कराया गया। इस प्रकार क्रमशः रू0 41.20, रू0 13.94, रू0 15.99 लाख रू0 व्यय किया गया हैं।

➢ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ कार्यक्रम :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कलस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 270.,00, 36.00, 190.00, 145.00, 45.00 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन का आयोजन किया गया तथा कृषि निवेश अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए। योजना के अन्तर्गत अधिक उपजायी प्रजातियों के बीज क्रमशः 332, 1182, 92, 94. 64 कु0 कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराये गये। सूक्ष्म तत्व वितरण/पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः 2166, 4006, 92.07, 43, 1197 है0 क्षेत्रफल हेतु निवेश 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराये गए। योजना के अन्तर्गत कृषियंत्र मानव चालित स्प्रेयर, पावर चालित स्प्रेयर, जीरो टिल सीड ड्रिल, पावर टिलर, पावर विडर, रिपर, रोटावैटर आदि 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को अनुमन्य कराया गया। योजना के अन्तर्गत सिचाई हेतु जल संवहन पाईप कुल 4103 मी0 कृषको को अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। 50 घन मी0/50000 ली0 क्षममा का जल सम्भरण टैंक का निर्माण जिला अल्मोड़ा में अनुदान पर कराया गया। इस तरह योजना के अन्तर्गत क्रमशः 38.98 रू0, 45.50 रू0, 13.49 रू0 ,14.587 रू0, 11.91 रू0 व्यय किये गये।

➢ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रमः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में दलहन कार्यक्रम के क्लस्टर प्रदर्शन मद में क्रमशः 40, 132 210, 140, 98, 85 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये तथा कृषि निवेशों हेतु धनराशि अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध करायी गयी। अधिक उपजदायी बीज वितरण मद में क्रमशः 61, 9, 18.42, 4.44 उन्नत बीज वितरण पर कृषकों को रू0 5000.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व वितरण अन्तर्गत क्रमशः 150, 3496, 155.27, 120.04, 380 है0 क्षेत्रफल हेतु कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कराया गया। कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषियंत्र, पावर वीडर, रोटावेटर सीडड्रिल आदि 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को वितरित किये गये। जल संवहन पाईप के अन्तर्गत क्रमशः 800, 240, 185, 0, 114,100 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः.रू0 3.99, रू0 3.34, रू0 0.95, रू0 1.42, रू0 0.8, रू0 1.4 लाख रू0 व्यय किया गया।

➢ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाजः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, में उन्नतशील प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन मद 0, 20, 10, 5, 10 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। बीज वितरण में क्रमशः 2.12, 4, 0, 6.57, 0 कु0 उन्नत बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार योजना में जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, में कमशः 1.25 रू0, 1.41 रू0, 0.45 रू0, 0.43 लाख रू0 धनराशि व्यय की गयी।

➢ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाजः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अना**ज** कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में उन्नतशील प्रजातियों के क्लस्टर प्रदर्शन मद क्रमशः 300, 90, 0, 80 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। बीज वितरण/सूक्ष्म तत्व वितरण/पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण/रिसोर्स कन्जरबेशन तकनीकी/ टूल्स वितरण किया गया। जनपद अल्मोडा एवं चम्पावत में दलहन तथा मिलेट्स के ग्रेड एवं प्रोसेस के लिए 1 De stoner cum grader cum cleaner/flaking machine/Roaster पर अनुदान दिया गया। इस प्रकार योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 27.3, रू0 7.397, रू0 5.7, रू0 9 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया।

➢ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना :–**इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ बागेश्वर एवं चम्पावत में क्लस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 30, 15, 15, 0, 10, 11 है0 क्षेत्र में तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये जिसमें अनुदान पर कृषि निवेश कृषकों को उपलब्ध कराये गये। योजनान्तर्गत नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपद में 8, 3, 2,1 ट्रैक्टर चालित यत्रं (पावर वीडर/रोटावेटर/जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टीक्राप थ्रेसर) पर रु 75000 अनुदान उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में जनपदवार क्रमशः रू0 3.99, रू0 3.34, रू0 0.95, रू0 1.42, रू0 080, रू0 1.4 लाख की धनराशि कृषकों को कृषि निवेश/यंत्रों/प्रशिक्षण इत्यादि मदों में अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए।

(स) नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट):–

i. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) :– योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

➢ **कस्टम हायरिंग केन्द्र :–**इसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 05, 17, 10 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गए, जिस पर 40 प्रति0 अनुदान के रूप में कृषकों/कृषक समूहों को उपलब्ध कराये गए।

➢ **फार्म मशीनरी बैंक :–** इसके अन्तर्गत कृषकों के समूहों का गठन कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसमें ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेसर, ब्रशकटर आदि यंत्रों के कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 28, 0, 37, 28, 0, 19 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गए एवं 80 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टिलर, मानव/शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र, थ्रैसर, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ब्रश कटर, मल्टी क्रॉप थ्रैसर इत्यादि पर भी अनुदान उपलब्ध कराया गया। योजनान्तर्गत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोडा, पिथौरागढ़, बागेश्वर,

चम्पावत में क्रमशः. रू0 367.94, रू0 293.43, रू0 345.36, रू0 263.64, रू0 8.59, रू0 133.49 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

ii. नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट–आत्मा):–

आत्मा योजनान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में वर्ष 2020–21 में क्रमशः 0, 28, 237, 1416, 3, 220 एक्सपोजर बिजिट आयोजन कराया गया एवं 0, 32, 48, 1, 20, 0 कृषक पुरूस्कार वितरित किए गए। कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 150, 229, 1060, 952, 195, 600 प्रदर्शन आयोजित किये गए एवं 24, 21 9, 24, 9, 12 फार्म स्कूल संचालित किये गए। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 34, रू0 93.49, रू0 108.58, रू0 104.80, रू0 42.83, रू0 60 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

iii. सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना :–

सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना खरीफ वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 27, 95, 64, 35, 24 न्याय पंचायतों में क्रमशः 49023 कु0, 553.69 कु0, 506.93 कु0 228.32 कु0, 226.73 कु0, 117.84 कु0 बीज अनुदान पर वितरित किया गया एवं तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गए। योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि कमशः 13, 9.44, 9.95, 8.415, 14.71, 2.80 लाख रू0 व्यय किये गये।

इसी प्रकार सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजना रबी वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 27, 95, 64, 35, 24 न्याय पंचायतों में क्रमशः 5249.8, 40487.5, 936.16, 2601.57, 3455.96, 731.76 कुन्तल बीज अनुदान पर वितरित किया गया। तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित कर कृषकों को लाभान्वित किया गया। योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि क्रमशः 19, 160.21, 14.93, 23.35, 11.53, 2.71 लाख रू0 व्यय किये गये।

(द) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशनः–

➢ **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :–** इस योजना में वर्षा आधारित क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि/कृषिवानिकी आधारित फसल प्रणाली/पशुपालन/दुग्ध आधारित फसल कार्यक्रम/उद्यान आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गये है। जिसमें सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदर्शन आयोजित कराये गये है, वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्लस्टरों में कृषकों को लाभान्वित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कृषकों को कृषि व रेखीय विभागों सम्बन्धी जानकारी हेतु, सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/भ्रमण आयोजित कराये गया। योजना के माध्यम से 220 मौन पालन (कालोनी) स्थापित की गयी तथा 16 साइलेज इकाई का निर्माण कराया गया साथ ही 36 वर्मी कमपोस्ट संरचनाओं का निर्माण भी कराया गया। उक्त योजना अन्तर्गत क्रमशः रू0 47.31, रू0 32.1, रू0 28.30, रू0 10.40, रू0 120.90 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

➢ **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना :–** उक्त योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण/विश्लेषण के महत्व व उपयोगिता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 3000, 2487, 1295, 350, 243, मृदा नमूना एकत्रीकरण/विश्लेषण के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 3694, 2487, 1295, 350, 243, नमूना एकत्रीकरण/विश्लेषण किया गया एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।

➢ **परम्परागत कृषि विकास योजना :–** परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 187, 8, 217, 200, 122, 125 चयनित कलस्टरों में जैविक कलस्टर बनाने हेतु योजना का क्रियान्वयन किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में क्रमशः रू0 351, रू0 19.46, रू0 392.5, रू0 540, रू0 227.234, लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में क्रमशः 187, 160, 217, 200, 122, 125 है0 क्षेत्र में क्लस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण कार्य किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में क्रमशः 187, 160, 217, 200, 122, 125 डी.बी.टी. के माध्यम से जैविक में परिवर्तन, ऑन फार्म एवं ऑफ फॉर्म निवेशों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन के रूप में दिये गए, जिस पर क्रमशः रू0 351., रू0 19.46, रू0 392 .रू0 540, रू0 227, रू0 234, लाख की धनराशि व्यय की गयी।

(य) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 45, 0, 28, 36, 3, 0 सामुदायिक सिंचाई टैंक, क्रमशः 7, 0, 0, 6, 0, 30 चैकडैम, क्रमशः 0, 0, 4, 30, 0, 27 डग आऊट तालाब, ऊधमसिंहनगर में 82 नलकूप, क्रमशः 4, 0, 7, 0, 0, 40 छत वर्षा जल सम्भरण टैकं निर्मित/स्थापित किये गए। जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में क्रमशः रू0 46.19, रू0 44.58, रू0 67.71, रू0 111.09, रू0 9.65, रू0 18.13 लाख व्यय किया गया।

(र) जागरूकता शिविर/कृषक गोष्ठी/ किसान मेला का आयोजनः– वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में समस्त न्याय पंचायतों में जागरूकता शिविरो/गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि व सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा सम्बन्धित जानकारियॉ दी गयी एवं कृषि निवेश वितरित किये गये। विश्व मृदा दिवस 5 दिसम्बर 2020 को कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में न्याय पंचायतों में शिविरो का आयोजन किया गया एवं कृषको को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये एवं विभागीय योजनाओ से सम्बन्धित जानकारियॉ दी गई।

2. राज्य सैक्टरः–

(क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :– इसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र, बीज मिनीकिट वितरण, पौध सुरक्षा रसायन वितरण एवं प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 20, रू0 15.22, रू0 40.00, रू0 19.91, रू0 15.00, रू0 10.00 लाख व्यय किया गया।

(ख) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम :– इसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ में बीज मिनीकिट वितरण, पौंध सुरक्षा कार्यक्रम, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्ति सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 35.00, रू0 45.5, रू0 19.5 लाख व्यय किया गया।

3. जिला योजना :–

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों में बीज मिनिकिट वितरण, कृषि यंत्र वितरण एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित कराये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. बीज मिनिकिट वितरण :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद चम्पावत एवं अल्मोड़ा के चयनित ग्रामों में क्रमशः 1375, 58 कृषकों को विभिन्न फसलों की अधिक उपजदायी नवीनतम प्रजातियों के बीज मिनी किट वितरित किये गये।

2. कृषि यंत्र वितरण :– इस कार्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत के चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों को कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार के मानव चालित बैल चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों यथा विवेक स्याही हल, पावर वीडर, पावर टिलर, मडुवा थ्रेसर एवं नैपसैप स्प्रेयर आदि का 80/50 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा तक अनुमन्य अनुदान पर वितरण कर क्रमशः 7, 30, 1735, 190, 152 500 कृषकों/कृषक समूहों को लाभान्वित किया गया।

3. अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :– इस कार्य मद के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि लाने एवं चयनित ग्रामों के कृषकों/कृषक समूहों की आजीविका में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुउद्देशीय टैकों का निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, गूल निर्माण एवं सुरक्षा दीवार आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कराकर वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चम्पावत में क्रमशः 630 है0, 1104 है0, 523 है0, 7764 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। ,

जिला योजनान्तर्गत पौध सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 2000, 7806, 850, 300, 500, 1000 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु जिल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः 1735 मी0, 190 मी0, 152 मी0, 50 मी0 घेरबाड़ कार्य किया गया। जिला योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत में क्रमशः रू0 70.00, रू0 369.23, रू0 72.00, रू0 148.50, रू0 95.00, रू0 86.04 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अध्याय – 6

उद्यान

उद्यान के अन्तर्गत रोजगार सृजन की स्थिति एवं उद्यानीकरण का पर्यटन के सम्बन्ध में – विभाग द्वारा वर्तमान में उद्यानपतियों के यहॉ स्वरोजगार हेतु उद्यानों की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकासखण्डो के अन्तर्गत आम, लीची, अमरूद, आदि के उद्यान लगाये जा रहे है, जिससे उद्यानपतियों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। इसके साथ आलू, शिमला मिर्च, बन्दगाभी, फूलगोभी, टमाटर, मटर एवं पॉलीहाउसों में उच्च गुणवत्तायुक्त पुष्प उत्पादन कार्य किया जा रहा है। जिससे युवाओं/उद्यानपतियों को रोजगार एवं अच्छी आय प्राप्त हो रही है। जनपदों में स्थापित उद्यानों एवं पॉलीहाउसों में उत्पादित सब्जी एवं पुष्प उत्पादन का अवलोकन पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है। औद्यानिक विकास हेतु 36 राजकीय उद्यान, 61 नर्सरी, 127 उद्यान सचल दल केन्द्र एवं 21 फल संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। औद्यानिक कार्यक्रम से लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रों का न होना है। जिससे उद्यान पतियों/सब्जी उत्पादकों एवं पुष्प उत्पादकों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु दूरस्थ बाजारों में ले जाना पड़ता है। मौसमी फलों/सब्जियों आदि के उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण भी उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नही हो पा रहा है। जिस कारण उद्यानपतियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

उद्यान एवं सब्जी उत्पादन में अवस्थापनाओं व नर्सरी संचालन में व्यय की गई धनराशि का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	व्यय धनराशि (रू0 लाख में)
1.	नैनीताल	48.97
2.	अल्मोड़ा	23.75
3.	उधमसिंह नगर	75.90
4.	पिथौरागढ़	5.20
5.	बागेश्वर	12.60384
6.	चम्पावत	7.05
योग		**173.47384**

मण्डल में विकास कार्य हेतु राजकीय उद्यान/नर्सरी, उद्यान सचल दल केन्द्र/फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	राजकीय उद्यान (संख्या)	नर्सरी (संख्या)	उद्यान सचल दल केन्द्र (संख्या)	फल संरक्षण केन्द्र (संख्या)
1.	नैनीताल	9	31	31	5
2.	अल्मोड़ा	03	08	36	6
3.	उधमसिंह नगर	03	03	14	3
4.	पिथौरागढ़	15	11	24	3
5.	बागेश्वर	0	2	10	1
6.	चम्पावत	06	06	12	03
योग		36	61	127	21

जिला योजना–

स्पेशल कम्पोनेंट योजना :– जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर 60286 फल पौधो का रोपण, 60% राज सहायता पर 1410 है0 में पौध सुरक्षा कार्य तथा 90% राज सहायता पर 168 पॉलीहाउस निर्माण कार्य किया गया है। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत 98.00 कु0 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया एवं प्रसंस्करण हेतु 2410 उद्यानपतियों/युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया।

स्पेशल कम्पोनैट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न औद्यानिक कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	50% राज सहायता पर फल पौध रोपण		60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य		90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निमार्ण	
		फल पौध संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	लाभान्वित कृषक संख्या	संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1.	नैनीताल	10225	217	221.00	550	45	45
2.	अल्मोड़ा	22943	3970	251.00	987	13	13
3.	उधमसिंह नगर	1693	17	179.00	131	3	3
4.	पिथौरागढ़	13333	221	55.00	221	37	37
5.	बागेश्वर	3917	994	605.50	2135	37	37
6.	चम्पावत	8175	276	99.00	119	33	33
योग		**60286**	**5695**	**1410.05**	**4143**	**168**	**168**

क्र0 सं0	जनदप का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण		आलू बीज वितरण	
		प्रसंस्करण (कु0 में)	प्रशिक्षणाथी संख्या	मात्रा (कु0 में)	कृषक संख्या
1.	नैनीताल	38.45	110	220.00	110
2.	अल्मोड़ा	23.47	103	71.00	232
3.	उधमसिंह नगर	9.42	125	0.00	0
4.	पिथौरागढ़	21.79	10	218.75	63
5.	बागेश्वर	3.62	100	140.00	305
6.	चम्पावत	1.25	05	206.00	103
योग		**98.00**	**453**	**855.75**	**813**

सामान्य योजना :– योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में जनपदवार किये गये औद्यानिक कार्यों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	50% राज सहायता पर फल पौध रोपण		60% राज सहायता पर पौध सुरक्षा कार्य		90% राज सहायता पर पॉलीहाउस निमार्ण	
		फल पौध संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	लाभान्वित कृषक संख्या	संख्या	लाभान्वित कृषक संख्या
1.	नैनीताल	65489	1033	1438.00	1938	175	175
2.	अल्मोड़ा	91780	15883	1004.00	3948	117	117
3.	उधमसिंह नगर	61306	251	3681.00	1051	125	125
4.	पिथौरागढ़	19566	927	70.00	283	84	84
5.	बागेश्वर	33184	4762	1137.00	5327	166	166
6.	चम्पावत	32700	571	385.00	561	180	180
योग		**304025**	**23427**	**7715**	**13108**	**847**	**847**

क्र0 सं0	जनपद का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण		आलू बीज वितरण	
		प्रसंस्करण (कु0 में)	प्रशिक्षणाथी संख्या	मात्रा (कु0 में)	कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	नैनीताल	213.60	612	537.00	978
2.	अल्मोड़ा	332.76	455	212.00	926
3.	उधमसिंह नगर	75.52	875	0.00	0.00
4.	पिथौरागढ़	76.27	59	823.02	439
5.	बागेश्वर	70.63	1992	0.00	0
6.	चम्पावत	115.19	165	455.00	177
योग		**883.97**	**4158**	**2027.02**	**2520**

राज्य सैक्टर

➢ **राज्य सैक्टर :–** राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में मण्डल में जनपदों के अन्तर्गत 67 कृषकों के पूर्व स्थापित उद्यानों को जंगली जानवरों/पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु 43.75 हैक्टयेर में 50% राज सहायता प्रदान की गई है तथा मण्डल में कुल 3381 (उद्यान कार्ड) उद्यानपति पंजीकृत किये गये।

➢ **उद्यानों का घेरबाड़ :–** उद्यानों का घेरबाड़ के अन्तर्गत 43.75 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का घेरबाड़ कार्य करवाया गया। जिसमें 67 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **ग्रीन हाउस की पालीथीन बदलाव योजना :–** ग्रीन हाउस की पालीथीन बदवाल योजना के अन्तर्गत **20796.00** वर्ग मी0 में पुराने पाली हाउसों की पालीथीन का बदलाव कर 146 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **वृहद फल पौध रोपण :–** वृहद फल पौध रोपण के अन्तर्गत 1.87835 लाख निःशुक्ल फल पौध का रोपण कर 7731 कृषकों को लाभन्वित किया गया।

➢ **वर्मी कम्पोस्ट :–** वर्मी कम्पोस्ट योजनान्तर्गत 188 वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण कर 188 कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिस पर रू0 45.74 लाख व्यय किया गया।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन (HMNEH) :–

फल पौध क्षेत्रफल विस्तार :– एच0एम0एन0ई0एच0 योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार औद्यानिक कार्य करवाये गये।

➢ **फल पौध क्षेत्रफल विस्तार :–** इस योजना के अन्तर्गत 588.79 है0 क्षेत्रफल में आम, लीची, अमरूद, फल पौधो का रोपण किया गया, जिस पर रू0 133.28 लाख धनराशि व्यय कर 2779 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **सब्जी क्षेत्रफल विस्तार :–** हाइब्रिड सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में टमाटर, बन्दगोभी, शिमला मिर्च तथा फूलगोभी हाईब्रीड सब्जी बीज का वितरण कर 693.00 है0 क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन किया गया तथा 8147 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **मसाला क्षेत्रफल विस्तार :–** योजना के अन्तर्गत 477.00 है0 क्षेत्रफल में मसाला मिर्च, अदरख, हल्दी मसाला उत्पादन का कार्य करवाया गया, जिससे 11294 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

➢ **पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार :–** 125.00 है0 क्षेत्रफल में आम के पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिससे 208 कृषक लाभान्वित किये गये।

➢ **पॉलीहाउस निर्माण –** पॉलीहाउस निर्माण योजनान्तर्गत 59200.00 वर्ग मी0 में पॉलीहाउस का निर्माण कर 259 कृषकों को लाभान्वित किय गया है।

मौन पालन :– राज्य में शहद उत्पादन तथा परपरागण द्वारा फलों एवं सब्जियों की उत्पादकता बढाने के लिए मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

क्र0 सं0	जनपद	मौनपालकों की संख्या	मौन कलौनियों की संख्या	शहद उत्पादन मै0 टन
1.	नैनीताल	1215	24340	27.16
2.	अल्मोड़ा	598	1280	2.48
3.	उधमसिंह नगर	45	1215	96.45
4.	पिथौरागढ़	854	3890	7.69
5.	बागेश्वर	256	653	1.25
6.	चम्पावत	435	2265	7.63
योग		**3403**	**33643**	**142.66**

मशरूम उत्पादन :– जिला योजना के अन्तर्गत कास्तकारों को 80 प्रतिशत राज्य सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराज्ड कम्पोस्ट वितरित किया गया है साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन पैंकिग तथा वितरण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्यौलीकोट तथा भवाली में एक–एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है।

वर्ष 2021–22

क्र0सं0	जनपद	वितरित कम्पोस्ट (टन)	कृषकों की संख्या	बटन मशरूम ईकाईया	प्रशिक्षणार्थी संख्या
1.	नैनीताल	128.20	133	133	290
2.	अल्मोड़ा	32.50	33	33	45
3.	उधमसिंह नगर	150.50	93	93	317
4.	पिथौरागढ़	17.50	17	17	27
5.	बागेश्वर	11.97	18	18	27
6.	चम्पावत	7.00	8	8	15
	योग	**347.67**	**302**	**302**	**721**

फसल/उद्यान बीमा योजना –

क्र सं0	जनपद	फसल–बीमा के अन्तर्गत बीमित कृषक				लाभान्वित कृषक			
		2017–18	2018–19	2019–20	20–21	2017–18	2018–19	2019–20	20–21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	नैनीताल	15869	21608	32047	30951	15869	21608	32047	30951
2.	अल्मोड़ा	4946	4642	6583	7178	1946	4642	6583	7178
3.	उधमसिंह नगर	10	0	0	37	10	0	0	37
4.	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	बागेश्वर	2451	3034	3471	3490	2402	2914	3216	3490
6.	चम्पावत	3301	7389	4227	4359	3301	7389	4227	4359
योग		26577	36673	46328	46015	23528	36553	46073	46015

<u>मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना</u> :– इस योजना के अन्तर्गत जनपदों में 232 कृषकों को लाभान्वित कर 232 पॉलीहाउस निर्मित किये गये जिसमें कृषकों को 30 प्रतिशत राजसहायता पर रू0 138.74 लाख व्यय किया गया तथा 50 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान एच0एम0एन0इ0एच योजना से किया गया।

<u>आत्मा परियोजना</u> :– वर्ष 2020–21 में आत्मा योजनान्तर्गत 334 कृषकों को एम्सपोजर विजिट कराकर रू0 2.639 लाख व्यय कर 2.49 कुन्तल सब्जी बीज वितरण कर 81 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री हेतु पौधालय प्रक्षेत्रों का विकास – इस योजना के अर्न्तगत जनपदो में औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संचालित विभिन्न राजसहायता की योजनाएं सम्मिलित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष हेतु रू0 173.47384 लाख धनराशि व्यय की गई।

जिला योजना– जिला योजनान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में निम्नानुसार योजनाओं में कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु निवेश वितरण एवं निवेशों का ढुलान किया जाता है।

फल पौध, सब्जी बीज एवं पौध, आलू बीज वितरण पर राज सहायता :– इस योजना का उद्देश्य सभी उद्यानपतियों को फल पौध, सब्जी बीज व पौध रसायनिक दवायें/औजार एक ही दर पर उपलब्ध कराना है। अतः उक्त इनपुटस् को उद्यान सचल दल केन्द्रों/विकास खण्ड़ स्तर तक पहुंचाने हेतु ढुलान पर शत–प्रतिशत राज सहायता दी जाती है, जिस हेतु रू0 121.57 लाख व्यय किया गया है।

औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम :– इस योजनान्तर्गत जनपदों के फल/सब्जी उत्पादकों को उनकी फसलों को कीट–व्याधि से बचाने हेतु 60 प्रतिशत राज सहायता पर कीट–व्याधि रसायन कृषकों की मांगानुसार निकटतम उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं, जिस हेतु वर्ष 2020–21 में रू0 58.10 लाख व्यय किया गया एवं 9170.50 है0 क्षेत्र में कीट/व्याधि की रोकथाम कर 12438 कृषको को लाभान्वित किया गया।

औद्यानिक औजार संयंत्रों पर राज सहायता :– इस योजनान्तर्गत औद्यानिक कार्यो जैसे कटाई, छटाई एवं कीट व्याधि के छिडकाव आदि कार्यो हेतु कृषकों को उन्नत किस्म के औद्यानिक औजार/संयंत्र 50 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक अपने उद्यानों में आवश्यक कटाई, छटाई का कार्य सुगमतापूर्वक कर सकेगें। इस वर्ष रू0 27.86 लाख व्यय किया गया, जिससे 5303 कृषको को लाभान्वित किया गया।

कुरमुला कीट की रोकथाम :– जनपदों के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्ड़ों में कुरमुला कीट बहुतायत में पाया जाता है। जिस कारण कृषकों की आलू एवं सब्जियों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः आलू/सब्जी फसल को कुरमुला कीट के नुकसान से बचाने के लिये कीटनाशक रसायन 60 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिस हेतु रू0 10.64 लाख व्यय कर 10536 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना – इस योजनान्तर्गत 02 योजनाएं सम्मिलित की गई है जिसके अन्तर्गत फल/सब्जी को सुखाकर कर प्रसंस्करण कार्य तथा फलों एवं सब्जियों के विक्रय हेतु पैंकिंग मैटिरियल वितरित किया जाता है।

फलों की पैकिंग में कोरोगेटेड बक्सों का प्रोत्साहन :–जनपदो में उत्पादित किये जा रहे फलो के विपणन हेतु देश–प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में भेजा जाता है। वर्तमान में फलों की पैकिंग हेतु लकड़ी के बक्सों का प्रयोग हो रहा है चूंकि लकड़ी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। अतः लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्से उपलब्ध कराये गये। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन स्तर से (फील्ड से) गोदाम तक फलो/सब्जियों को सुरक्षित लाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्लास्टिक क्रेट्स 2789 एवं 70000 कोरोगेटेड बाक्स क्रय कर उपलब्ध कराये गये, जिससे 4905 कृषको को लाभान्वित किया गया।

फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण :– कृषकों/उद्यापतियों को फल सब्जियों के प्रसंस्करण पर विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण का प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत 2410 कृषको को प्रशिक्षण दिया गया।

विगत पॉच वर्षो में निर्मित पॉलीहाउसों का जीर्णोद्धार :– इस योजना के अन्तर्गत जनपदो में विगत पॉच वर्षो में निर्मित पॉलीहाउसों, जिनकी पॉलीसीट फट चुकी है, का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस योजना में रू0 33.20 लाख धनराशि व्यय कर 146 कृषकों को लाभान्वित किया गया एवं 20796.67 वर्ग मी0 पॉलीहाउस का जीर्णोद्धार किया गया।

औद्यानिक औजार वितरण पर 50% राजसहायता :– औद्यानिक फसलों के उत्पादन में काम आने वाले सभी प्रकार के औजार व संयन्त्रों जैसे स्प्रे मशीन, स्केटियर, आरी, बडिंग ग्राफ्टिंग चाकू आदि संयंत्र 50%राजसहायता पर कृषकों को जनपदों में स्थित उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपदो में औद्यानिक कार्यो की गुणात्मक प्रगति के कारण औद्यानिक औजार/संयंत्रों की मॉग प्रतिवर्ष बढ़ रही है। वर्ष 2020–21 में रू0 29.21 लाख धनराशि व्यय कर 5303 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

चयनित क्षेत्रो में विभिन्न फल पट्टी का समुचित विकास :– इस योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल में वर्ष 2020–21 में 78.52 है0 क्षेत्रफल में फल–पौधो का रोपण किया गया है जिसमें रू0 5.02 लाख व्यय किया गया।

अध्याय – 7

रेशम

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषि से सम्बन्धित समस्त उद्योगों में रेशम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखण्ड राज्य में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र व 10 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है ऐसे में रेशम उद्योग राज्य में अल्प पूंजी निवेष से अधिक आय सर्जन का साधन है, जो समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ–साथ संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण व सम्वर्धन हेतु रेशम उद्योग काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में रेशम उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण है, जिसके कारण यहॉ सभी प्रकार के रेशम जैसे – शहतूती, टसर, मूंगा एवं एरी रेशम पैदावार की अपार सम्भावनायें है।

रेशम उद्योग की स्थापना करने में कृषक के स्तर पर बहुत ही न्यून धनराशि लगती है। वास्तव में कृषक की मेहनत ही मुख्य रूप से इस उद्योग को चलाती है एवं यह उद्योग किसी भी सीमा तक कृषक द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप उसकी आमदनी की भी उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

वर्तमान में कुमाऊँ मण्डल में, चम्पावत जनपद को छोड़कर शेष सभी जनपदों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रेशम उद्योग को अपनाने वाले कृषक अतिरिक्त आमदनी रेशम उद्योग से प्राप्त कर रहे हैं। कुमाऊँ मण्डल के आच्छादित जनपदों के कुछ विकास खण्डों में रेशम उद्योग को बड़े पैमाने पर कृषकों द्वारा स्वीकार किया गया है, उदाहरणार्थ जनपद नैनीताल के कोटाबाग एवं रामनगर विकास खण्ड जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज विकास खण्डों में शहतूती रेशम कार्य का काफी विकास हुआ है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय जनपदों बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में ओक तसर रेशम के लिये वृहद परियोजना वर्तमान में स्वीकृत हुयी है, जिसके माध्यम से पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन रोकने में भी कारगर है।

कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2020–21 में रेशम विभाग की निम्नानुसार योजनायें संचालित की गयी।

1. **जिला योजना** – वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) जिला योजना के अन्तर्गत रू0 122.27 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसका पूर्ण व्यय कर लिया गया है, इससे जनपदों में स्थापित कुल 40 राजकीय शहतूत उद्यानों का रख–रखाव, रेशम कीटपालकों के लिये सामग्री, औषधियों, विशुद्धिकारकों का क्रय किया जाता है। इससे ग्रामीणों को उनके आवास के निकट रोजगार प्राप्त होता है।

2. **राज्य सैक्टर योजना** – वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत रू0 42.27 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वृक्षारोपण कार्य, जैविक रेशम विकास सम्बन्धी कार्य, कृषकों को विभिन्न तकनीकी विषयों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्य तथा वान्या रेशम जैसे एरी, मूंगा, टसर आदि के प्रसार, रेशम कोया बाजारों का उच्चीकरण हेतु कार्यों का सम्पादन किया गया।

3. **अनुसूचित जनजाति योजना** :– जनपद उधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर, विकास खण्ड सितारगंज में अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत कुल 200 कृषकों की निजी भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 43.68 लाख एवं जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत 100 कृषकों की निजी भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 19.00 लाख का पूर्ण व्यय मनरेगा योजना से युगपतिकरण के द्वारा कर लिया गया है।

रेशम उद्योग की उपरोक्त सभी योजनाये समाज के निर्धनतम् व्यक्ति से सीधी जुड़ी हुई है और उन्हें रोजगार के अतिरिक्त, आमदनी उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस उद्योग के प्रति कृषकों का रूझान बढ़ा है। जिससे कुमाऊँ मण्डल में रेशम उद्योग के क्रियाकलापों में गति आयी है।

अध्याय – 8

सहकारिता

कुमाऊँ मण्डल की सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यों/गैर कृषक सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, उर्वरक वितरण, उपभोक्ता व्यवसाय के साथ–साथ बैंकिंग सुविधायें 378 ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों के माध्यम से कुमाऊँ मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करा रही हैं।

विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कुमाऊँ मण्डल में संचालित किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम अल्पकालीन ऋण वितरण, मध्यकालीन ऋण वितरण, दीर्घकालीन ऋण वितरण, नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन, उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय, कृषि निवेशों एवं कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय, सहकारी देयों की वसूली, किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण, महिला समूहों का गठन, विविध प्रयोजनों हेतु बैंक द्वारा ऋण वितरण, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण, प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्य योजना, जिला योजना द्वारा सहकारी समितियों के बुनियादी ढॉचे को मजबूत करने हेतु साज–सज्जा एवं प्रबन्धकीय व्यय की सहायता, सहकारी समितियों के जर्जर भवनों/गोदामों आदि के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत अनुदान सहायता आदि है।

बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में सदस्यता वृद्वि :– कुमाऊँ मण्डल में स्थापित सहकारी समितियां अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर गठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं। क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार संविदा करने योग्य है समिति का सदस्य बन सकता है। वर्ष 2020–21 में **कुमाऊँ मण्डल** में 14293 सदस्यों ने सहकारी समितियों की सदस्यता ग्रहण की जिसमें से 3653 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। मण्डल में 31 मार्च 2021 को सहकारी समितियों में कुल सदस्य संख्या 458194 है।

अंशधन में वृद्वि :– कुमाऊँ मण्डल की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कृषि ऋण, मध्यकालीन ऋण, व्यवसायिक ऋण प्रदत्त कराती हैं। समितियां सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंश के 20 गुना तक ऋण देने की सुविधा प्रदान करती हैं। विभाग द्वारा निर्धारित किये गये अंशधन 840.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा 467.11 लाख रू0 अंशधन जमा किया गया है।

ग्रामीण बचत केन्द्र :–सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण बचत केन्द्रों की स्थापना की गई है। **कुमाऊँ मण्डल** में वर्तमान में ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों की संख्या 378 है। वर्ष 2020–21 में ग्रामीण बचत केन्द्रों में 179934 खाताधारकों का 28443.01 लाख रू0 जमा है तथा जिला सहकारी बैंकों में सावधि खातों में मु0 28041.32 तथा बचत खातों में 2759.53 लाख रू0 कुल 30800.85 लाख रू0 विनियोजित हैं। समितियों द्वारा ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा धनराशि का विनियोजन

जिला सहकारी बैंकों में सावधि एवं बचत खातों में किया जा रहा है। सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर ग्रामीण बचत केन्द्रों से धनराशि आहरित करते रहते हैं।

फसली अल्पकालीन ऋण वितरण योजना :– कुमाऊँ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कृषि कार्य हेतु अपने कृषक सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण करती हैं। वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य 139800.00 लाख रू0 के सापेक्ष 118563 कृषकों को 79185.17 लाख रू0 अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया।

कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का अक्टूबर–2017 में शुभारम्भ किया गया है। रबी/खरीफ फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा कृषक सदस्यों को समितियां जिला सहकारी बैंक की शाखाओं से अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां अपने लघु–सीमान्त, बी0पी0एल0 कृषक सदस्यों को 1.00 लाख रू0 तक का ब्याज मुक्त ऋण कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत कृषक सदस्यों को समितियों के द्वारा वर्ष 2020–21 में 74716 कृषक सदस्यों को 34804.56 लाख रू0 अल्पकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

मध्यकालीन ऋण वितरण योजना :– प्रदेश सरकार द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के सदस्यों हेतु एक महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का अक्टूबर–2017 में शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां द्वारा अपने लघु एवं सीमान्त बी0पी0एल0 सदस्यों को 1.00 लाख रू0 तक का ब्याज मुक्त ऋण विभिन्न योजनाओं में रोजगार परक एवं कृषियेत्तर कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही स्वंय सहायता समूहों को रू0 5.00 लाख तक ब्याज रहित ऋण उक्त योजनान्तर्गत इस उद्देश्य से प्रदान कराया जा रहा है दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित सदस्यों की आय में वृद्वि होगी जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा। समितियों के द्वारा वर्ष 2020–21 में 4485 व्यक्तिगत सदस्यों को 3509.34 लाख रू0 तथा 283 स्वंय सहायता समूहों को 422.00 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

उर्वरक वितरण योजना :– कुमाऊँ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्वि लाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के वितरण का कार्य कर रही है। समिति कृषक सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड सहकारी संघ के माध्यम से इफको के उर्वरकों की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान कुमाऊँ मण्डल की समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उपज हेतु कुल 63001.000 मैट्रिक टन यूरिया, 4861.000 मैट्रिक टन डी0ए0पी0, 19431.000 मैट्रिक टन एन0पी0के0 तथा अन्य प्रकार की उर्वरक व रसायन का वितरण कर महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उपभोक्ता व्यवसाय :– कुमाऊँ मण्डल की सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में खुली बाजार व्यवस्था और प्रतिस्पर्धा के कारण समितियों के इस

व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2020–21 के दौरान कुमाऊँ मण्डल की समितियों द्वारा 2725.00 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

सहकारी ऋण वसूली :– सहकारिता क्षेत्र में ऋण वसूली एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। सहकारी समितियॉ जिला सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त कर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं जिसकी समय से वसूली न होने पर ऋण वितरण पर भी विपरीत प्रभाव पडता हैं। इसलिए समितियॉ अपने सदस्यों को वितरित किये गये ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देती हैं। इस कार्य में सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक व राजस्व, संग्रह विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर वसूली अभियान चलाकर समितियों की ऋण वसूली करते हैं। समिति सदस्य को सरलीकरण की सुविधा प्राप्त है कि वह अपना ऋण समिति व बैंक जहां उसे सुविधा हो जमा कर सकता है, परन्तु वरीयता के रूप में समिति में ऋण वसूली की धनराशि जमा करनी चाहिए क्योंकि त्रुटि की आशंका नहीं रहती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल की समिति/सदस्य के मध्ये मूलधन एवं ब्याज की कुल मांग 92330.00 लाख रू0 के सापेक्ष मु0 54487.00 की वसूली की गई है जो कुल मांग के सापेक्ष 59 प्रतिशत है इसी प्रकार बैंक/समिति के मध्य मूलधन एवं ब्याज की कुल मॉग 78273.00 लाख रू0 के सापेक्ष 52290.00 लाख रू0 ऋण वसूल कर समितियों द्वारा बैंक में जमा किया गया है जो कुल मांग का 67 प्रतिशत है।

वेतनभोगी सहकारी समितियां :– कुमाऊँ मण्डल में 50 कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। वेतनभोगी सहकारी समितियां अपने कर्मचारी सदस्यों को मूलवेतन का 24 गुना अधिकतम 15.00 लाख रू0 तक का ऋण पांच वर्ष की अवधि का उनके नियोजकों की संस्तुति के आधार पर ऋण वितरण कर रही है। कर्मचारी सदस्यों को वितरित ऋण की वसूली उनके वेतन से मासिक कटौती द्वारा की जाती है।

स्वायत्त सहकारितायें –उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2003 में उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम लागू किया गया इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित की गयी स्वायत्त सहकारिताओं को कार्य करने की पूरी स्वायत्ता प्राप्त है। स्वायत्त सहकारितायें अपना प्रबन्धन स्वयं करती हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के समस्त जनपदों में 902 स्वायत्त सहकारितायें गठित हैं।

मूल्य समर्थन योजना :– कुमाऊँ मण्डल में सहकारी संस्थाओं के द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों से वित्तीय वर्ष 2020–21 में 23903.00 मैं0टन गेहूँ एवं 225326.00 मैं0टन धान क्रय किया गया।

बीज वितरण :– मण्डल की बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के द्वारा अपने कृषक सदस्यों को उन्नत किस्म के गेहूँ/धान बीज का वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 7665.00 कुन्तल उन्नत किस्म का गेहूँ बीज एवं 661.00 कुन्तल उन्नत किस्म का धान बीज स्थानीय कृषकों को वितरित किया गया।

जिला योजना :– जिला योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा प्राविधानित निम्न योजनाओं/मदों के माध्यम से बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को विकसित करने हेतु वित पोषित किया जा रहा है –

1–सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना – इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जनपदों में कार्यरत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में कार्यरत कैडर सचिवों के वेतन आहरण के प्राविधान के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणी सदस्यों को राहत हेतु ब्याज पर 3 प्रतिशत तथा उनकी बॉरोइंग पावर में वृद्वि हेतु निर्धारित सीमा तक अंश क्रय हेतु जिला योजना में प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 223.37 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत–प्रतिशत उपयोग उक्त मदों में किया जा चुका है।

2–सहकारी उपभोक्ता योजना – इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार/जिला सहकारी संघों एवं लीड बैंकों को यातायात अनुदान, पैक्स/लैम्पस् को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान व केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार को मूल्य उतार–चढाव अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में मु0 2.65 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत– प्रतिशत उपयोग कर लिया गया है।

3–**सहकारी क्रय–विक्रय एवं भण्डारण योजना –** जिला योजना में सहकारी समितियों के भवन, गोदाम निर्माण, मरम्मत, भंडारण क्षमता में वृद्वि हेतु सहकारी समितियों को लाभान्वित करने का भी प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में मु0 38.50 लाख रू0 का प्राविधान किया गया जिसका शत–प्रतिशत उपयोग उक्त मदों में किया जा चुका है।वित्तीयवर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपदों की कुल जिला योजना मु0 330.87 लाख रू0 का प्राविधान किया गया था जिसके विरूद्व शासन द्वारा मु0 264.52 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। समस्त स्वीकृत धनराशि का कुमाऊँ मण्डल के जनपदों द्वारा आहरित कर समितियों की कार्ययोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

राज्य समेकित विकास परियोजना

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिताओं के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य समेकित विकास परियोजना लागू की गयी है। सहकारिता विभाग द्वारा निबन्धित सहकारी समितियॉ रेशम, भेड–बकरी पालन, मत्स्य पालन, एवं अन्य प्रकार की सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के प्रयास किये जा रहे है जिससे स्थानीय लोगो का पलायन नहीं होगा। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों व कृषि उत्पादकता की संम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए समितियों के माध्यम से संचालित किये जाने वाले व्यवसायों के प्रोजेक्ट तैयार कराये जा रहे है जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान कर स्वालम्बी बनाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत मण्डल के अन्तर्गत संचालित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से ऑर्गेनिक एवं सामूहिक सहकारी खेती के प्रोजेक्ट भी तैयार कराये जा रहे है।

अध्याय – 9

पशुपालन

पशुपालन इतिहास का सर्वाधिक प्राचीन व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो यह व्यवसाय कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय है। औसतन यहां लगभग हर घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि पालतू जानवरों को पाला जाता रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगौलिक स्थिति के अनुसार उत्तराखण्ड में कृषि एवं पशुपालन आय के मुख्य स्त्रोत हैं। उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन का अति विशेष स्थान है। पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा, सेवा, चिकित्सा व कुशल प्रबन्धन एवं पशुओं से अधिक उत्पादन के लिये पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड पशुपालकों को सुविधायें एवं सेवा उपलब्ध कराता है।

पशुपालकों के पशुओं से बेहतर उत्पादन हेतु पशुपालन विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में नवीनतम व वैज्ञानिक जानकारी का समावेश किया जाता है। पशुपालन विभाग का उद्वेश्य पशुपालकों के पास उपलब्ध पशुधन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करवाया जाना एवं विभिन्न स्वरोजगारपरक विभागीय योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं उनके कौशल में अभिवृद्वि करना है।

भारत लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में शीर्ष स्थान पर है, जो कि उपलब्ध पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे–मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबन्धन इत्यादि में किये गये अनुसंधान एंव उसके प्रचार–प्रसार का परिणाम है, लेकिन आज भी कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है और इस दिशा में सुधार की बहुत सम्भावनायें हैं। छोटे, भूमिहीन तथा सीमान्त किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बड़े पशु पालने के अवसर सीमित हैं, उनके लिये छोटे पशुओं जैसे–भेड़, बकरियां, सूकर एवं मुर्गीपालन रोजी–रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है।

विश्व में बकरियों की संख्या में हमारा स्थान दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा एवं कुक्कुट की संख्या में सातवां है। कम खर्चे में, कम स्थान एवं कम मेहनत से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये छोटे पशुओं का योगदान अहम है। इससे सम्बन्धित उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तो निःसन्देह ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमान्त किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30 प्रतिशत जोत है, इसमें 70 प्रतिशत कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं जिनके पास कुल पशुधन का 80 प्रतिशत भाग मौजूद है। स्पष्ट हैं कि देश का अधिकांश पशुधन आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के पास है।

विभिन्न पशुओं, जैसे बैल, भैंसे एवं ऊंट आदि का हल चलाने, पाटा चलाने, सिंचाई करने, बोझा ढोने, गन्ना पेरने, भूसे से दाना अलग करने, विक्रय योग्य उत्पादन को मण्डी ले जाने में योगदान है। दूध, मांस, घी, अण्डा, ऊन, हड्डियों एवं चमड़े पर आधारित उद्योग सीधे रूप से पशुओं पर निर्भर करते हैं। पशुओं से प्राप्त होने वाले चमड़े से उत्तम गुणों वाले सुन्दर जूते, भेड़ों के ऊन से ऊनी वस्त्र, कम्बल, शाल तथा कालीन आदि बनाकर निर्यात किया जाता है जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक लाभदायक एवं उत्तम स्त्रोत है विशेष रूप से

लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार प्रदान करता है। पशुजन्य उत्पादन जैसे–गाय, भैस, बकरी का दूध, घी, मक्खन, पनीर एवं खोया तथा मुर्गी, भेड़ एवं बकरी के मांस का हमारे भोजन के रूप में प्रयोग होता है। विभागीय कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने एवं पशुपालकों को सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु कुमाऊँ मण्डल में पशुपालन विभाग का सशक्त एवं सुसंगठित सेवातंत्र उपलब्ध है।

पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 की मदवार विभागीय प्रगति का विवरण निम्नवत हैः–

पशु चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य :– कुमाऊँ मण्डल में कुल 148 पशु चिकित्सालय, 6 सचल पशु चिकित्सालय, 390 पशु सेवा केन्द, 368 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र एवं 04 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। जिसके माध्यम से वर्ष 2020–21 में 2367030 पशुओं को चिकित्सा एवं 1940600 पशुओं को संक्रमण रोगों से बचाव हेतु टीके लगाये गये। मण्डल में स्थित पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवा के अतिरिक्त निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं :–

- **बधियाकरणः**– बधियाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु नर बछड़ों का बधियाकरण कर बैलों का उत्पादन करना एवं न्यून उत्पादन वाले नर बछड़ों को बधिया कर अवांछनीय प्रजनन कार्यो से रोकना है। नर मैमनों का बधियाकरण उच्च श्रेणी का मांस उत्पादन करने की दृष्टि से किया जाता है। वर्ष 2020–21 में लक्ष्य 80000 के सापेक्ष 89348 पूर्ति अर्जित की गई।

- **टीकाकरणः**– पशु टीकाकरण अन्तर्गत पशुओं में समय–समय पर होने वाली प्रमुख सम्भावित बीमारियां जैसे–एच0एस0, बी0क्यू0, एफ0एम0डी0, पी0पी0आर0, आर0डी0, एफ0पी0 आदि बीमारियों से बचाव हेतु निरन्तर पशु टीकाकरण का कार्य किया जाता है। विगत 7 वर्ष से केन्द्र सहायतित योजना एस्केड (ASCAD) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष वृहद् पशु टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में लक्ष्य 2889000 के सापेक्ष पूर्ति 1940600 अर्जित की गई है। वर्ष 2021–22 में ब्रूसैला रोग के नियन्त्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।

- **F.M.D.C.P. टीकाकरण**– कुमाऊँ मण्डल में एफ0एम0डी0सी0पी0 योजनान्तर्गत सातवें चरण हेतु कुल लक्ष्य 1205872 के सापेक्ष प्रगति 916400 रही जो लक्ष्य के सापेक्ष 76.00 प्रतिशत है। एफ0एम0डी0सी0पी0 राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपेक्षित टीकाकरण कार्य में अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण व लक्ष्योन्मुखी कार्य का संचालन किया गया। विगत सात वर्षो से संचालित एफ0एम0डी0 टीकाकरण की चरणवार प्रगति निम्नानुसार हैः–

बांझपन शिविरों का आयोजन :– बांझपन चिकित्सा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में विभागीय संस्थाओं के माध्यम से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के बांझ पशुओं की जांच कर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल में कुल लक्ष्य 700 के सापेक्ष 1700 बांझपन निवारण शिविर आयोजित कर 98157 बांझ पशुओं की चिकित्सा की गई।

- **पशु प्रदर्शनी का आयोजन** :– मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में विभिन्न जनपदों में 14 पशु प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु धनराशि अवमुक्त हुई एवं 14 पशु प्रदर्शनी का आयोजन कर शतप्रतिशत पूर्ति प्राप्त की गई, जिनके माध्यम से पशुओं की चिकित्सा तथा पशुपालकों को औषधि वितरण कर लाभान्वित किया गया।

- **<u>पशुचिकित्सा शिविर / गोष्ठियां / सेमिनार का आयोजन</u>** :– पशुपालकों में जागरूकता उत्पन्न करने, पशुपालन को बेहतर करने तथा पशुपालन के विभिन्न आयामों को अपनाये जाने के उद्देश्य से समय–समय पर जनपदों में विभाग के माध्यम से आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा शिविर, गोष्ठियां एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है।

- **<u>प्रचार प्रसार कार्य</u>**– मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 14 पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ ही पशुपालकों हेतु व्यवहारिक जानकारी का साहित्य प्रकाशित एवं वितरित किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आंवटित लक्ष्यों की भी पूर्ति की गई।

- **<u>सचल पशु चिकित्सा</u>**– मण्डल में स्थित 06 सचल पशु चिकित्सालयों के माध्यम से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी गयी, जिसमें विभिन्न मदों में आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति उत्साहवर्धक है। वर्ष 2020–21 में कुल लाभान्वित पशुओं की संख्या 89048 है।

- **<u>शल्य चिकित्सालय</u>** – शल्य चिकित्सालयों के माध्यम से पिथौरागढ़, चम्पावत (टनकपुर), तथा उधमसिंहनगर की इकाईयों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पशु रोग नियंत्रण व शल्य चिकित्सा कार्यो द्वारा पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।

- **<u>दुग्ध समितियों के मार्गो पर चिकित्सा सुविधा</u>** – कुमाऊँ मण्डल में गठित 2341 दुग्ध समितियों पर वर्ष 2020–21 में 190448 पशुओं को पशु चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान की गई।

- **<u>पशुधन विकास/नस्ल सुधार एवं कृत्रिम गर्भाधान</u>** :– वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल में स्थित 362 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। वर्ष 2020–21 में 172723 गाय/भैसों को प्रजनन सुविधा दी गई तथा सामान्य तथा लिंग वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया गया।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल में कृत्रिम गर्भाधान (गाय+भैंस) में लक्ष्य 180700 के सापेक्ष पूर्ति 172723 रही, जो लक्ष्य का 95.59 प्रतिशत है। कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति गाय+भैंस में लक्ष्य 67120 के सापेक्ष पूर्ति 83543 रही है, जो लक्ष्य का 124.47 प्रतिशत है।

<u>प्राकृतिक गर्भाधान/उत्पन्न संतति:</u>– कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत प्राकृतिक गर्भाधान (गाय+भैंस) में वर्ष 2020–21 में लक्ष्य 11200 के सापेक्ष पूर्ति 11868 रही तथा प्राकृतिक गर्भाधान से उत्पन्न संतति में लक्ष्य 8500 के सापेक्ष पूर्ति 7334 रही, जो लक्ष्य का 86.28 प्रतिशत है।

- **<u>लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम</u>** :– मण्डल के समस्त जनपदों में माह सितम्बर 2019 से पशुपालकों के दुधारू पशुओं से बछिया उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न नर बछड़ों से होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किये जाने हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य (SSS) से कृत्रिम गर्भाधान अन्तर्गत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लिंग वर्गीकृत वीर्य (Sex Sorted Semen) का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके उपयोग से

पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में भी वृद्वि होगी। चालू वित्तीय वर्ष में तथा आगामी वर्षो में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ोत्तरी किया जाना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप दूरगामी परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उन्नत नस्ल के पशुधन होने के साथ उत्पादन मे बढ़ोत्तरी होगी एवं पशुधन व्यवसाय स्वरोजगार की दृष्टि से लाभकारी व्यवसाय सिद्व होगा जिसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र को होने वाले पलायन पर विराम लगने की संभावना है।

कुक्कुट विकास कार्यक्रम :- कुमाऊँ मण्डल में 1500–1500 कुक्कुट पक्षियों की क्षमता वाले तीन राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र क्रमशः जनपद–अल्मोड़ा, पिथौरागढ तथाा ऊधमसिहनगर में स्थापित हैं। कुमाऊँ मण्डल में 4 जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, ऊधमसिहनगर में सधन कुक्कुट विकास परियोजना चलाई जा रही है। कुक्कुट प्रक्षेत्रों से वर्ष 2020–21 में 468130 क्रायलर प्रजाति के कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया।

कुक्कुट वितरण :- कुमाऊँ मण्डल में स्थित विभागीय पौल्ट्री फार्मों में चूजा उत्पादन कर विभागीय संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालकों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2020–21 में कुक्कुट वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 2157000 के सापेक्ष पूर्ति 2194560 रही जो लक्ष्य का 101.74 प्रतिशत है।

- **कुक्कुट प्रक्षेत्रों की प्रगति** - मण्डल के अन्तर्गत स्थापित विण, रूद्रपुर, हवालबाग कुक्कुट प्रक्षेत्रों में वर्तमान में क्रमशः 2613, 1826, 1512 कुक्कुट पक्षी (पेरेन्ट स्टॉक) उत्पादन पर है। प्रक्षेत्रों को विभिन्न जनपदों से बैकयार्ड कुक्कुट पालन, आजीविका बी0ए0डी0पी0 योजनाओं से पर्याप्त मात्रा में मांग उपलब्ध है। मांग के अनुरूप पूर्ति हेतु उत्पादन कार्य प्रगति पर है।

कुक्कुट इकाई की स्थापना:- बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना :- कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2020–21 में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु स्वरोजगारपरक योजनान्तर्गत बैकयार्ड कुक्कुट (क्रायलर) पालन हेतु प्राप्त धनराशि 235.64 लाख से अब तक 11820 इकाईयां स्थापित कर 11820 परिवारों को लाभान्वित किया गया। जिसमें 9550 अनुसूचित जाति तथा 1370 अनुसूचित जनजाति एवं 900 सामान्य जाति के परिवार लाभान्वित हुये। उक्त योजना में SC/ST के लाभार्थियों को निःशुल्क चूजा वितरण किया जाता है।

चारा विकास कार्यक्रम :- कुमाऊँ मण्डल में जनपद–अल्मोड़ा में एक चारा अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं। प्रक्षेत्र पर विभिन्न बहुवर्षीय उन्नतशील चारा घासों जैसे दोलनी, गुच्छी, ब्रोम, राई घासों के बीज/रूट स्टाक के साथ ही नैपियर घासों के रूट स्टाक का उत्पादन किया जाता है। प्रक्षेत्र पर चाराबीज, हरा चारा, सूखा चारा उत्पादन एवं जड़– क्लोन्स/रूट, स्टाक रूम द्वारा वितरण/विक्रय विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

चाराविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में स्थित विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को मौसमी चारा घासों के बीज समय–समय पर निःशुल्क वितरित किये जाते हैं। बहुवर्षीय चारा उत्पादन/नैपियर घास रोपण, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं ग्रासलैण्ड डवलपमेंन्ट योजनान्तर्गत की जाती है।

- **चारा बीज वितरण** :– इस कार्यक्रम के अर्न्तगत पशुपालकों को पशु चिकित्सालय के माध्यम से उन्नतशील चारा बीज मिनी किट्स पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराकर चारा प्रदर्शन कराया जाता है। विभिन्न मौसमी चारा घासों, मुख्यतः जई, मक्का, लोबिया, बरसीम, एम0पी0चरी आदि चाराबीजों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल में कुल 652.99 कु0 विभिन्न मौसमी चाराबीजों का वितरण किया गया तथा कुल 5300 चारा मिनिकिट वितरित किये गये।

- **चारा बैंक** :– मण्डल में कुल 51 उपचारा बैंक स्थापित हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2020–21 में 26298 कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक व 4482 चाटन भेली का विक्रय किया गया है। क्षेत्र में चारे की कमी को दूर करने हेतु चारा बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

- **भेड़ एवं ऊन विकास** :– कुमाऊँ मण्डल के जनपद–पिथौरागढ एवं बागेश्वर में स्थित भेड़ फार्मो में उन्नत नस्ल की भेड़ों का संवर्धन कर प्रजनन कराया जाता है एवं उत्पन्न संतति (नर मेढ़ों) को ग्रामीण क्षेत्रों के भेड़ पालकों को मेढ़ा केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय नस्ल सुधार हेतु वितरित किया जाता है। विभागीय प्रक्षेत्रों के माध्यम से स्थानीय भेड़ पालकों के भेड़ों की नस्ल में ऊन एंव मांस के सुधार हेतु विभागीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

स्वरोजगार की दृष्टि से जनपदों के माध्यम से भेड़ एवं बकरीपालन व्यवसाय को बढ़ावा दिये जाने हेतु निर्धन महिला पशुपालकों को बकरासाड़ वितरण, महिला बकरीपालन, अहिल्याबाई होलकर बकरीपालन योजनाओं में आच्छादित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में मण्डल में कुल 4 भेड़ फार्म हैं, जिसमें दो भेड़ फार्म जनपद–बागेश्वर तथा दो भेड़ फार्म जनपद–पिथौरागढ़ में संचालित किये जा रहे हैं।

भेड़ों में सामूहिक दवापान – वर्ष 2020–21 में लक्ष्य 212500 के सापेक्ष पूर्ति 296927 रही जो लक्ष्य का 139.73 प्रतिशत है।

- **भेड़ों में सामूहिक रूप से दवास्नान** – वर्ष 2020–21 में लक्ष्य 212500 के सापेक्ष पूर्ति 283082 रही जो लक्ष्य का 133.22 प्रतिशत है

- **बकरी पालन/भेड़ पालन/गौ पालन योजना** – वर्ष 2020–21 में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु क्रमशः बकरी पालन इकाईयों हेतु 154.98 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत 246 बकरी पालन यूनिटों, भेड़ पालन इकाईयों हेतु 11.97 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 19 यूनिटें एवं गौपालन हेतु 104.76 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 291 यूनिटें स्थापित कर वर्तमान तक कुल 523 अनुसूचित जाति एवं 33 अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया।

- **महिला बकरीपालन योजना** :– महिला बकरीपालन योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 58.80 लाख की धनराशि के सापेक्ष 168 बकरीपालन यूनिटें वितरित कर परिवारों को लाभान्वित किया गया।

मण्डल में स्थित अन्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति :-

- **प्रयोगशालाओं की प्रगति** – रूद्रपुर में स्थापित विभागीय रोग निदान प्रयोगशाला व अल्मोड़ा में स्थापित विभागीय मण्डलीय प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न पशुरोगों के रोग निदान हेतु विशेष योगदान किया गया है। प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशु पक्षियों के विभिन्न रोगों यथा ग्लेण्डर्स, एफ0एम0डी0सी0पी, बर्डफ्लू आदि बीमारियों के नमूने हिसार, मुक्तेश्वर व बंगलूरू को भेजे गये हैं। इस प्रकार प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्यों से मण्डल में रोग नियंत्रण में है व कोई महामारी का प्रकोप दृष्टिगत नहीं हुआ है। वर्ष 2020–21 में प्रयोगशालाओं की प्रगति निम्नानुसार है :–

प्रयोगशाला का नाम	कुल परीक्षण नमूनों की संख्या	थनैला हेतु पशु का परीक्षण	त्वचा खुरचन परीक्षण	मल परीक्षण	मूत्र परीक्षण	रक्त परीक्षण	शोध प्रयोगशाला को भेजे गये नमूने
मण्डलीय प्रयोगशाला, हवालबाग	4739	213	160	596	213	329	1420
रोग अनु0 प्रयोगशाला, रूद्रपुर	11963	118	1606	5135	204	1323	1670

नरियालगांव प्रक्षेत्र– उत्तराखण्ड में पायी जाने वाली स्थानीय नस्ल की बद्री गाय के संवर्धन व संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। यह योजना पर्वतीय क्षेत्र में बद्री गाय के संरक्षण व संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगी जिससे स्थानीय युवकों को स्वरोजगार के अवसर व आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार होगा। प्रक्षेत्र में वर्ष 2020–21 के अन्त में कुल गाय–151, औसर–44, सांड–3, नर बछड़े–70, मादा बछड़े–94 कुल पशुधन–362 है। वर्ष 2020–21 में प्रक्षेत्र पर विभिन्न मदों में निम्न राजस्व की प्राप्ति हुईः–

राजस्व प्राप्ति/जमा विवरण

क्र0 सं0	राजस्व प्राप्ति मद	राजस्व प्राप्ति विवरण	राजस्व जमा विवरण
1	दुग्ध विक्रय से	1563433.00	1563433.00
2	गोबर विक्रय से	46900.00	46900.00
3	वर्मी कम्पोस्ट विक्रय से	19800.00	19800.00
4	गौमूत्र विक्रय से	6328.00	6328.00
कुल योग		1636461.00	1636461.00

- **अंगोरा प्रजनन प्रक्षेत्र– चम्पावत** :– मण्डल में एक अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, जनपद–चम्पावत में स्थापित हैं। जिनके माध्यम से शशकों के नस्ल सुधार व रोजगार हेतु इकाईयों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। अंगोरा प्रजनन प्रक्षेत्र चम्पावत में कुल नर–46, मांदा–52, नर बच्चे–5, मादा बच्चे–9, कुल–112 है।

- **पशुधन बीमा योजना** :– पशुधन बीमा योजना माह मार्च 2015 से ही प्रारम्भ की गई है, योजना के अन्तर्गत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु/क्षति होने पर बीमित राशि का पूर्ण भुगतान पशुपालक को किया जाता है। उक्त योजना में एक पशुपालक के 5 बड़े पशु व 50 छोटे पशुओं का रियायती दरों पर बीमा किया जाता है। बीमा की सभी औपचारिकतायें व प्रीमियम राशि पशुपालकों से प्राप्त कर पशु चिकित्साधिकारी (नोडल अधिकारी) द्वारा जमा की जाती है।

पशुधन बीमा की प्रगति

क्र0 सं0	जनपद का नाम	माह मार्च, 2021 (वर्ष 2020–21)				
		लक्ष्य	पूर्ति	छोटे पशु	बडे पशु	लम्बित प्रकरण
1	नैनीताल	14300	6514	1152	5362	0
2	ऊधमसिंह नगर	10560	13625	511	13114	1025
3	अल्मोडा	8880	2725	707	2018	9
4	बागेश्वर	2400	2962	1118	1844	21
5	पिथौरागढ	10050	4583	1672	2911	17
6	चम्पावत	3670	3028	1052	1976	0
योग–		**49860**	**33437**	**6212**	**27225**	**1072**

पशुधन बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम धनराशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र0 स0	पशुपालक का विवरण	क्षेत्रीय दर विवरण (प्रीमियम अंशदान प्रतिशत में)	
		पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
1	बी0पी0एल0 / अनु0जाति / जनजाति / महिला पशुपालक	20%	40%
2	ए0पी0एल0 / सामान्य	40%	50%

पशुओं का बीमा 1 वर्ष व 3 वर्ष के लिये किया जाता है, बीमा प्रीमियम दर निम्नानुसार है –

01 वर्ष के लिये 2.93**%** एंव 03 वर्ष के लिये 7.42**%** है। (पी0टी0डी सम्मिलित नही)

01 वर्ष के लिये 3.30**%** एवं 03 वर्ष के लिये 7.50**%** (पी0टी0डी0 सम्मिलित)

आर्थिक समस्यायें एवं सुझाव :–

उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में स्थित छः जनपदों में जनपद–ऊधमसिहनगर को छोड़कर शेष पॉच जनपद पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले पशुपालकों की आजीविका का स्त्रोत कृषि / बागवानी एवं पशुपालन मुख्यतः है। वर्तमान में मण्डल के पशुपालकों द्वारा दुग्ध उत्पादन हेतु पाले जाने वाले दुधारू पशुओं में अधिकांशतः स्थानीय देशी नस्ल के पशुओं को पाला जा रहा है। यद्वपि विभाग द्वारा स्थानीय नस्ल के सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम चलाकर भरसक प्रयास किये जा रहे हैं तथा जिसके परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। स्वरोजगार की दृष्टि से पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर दुग्ध उत्पादन कर पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किये जाने की व्यापक सम्भावनायें हैं। दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त मुर्गीपालन व्यवसाय, भेड़ एवं बकरीपालन व्यवसाय तथा अंगोरा पालन से स्वरोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालन व्यवसाय को अपनाये जाने हेतु ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

पशुपालन के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रही वैज्ञानिक खोज को पशुपालक के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है, जैसे लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग कर नर बछड़ों से होने वाली परेशानी को दूर किया जा रहा है। अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण पशुओं के पालन पोषण एवं रख–रखाव हेतु चारे की कमी को दूर करने हेतु आवश्यक संशाधनों की आवश्यकता है। पशुधन विकास के लिये देशी नस्लों से उत्तम जातियां प्राप्त करने हेतु उन्नतशील कृत्रिम विधियों का उपयोग कर पशुओं की उन्नत किस्मों की नस्लें पैदा की जा सकती हैं जिससे जनपद की पशु शक्ति में वृद्धि हो सके तथा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की समस्याओं का निदान भी हो सके, साथ ही ग्रामीण जनता को चारे की उन्नत किस्मों एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर लाभान्वित किया जा सकता है।

अध्याय –10

वन

जनपद में वनों की स्थिति की रिपोर्ट वर्ग किमी में

जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	2020–21				भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
		अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
नैनीताल	4251	765	1742	541	3048	71.70
ऊधमसिंह नगर	2542	150	193	93	436	17.15
चम्पावत	1766	367	593	264	1224	69.31
अल्मोड़ा	3144	199	837	682	1718	54.64
बागेश्वर	2241	162	762	337	1261	56.27
पिथौरागढ़	7090	505	965	608	2078	29.31

श्रोत– वन सांख्यिकीय पुस्तिका 2017–18

वर्ष 2019–20 में जनपद में वन विभाग से प्राप्त आय (राजस्व) का विवरण लाख में

जनपद	प्राप्त आय लाख में
1	2
अल्मोड़ा	448.96
बागेश्वर	768.59
पिथौरागढ़	198.45
चम्पावत	1114.04
नैनीताल	25604.70
ऊधमसिंह नगर	1462.51
कुल योग	**29597.26**

वन उत्पादन :– पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरूश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कत्था उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षो का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम

इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियॉ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख है। ये अधिकांश मात्रा में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।

घने जंगलों में पशु पाये जाते है जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे–धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियॉ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिसमें कार्बेट नेशनल पार्क ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश–विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेडों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जडी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनों के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक्तानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानो के अनुसार वनो का रखरखाव किया जाता है। बढती जनसंख्या एवं बढते हुए जैविक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनों पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितियां है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1–व0ग्रा0वि 2001–बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनों का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत किए गए हैं।

वर्ष 2019–20 सैक्टरवार/जनपदवार अनुमादित/अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण लाख में

जनपद	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर		
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
नैनीताल	32.50	32.50	32.50	1019.84	1019.84	1144.78
उधमसिंहनगर	10.00	10.00	10.00	726.26	726.26	712.43
अल्मोड़ा	19.00	19.00	13.27	548.87	548.87	520.33
बगेश्वर	56.00	56.00	56.00	650.44	650.44	649.63
पिथौरागढ़	194.00	194.00	194.00	6790.00	1192.49	1038.85
चम्पावत	88.48	88.48	88.48	1120.04	1120.04	1112.00
योग	**399.98**	**399.98**	**394.25**	**10855.45**	**5257.94**	**5178.02**

जनपद	केन्द्र पोषित			बाहयसहायतित		
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
नैनीताल	165.96	165.96	164.01	0	0	0
उधमसिंहनगर	25.75	25.75	25.04	0	0	0
अल्मोड़ा	879.34	842.78	675.87	200.84	200.84	162.99
बगेश्वर	369.63	369.63	366.96	497.29	497.29	495.18
पिथौरागढ़	753.09	100.17	100.16	319.40	319.40	317.50
चम्पावत	384.39	333.22	330.89	705.30	460.44	457.85
योग	**2578.17**	**1837.52**	**1662.94**	**1722.83**	**1477.97**	**1433.52**

वर्ष 2020

क्र0सं0	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वन्य जीवों द्वारा क्षति								
i	मानव क्षति	संख्या	35	36	36	28	17	8	**160**
ii	पशु क्षति	संख्या	655	806	225	125	135	339	**2285**
2	वन संचार साधन योजना								
i	व्यय धनराशि	रूपया	1626352	2000000	6800000	200000	4300000	4050000	**18976352**
3	भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था								
I	व्यय धनराशि	रूपया	296000	1550000	12900000	300000	1500000	4798000	**21344000**
4	वनों की अग्नि से सुरक्षा								
I	व्यय धनराशि	रूपया	11354948	15624950	6575179	4095000	6455523	5805081	**49910681**
5	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण								
I	व्यय धनराशि	रूपया	7365589	54063011	6463000	46304000	6348598	3356971	**123901169**
6	वनों की सुरक्षा (अतिक्रमण रोकने के लिए)								
I	व्यय धनराशि	रूपया	822572	1686842	814748	638000	1227000	1145000	**6334162**
7	बुग्यालों का संरक्षण एवं संबर्द्धन								
I	व्यय धनराशि	रूपया	0	0	700000	0	2034000	0	**2734000**
8	वन पंचायत की सुदृढीकरण योजना								
I	व्यय धनराशि	रूपया	1062000	2704187	0	311000	0	0	**4077187**
9	इन्टैसीफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट								
i	व्यय धनराशि	रूपया	3201773	7361835	2060000	2047400	455548	1949957	**17076513**
10	वनोपज आधारित इकाइयॉ								
i	पंजीकृत लीसा इकाई	संख्या	47	37	0	0	3	4	**91**
ii	पंजीकृत आरा मशीन	संख्या	11	60	5	79	9	2	**166**
11	गेस्ट हाउस	संख्या	0	42	0	8	0	2	**52**
12	डाक बंगला	संख्या	24	0	15	0	10	10	**59**
13	वन विभाग के अधीन सड़कों की लम्बाई	कि0 मी0	692.55	2208.265	672.92	396.27	723.975	1318.989	**6012.969**

नोटः–वन्य जीवों द्वारा क्षति के मानव क्षति में मृतक/घायलों की सं0 को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय –11

जल सम्पूर्ति

राजकीय सिंचाई

सिंचाई खण्ड हल्द्वानी

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड कार्यरत हैं। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यों का रख–रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

राजकीय सिंचाई :– वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के इस संगठन के कार्यक्षेत्र जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 283 एवं 227 संख्या नहरें/टैंक योजनायें निर्मित हैं, जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 2446.759 एवं 1019.474 कि.मी. तथा सी.सी.ए. क्रमशः 37945 एवं 96057 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 130.59 लाख, रु. 392.50 लाख की धनराशि अनुमोदित थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः रु. 97.41 लाख, रु. 392.50 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, के सापेक्ष रु. 71.66 लाख एवं रु. 352.50 लाख व्यय किया गया, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 69 एवं 204 योजनाओं में 0.720 कि.मी., 5.24 कि. मी. नहरों का निर्माण/जीर्णोद्धार/बाढ़ योजनाओं का निर्माण कर, 51 संख्या पुलिया, 01 संख्या स्पर, 05 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित एवं 25 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित की गई। इसके अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

- **राज्य सैक्टर (अनापेक्षित/नदी में कटाव सुधार कार्य)** जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु. 80.978 लाख व्यय कर 6.203 किमी0 नदियों को चैनेलाईजेशन करने व मिट्टी सिल्ट हटाने का कार्य किया गया, जिससे काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा प्रदान की गई।

- **राज्य सैक्टर (मानसून अवधि)** जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 43.75 लाख व्यय कर नदियों के बाढ़ सुरक्षा हेतु नदियों के किनारें 36 मी0 वायर क्रेट, 23 नं0 सी0सी0 ब्लांक, 10 नं0 वायर क्रेट, 60 मी0 सुरक्षा दीवार, चैनेलाईजेशन कर सिल्ट, मिट्टी हटाये जाने का कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर (बॉध/बैराज)** बॉध/बैराज मद के अन्तर्गत गौला बैराज में रू0 254.75 लाख व्यय कर निर्माण कार्य किया गया एवं जनपद उधमसिंहनगर के ढेला बैराज/हरिपुरा जलाशय का पुनरोद्धार के अन्तर्गत रु. 35.18 लाख व्यय कर 125 संख्या सी0सी0 ब्लाक 180 वायर फेसिंग का कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर (टी.एस.पी)** के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल जनपद उधमसिंहनगर के नालों का निर्माण कर रु. 5.23 लाख व्यय करते हुए 0.200 किमी0 सुरक्षा दीवार पूर्ण कर काश्तकारों की कृषि भूमि की सुरक्षा की गई।

- **राज्य सैक्टर एस0सी0एस0पी0 मद** :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रू0 6.85 लाख व्यय कर बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं जनपद उधमसिंहनगर द्वारा रू0 24.22 लाख व्यय कर 0.394 किमी0 नहरों की लाईनिंग का कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर नैनीझील का पुर्नजीविकरण एवं निर्माण कार्य मद** :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत निर्मित नालों का रू0 138.75 लाख व्यय कर 1.63 किमी0 नालों का पुर्नजीविकरण कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर :–** जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बलियानाला के उपचार मद में रू0 137.33 लाख व्यय कर 07 संख्या न्यू ड्रेन, 91 संख्या एंकर, 16 वुडन पाइल्स, 11 संख्या एम0एस0 परफॉरमेंट पाईप एवं 500 वर्ग मी0 जियोसैंल का निर्माण कार्य किया गया।

- **राज्य सैक्टर (नाबार्ड नहर)** :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत नहरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु क्रमशः रु. 812.19, रु. 1231.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रु 718.83, रु. 1228.572 लाख व्यय कर 9.360 कि.मी. एवं 8.82 कि.मी. लम्बाई में कार्य करते हुए 13 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित एवं 716 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नसृजित की गई।

- **राज्य सैक्टर (नाबार्ड बाढ़ कार्य)** इसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु. 1122.70, रु. 1099.29 लाख के आबंटन के सापेक्ष क्रमशः 1056.82, रु. 861.087 लाख व्यय कर 0.879 कि.मी. लम्बी सुरक्षा दीवार एवं 481 नं0 वायरक्रेट, 01 नं0 स्पर, 20 संख्या क्रॉस वाल्व, 431 मी0 तटबन्ध एवं 255 मी0 बटरसवाल का निर्माण करते हुए काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा प्रदान की गई।

- **केन्द्रपोषित (ए0आई0बी0पी0 कार्य)** इसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रु. 265.13 लाख व्यय कर 25.38 किमी0 गूलों की लाईनिंग कर 425 है0 सिंचन क्षमता पूर्ण की गई तथा जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु. 1041.97 लाख व्यय कर 10.942 किमी0 गूल लाईनिंग कर 379 है0 सिंचन क्षमता सृजन किया गया।

सिंचाई खण्ड अल्मोड़ा

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड लघु डाल खण्ड, एवं सिचाई निर्माण खण्ड कार्यरत हैं। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों /पम्प योजनाओं, बाढ़ योजनाओं एवं निर्मित जलाशयों का अनुरक्षण किया जाता है। खण्डों द्वारा नहर, बाढ़ योजना एवं जलाशयों का अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य तथा उपयुक्त पाये जाने पर नई नहर, बाढ़ एवं जलाशय का निर्माण कार्य किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

राजकीय सिंचाई वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 203, 217, 99, 139 नहरे निर्मित हैं। जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 498.17, 705.678, 284.600, 459.56 किमी0 तथा सी0सी0ए0 क्रमशः 5104.50, 5574.60, 2361.30, 3576.00 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के लिए क्रमशः रू0 227.35, 200.00, 204.00, 300.26 की धनराशि अनुमोदित की गई थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 227.35, 200.00, 197.00, 300.26 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई, अवमुक्त धनराशि द्वारा नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से क्रमशः 4, 0, 4, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं क्रमशः 140, 240, 155, 111 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 4, 3, 10, 12 संख्या छोटी–छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किया गया।

राज्य सेक्टर

(अ) नाबार्ड नहर :– इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 0, 237.55, 9.00, 114.04 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 0, 15.383, 0, 2.4 किमी0 लम्बाई की नहरों का जीर्णोद्धार कर क्रमशः 0, 124, 0, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित करायी गई है।

(ब) नाबार्ड बाढ :– इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 931.87, 180.00, 147.97, 490.20 लाख कि धनराशि व्यय कर

क्रमशः 8, 2, 3, 6, संख्या बृहद बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में निर्माण कार्य किया गया है। इनमें से क्रमशः 3, 1, 1, 1 संख्या बृहद बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण कर लिया गया है।

(स) नाबार्ड जलाशय :– इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 310.85, 651.92, 862.17, 0 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष 310.85, 651.92, 862.17, 0 लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य सैक्टर नहर निर्माण :– इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के लिए क्रमशः रू0 97.46, 20.00, 0, 0 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई, अवमुक्त धनराशि द्वारा नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से क्रमशः 9, 0, 0, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं क्रमशः 25, 0, 0, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 4, 1, 0, 0 संख्या नहर निर्माण योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

राज्य सैक्टर अनुसंधान एवं सर्वेक्षण :– अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2020–21 में 01 संख्या झील के डी0पी0आर0 के निर्माण हेतु रू0 75.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 25.50 लाख की धनराशि व्यय कर 001 संख्या झील के डी0पी0आर0 का निर्माण कार्य प्रगति में है।

राज्य सैक्टर जल संर्वद्वन :– जल संर्वद्वन के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा को वर्ष 2020–21 में क्रमशः 01, 03 संख्या जलाशयों के निर्माण हेतु क्रमशः रू0 0, 38.24 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 0, 38.24 लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं 01 सं0 जलाशय निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

राज्य सैक्टर आकस्मिक बाढ :– राज्य सैक्टर आकस्मिक बाढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत एवं बागेश्वर में क्रमशः रू0 0, 0, 0, 7.69 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 0, 0, 0, 7.69 की धनराशि व्यय कर क्रमशः 0, 0, 0, 2 संख्या आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना पूर्ण की।

राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग :– राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग मद के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत एवं बागेश्वर में क्रमशः रू0 0.47, 0.28, 0, 0 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 0.47, 0.28, 0, 0 की धनराशि व्यय कर क्रमशः 3, 0, 0, 0 संख्या रीवर ट्रेनिंग योजना पूर्ण की।

केन्द्र पोषित (ए0आई0बी0पी0) :– ए0आई0बी0पी0 मद के अन्तर्गत 02 संख्या नहरों के निर्माण हेतु 70.97 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। 70.97 लाख की धनराशि व्यय कर 46 है0 सिंचन क्षमता सृजित की गई।

इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं के अनुपालन हेतु 04 स्थानों पर जलाशय निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के कार्य किये गये। जिनमें से 03 स्थानों को जलाशय निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है तथा विस्तृत परियोजना (डी0पी0आर0) गठन की कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप मण्डल (यॉ0) हल्द्वानी

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत इस मण्डल में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी, नलकूप खण्ड, बाजपुर एवं नलकूप खण्ड टनकपुर कार्यरत है। खण्डों द्वारा निर्मित नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का रख–रखाव तथा नई योजनाओं का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाडी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नही है। नलूकप विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहें है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2020–21 तक इस मण्डल के जनपद नैनीताल (विकास खण्ड हल्द्वानी क्षेत्र) में 192 नलकूप एवं (विकास खण्ड भीमताल में) 03 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिन पर क्रमशः 493.460 एवं 13.165 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है, जिसका सी.सी.ए. क्रमशः 14163 एवं 161 हेक्टेयर है। जनपद ऊधमसिंह नगर में 420 नलकूप सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. 36246 हेक्टेयर है, जिन पर 1065.148 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है। जनपद चम्पावत में 37 संख्या नलकूप एवं 07 संख्या

लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. क्रमशः 2688 एवं 192 हेक्टेयर है, जिन पर क्रमशः 85.18 एवं 15.48 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है।

1:– जिला योजना

जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2020–21 में जनपद नैनीताल (विकास खण्ड हल्द्वानी) हेतु रू0 115.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 115.00 लाख अवमुक्त हुआ। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 115.00 व्यय करते हुए निर्मित नलकूपों पर 4.28 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार किया गया, जिससे 104 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गयी एवं निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर 1.22 कि0मी0 एम.एस. पाईप डालकर 4 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गयी। जनपद ऊधमसिंह नगर के लिए रू0 265.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 265.00 लाख की धनराशि अवमुक्त/व्यय हुई, जिससे 12.543 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया तथा 340 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुनर्सृजन किया गया। जनपद चम्पावत में रू0 235.12 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 235.12 लाख अवमुक्त/व्यय हुआ, जिससे 01 सं0 लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण एवं 02 संख्या नलकूपों का ऊर्जीकरण तथा 8.414 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीणोद्धार कर 148 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन एवं 47 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुनर्सृजन किया गया।

2:– वाह्य सहायतित (नाबार्ड)

वर्ष 2020–21 में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी में 05 संख्या योजनाऐं निर्माणाधीन थी, जिनकी कुल लागत रू0 635.40 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 114.32 लाख का व्यय कर 01 संख्या नलकूप निर्माण से 51 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया एवं 1.816 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण तथा 03 संख्या योजनाओं में उपकरणों का क्रय/आवश्यकतानुसार स्थापना कर 30 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित की गयी जनपद ऊधमसिंह नगर में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 02 संख्या नलकूपों के पुनर्निर्माण की योजना पर रू0 6.67 लाख आवंटन/व्यय कर 0.230 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण कर 75 हेक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्सृजित की गयी।

3:– राज्य योजना (टी0एस0पी0)

वर्ष 2020–21 में नलकूप खण्ड टनकपुर के अन्तर्गत राज्य सैक्टर में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा में 01 संख्या नलकूप निर्माण की योजना लागत रू0 55.77 लाख व्यय कर 2.40 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण तथा 50 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

राज्य सैक्टर टी.एस.पी. मद के अर्न्तगत नलकूप खण्ड बाजपुर में 03 संख्या नलकूपों के निर्माण हेतु रू0 66.04 लाख वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आवंटित हुआ, जिसका समर्पण कर दिया गया।

नलकूप मण्डल (यॉ0) अल्मोड़ा

राजकीय सिंचाई के अर्न्तगत नलकूप मण्डल (यां0), अल्मोड़ा द्वारा नलकूपों, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

राजकीय सिंचाईः– वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 198, 7, 2, 3 कुल **210 नलकूप तथा** क्रमशः 21, 19, 67, 31 कुल **138 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं** निर्मित हैं। जिनकी जल वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 629.941 किमी0 तथा **सी0सी0ए0 कुल 19612.2 हैक्टेयर** है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2020–21 में **20322.87 हैक्टेयर वास्तविक** सिंचाई दर्ज की गई है।

जिला सैक्टरः– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 135.00 लाख (रू0 57.00 लाख नलकूप व रू0 78.00 लाख लिफ्ट सिंचाई योजनाओं हेतु), रू0 67.42.00 लाख, रू0 81.54.00 लाख तथा रू0

300.00 लाख कुल रूपया 583.96.00 लाख नलकूप/लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निमार्ण हेतु अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष 100 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त हुई एवं 100 प्रतिशत ही व्यय कर नलकूपों/लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया गया। मण्डल के अर्न्तगत 03 सं0 लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण पूर्ण कर **177 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन** किया गया।

राज्य योजना (नावार्ड) टी0एस0पी0/मा0मुख्यमंत्री घोषणा :– राज्य योजना के तहत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा तथा बागेश्वर में क्रमशः रू0 645.20 लाख, 239.09 लाख एवं 251.21 लाख कुल रूपया 1135.05 लाख की धनराशि व्यय कर मण्डलें के अर्न्तगत 03 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजनाओं एवं 1संख्या नलकूप का निर्माण पूर्ण कर **336 हैक्टेयर सिंचन क्षमता** का सृजन किया गया।

लघु सिंचाई

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, हल्द्वानी

लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोडा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 59, 21, 00 हौज, क्रमशः 42.249, 5.495, 15.197 किमी0 गूल, क्रमशः 0 ,0, 129 पम्पसेट एवं उधमसिंहनगर के 26 आर्टीजन का निर्माण कर क्रमशः 640.73, 90.40, 1198.00 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 0, 19, 0 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 0, 58.96, 0.00 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की गयी।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :– हाईड्रम/आर्टीजन योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक ऑपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः.रू0 24.88, 18.96, 0.00 लाख धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :– पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर में क्रमशः जिला योजना वर्ष 2020–21 में क्रमशः रू0 5.12, 9.09, 59.98 लाख धनराशि व्यय की गई।

अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पिथौरागढ़

लघु सिचाई विभाग द्वारा लघु कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः 50, 119, 44 हौज, क्रमशः 6.992, 24.547, 3.84 किमी0 गूल का निर्माण कर क्रमशः 121.59, 476.24, 110.70 है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 95, 39, 07 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 183.32, 57, 110.70 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की गयी।

उपकरण एवं संयंत्र :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु पाईप रिंच/स्पैनर आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके लिये जिला योजना वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद बागेश्वर, में रू0 1.26 धनराशि व्यय की गई।

हाईड्रम सुदृढ़ीकरण/अन्य व्यय :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः.रू0 8.60, 6.20, 55.00 धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :– पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः 35.78, 47, 105.09 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की गयी। जिला योजना वर्ष 2020–21 में क्रमशः रू0 53.40, 56.20, 55.00 धनराशि व्यय की गई। जिसमें में क्रमशः. रू0 4.00, 50.00, 55.00 धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय की गई।

उत्तराखण्ड जल संस्थान

नैनीताल परिक्षेत्र

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाएं बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करने के साथ–साथ जल संस्थान के निम्न कृत्य हैः–

1. जहां साध्य हो वहां सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन।
2. अपने कार्य कलापों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।
3. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
4. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौपे जा सके।

जल संसाधन एवं प्रबंधन

1. **जनपद में नमामि गंगे परियोजना की कार्यविधि :–** नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत यह परियोजना विभाग द्वारा संचालित नहीं है।
2. **जनपद में चाल–खाल परियोजना की स्थितिः–** वर्ष 2019–20 तक नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 91, 71, 20 कुल चाल–खाल निर्मित किये गये हैं।

नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजना की स्थिति :–

वर्ष 2019–20 तक नैनीताल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 07, 04, 16 नगरीय व क्रमशः 322, 636, 41 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 1007, 1299 व 02 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है, जिनकी मरम्मत/रखरखाव का कार्य भी इस विभाग तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत जलनिगम द्वारा किया जाता है।

जनपद में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पेयजल निगम के अतिरिक्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्वजल, मण्डी परिषद, एग्रो आदि द्वारा भी कराया जाता है, जिससे जनपद में खराब हैण्डपम्पों की सही जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है, यह कार्य एक ही विभाग द्वारा कराये जाते तो कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ

जनता को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो जायेगा। जनपद की समस्त पूर्व निर्मित पूर्ण पाईप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है।

उत्तरांचल कूप :– विभाग द्वारा उत्तरांचल कूपों का अधिष्ठापन किया जाता है, जिससे जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2019–20 में नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 75, 391, 0 नग उत्तरांचल कूप स्थापित किये गये इस प्रकार अब तक कुल 1336 कूपों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

स्टील इन्टेक चैम्बर :– जनपद के अन्तर्गत जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अर्न्तगत स्टील इन्टेक चैम्बरों का विभिन्न स्रोतों पर अधिष्ठापन कार्य कराया गया। वर्ष 2019–20 तक नैनीताल परिक्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 30, 338, 1 नग स्टील इंटेक चैम्बर अधिष्ठापित किये गये है।

ग्रामीण पेयजल योजना :– माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा घोषित जल जीवन मिशन–''हर घर नल से जल'' कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन प्रदान करने हेतु विभिन्न चरणों के सर्वेक्षण कार्यों की कार्यवाही गतिमान है।

पिथौरागढ़ परिक्षेत्र

वर्ष 2019–20 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, एवं बागेश्वर में क्रमशः 05, 04, 02 नगरीय व क्रमशः 495, 238, 148 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। इन पेयजल योजनाओं में क्रमशः 09, 08, 07 नग पम्पिंग पेयजल योजनाऐं एवं शेष क्रमशः 491, 230, 143 नग गुरूत्व आधारित पेयजल योजनाएं हैं। उक्त के अतिरिक्त क्रमशः 864, 635, 544 नग इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है, जिनकी मरम्मत/ रखरखाव का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है।

उत्तरांचल कूपः– विभाग द्वारा उत्तरांचल कूपों का अधिष्ठापन किया जाता है, जिससे जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

स्टील इन्टेक चैम्बरः– जनपद के अन्तर्गत जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अर्न्तगत स्टील इन्टेक चैम्बरों का विभिन्न स्रोतों पर अधिष्ठापन कार्य कराया गया। वर्ष 2019–20 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 29, 169, 0 नग स्टील इंटेक चैम्बर अधिष्ठापित किये गये है। जनपद में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पेयजल निगम के अतिरिक्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्वजल, मण्डी परिषद, एग्रो आदि द्वारा भी कराया जाता है, जिससे जनपद में खराब हैण्डपम्पों की सही जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है, यह कार्य एक ही विभाग द्वारा कराये जाते तो कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ जनता को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो जायेगा। जनपद की समस्त पूर्व निर्मित पूर्ण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है।

एकल पेयजल योजनाः– त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत् ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हों। योजना के अन्तर्गत् कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत् विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

अध्याय – 12

उद्योग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मुख्य कार्य/दायित्व

1- उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र :

- भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर समुचित प्रस्ताव एवं सुझाव प्रस्तुत करना।
- उद्योग क्षेत्र, जिनमें ग्रामीण एवं लघु उद्योग, हथकरघा, खनन और बृहत उद्योग सम्मिलित हैं, के विकास हेतु वार्षिक व पंचवर्षीय योजनायें तैयार कर योजना आयोग के स्तर पर प्रस्तुतिकरण।
- उद्योग निदेशालय, भूतत्व व खनिकर्म, राजकीय मुद्रणालय, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, सिडकुल तथा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के कार्यों/योजनाओं के संचालन हेतु वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना, अनुमोदित बजट प्रस्तावों पर शासन से जारी स्वीकृतियों का निर्गमन तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित करना।
- एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के सचिवालयी कार्य।
- राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु समय–समय पर नीतियों को तैयार करना।
- भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2015 से पूरे देश में उद्यमियों द्वारा उद्योग आधार मैमोरेण्डम ऑनलाइन फाईल करने की व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 26 जून, 2020 से सम्पूर्ण देश में 1 जुलाई, 2020 के पश्चात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण हेतु "उद्यम रजिस्ट्रीकरण" (https://udyamregistration.gov.in) की व्यवस्था की गई है, जो एमएसएमई की सभी सुविधाओं हेतु अनिवार्य है।
- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की औद्योगिक विकास नीति–2017 का क्रियान्वयन।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र विशेष में सम्भाव्य विशिष्ट चिन्हित आर्थिक गतिविधि को आवश्यक इनपुट्स एवं वित्तीय प्रोत्साहन देकर विकसित किया जायेगा, जिससे इनके उत्पाद एवं सेवायें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजन के उद्देश्य *से ग्रोथ सेन्टर योजना* लागू की गई है, का क्रियान्वयन।
- राज्य की नई *स्टार्टअप नीति*–2018 का क्रियान्वयन।
- "ईज आफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु "निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र" के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों को परामर्श प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड मेंटरशिप कार्यक्रम का ऑनलाईन अनुश्रवण।
- उत्तराखण्ड की लैण्ड लीजिंग पॉलिसी के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यवस्था का क्रियान्वयन।
- रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित कार्य।
- उद्यमिता एवं कौशल विकास।
- पंजीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का ऑकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा अनुप्रेषण।
- औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक विकास हेतु समन्वित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सिडबी, एन0एस0आई0सी0, यू0एन0डी0पी0, नाबार्ड, सी0जी0एफ0टी0आई, से समन्वय तथा उनकी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन।
- औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को विभिन्न सहूलियतों, सहायताओं, सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- एमएसएमई नीति–2015 के अन्तर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु घोषित योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन/अनुश्रवण।
- उत्तराखण्ड राज्य सुकरता परिषद से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं, जटिलताओं का निराकरण करना।
- स्थापित उद्योगों, विशेष रूप से ग्रामीण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को विपणन सहायता।
- औद्योगिक, हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न शोध–विकास संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश के औद्योगिक विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- उद्योग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।
- औद्योगिक श्रमिकों/प्रबन्धकों के लिए प्राथमिक जागरूकता हेतु सम्बन्धित संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- "उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड" के माध्यम से माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक एवं विपणन सहायता।

2- उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के मुख्य कार्य :

- राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार की शीर्ष संस्था के दायित्वों का निर्वहन।
- राज्य सरकार द्वारा मेला एवं प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु नोडल एजेन्सी नामित।
- विकास आयुक्त (हथकरघा) एवं विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन।
- शिल्पों के विपणन प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग।
- भारत सरकार की ''एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में डिजाइन वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, मार्कैटिंग वर्कशाप, बॉयर–सेलर मीट एवं शिल्प में कार्य करने हेतु शिल्पियों को टूल किट उपलब्ध कराना।
- उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के सरंक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार।
- राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा में हरिप्रसाद पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना। संस्थान के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण का कार्य।
- मेला/प्रदर्शनी/शो–रूम आदि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों का विपणन प्रोत्साहन।
- विभिन्न लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग कलस्टरों हेतु समन्वित विकास के कार्यक्रम।
- हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु ''हिमाद्रि'' शो–रूमों का संचालन एवं उत्पादों के ऑनलाईन मार्केटिंग में Amazon (अमेजन) के साथ टाईअप।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन।

3- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्य :

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वयवित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगो मे लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग मेंलगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।

- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियॉ भी है, से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

1–भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई :

- खनिज अन्वेषण कार्य– खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण,पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते हैं तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते हैं। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों में आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त इकाई के अन्तर्गत खनिज अन्वेषण का कार्य स्थगित है।
- खनन प्रशासन कार्य– खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खनिज परिहार स्वीकृत किया जाता है। निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। विभाग द्वारा खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने से पूर्व तकनीकी परामर्श तथा खनिजों की खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- भूअभियांत्रिकीय कार्य– भूअभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियाँ शासन को प्रेषित करना है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना– राजस्व व वन क्षेत्र के अधिक से अधिक रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के उपरान्त स्वीकृत क्षेत्रों में पर्यावरणीय अध्ययन/मॉनीटरिंग कार्य कराया जाना।
- खनन सर्विलांस योजना– प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक सर्विलांस युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वेब एप्लीकेशन एवं माइनिंग गार्ड का क्रियान्वयन तथा ऑन लाईन राजस्व जमा हेतु पेमेंट गेट वे से सम्बन्धित कार्यो के क्रियान्वयन/संचालन तथा खनन कार्यकलापों के अन्तर्गत समस्त प्रक्रियायें ऑन लाईन किये जाने की कार्यवाही।
- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- खनिजों के वैज्ञानिक विधियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुये विदोहन हेतु शासन के निर्देशानुसार व्यवहारिक नीतियों को प्रस्तावित करना।
- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियांत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।

- खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।
- जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।
- खनिजों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु नये उपखनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा पट्टे पर आवंटित खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय मॉनीटरिंग/अध्ययन का कार्य किया जाता है।
- प्रदेश में अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आधुनिक सर्विलांस युक्त चैक पोस्ट खनन स्थलों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्थापित करना तथा खनिजों के परिवहन हेतु लागू ई–रवन्ना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं वेब एप्लीकेशन माइनिंग गार्ड का क्रियान्वित किया जाना।
- खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत जिला खनिज न्यास का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) सम्मिलित हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जाना।
- राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्य हेतु पट्टा धारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराये जाने के प्राविधान है। उक्त धनराशि से प्रदेश में खनिजों की खोज किया जाना।

2- राजकीय मुद्रणालय उत्तरांखण्ड, रुड़की के मुख्य कार्य :

- राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की, निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के नियन्त्रण में है, तथा उत्तरांखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के लिये उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार का एक मात्र मुद्रणालय है।
- सरकारी साधारण तथा असाधारण गजट का प्रकाशन/मुद्रण/वितरण।
- उत्तराखण्ड सरकार का वार्षिक बजट/अनुपूरक बजट का मुद्रण एवं सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से कार्यालय में प्रयोग होने वाली प्रपत्रों/रजिस्टर का मुद्रण/निर्माण एवं परीक्षा में प्रयोग होने वाली सादी उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण कर राज्य के समस्त जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों को वितरण करना। प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा हेतु सादी उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रपत्रों का मुद्रण।
- राज्य के समस्त विभागों जैसे सेवायोजन, विधिक माप विज्ञान, व्यापार कर, चिकित्सा, सिडकुल, परिवहन विभाग, निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, महालेखाकार, प्रपत्र तथा उनके द्वारा तैयार निर्देश/नीति प्रकाशनों का मुद्रण।
- पंजीकृत प्रपत्रों की श्रृंखला में कोषागार प्रान्तीय, विविध, एच0सी0जे0, पुलिस, भुलेख व जैड0ए0 से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टर आदि मुद्रण कर राज्य के सभी विभागों/कार्यालयों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क/सशुल्क आधार पर मांगानुसार मुद्रण कर सम्पूर्ति की जाती है।
- मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल से सम्बन्धित प्रपत्रों/लिफाफों व फाइल कवर का मुद्रण/सम्पूर्ति।

- मा0 लोक आयुक्त कार्यालय से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्ट का मुद्रण।
- सचिवालय में प्रयोग होने वाले प्रवेश पत्रों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- उत्तराखण्ड विधान सभा–की कार्यवाहियों का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- सचिवालय से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जैसे चरित्र पंजिका, आई.ए.एस. ग्रेडेशन लिस्ट इत्यादि का मुद्रण/सम्पूर्ति।
- शासन द्वारा जारी शासनादेशों का संकलन पुस्तकों का मुद्रण।

3- उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम लि. के मुख्य कार्य :

- उद्योग स्थापना हेतु औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं प्रबन्धन।
- बृहद उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।
- बृहद उद्योग की रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन हेतु बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित पैकेज का अनुश्रवण कार्य।
- औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के अभिकरण के रूप में कार्य।
- प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन का कार्य।
- निर्यात प्रोत्साहन एवं भारत सरकार के पैकेज के लिये नोडल अभिकरण के रूप में कार्य।

राज्य के औद्योगिक विकास का वर्तमान परिदृश्य नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक होकर नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य का यह भू–भाग वास्तविक रूप से ''शून्य उद्योग'' क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999–2000 में द्वितीयक सैक्टर का अंश मात्र 19.2 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019–20 में 49 प्रतिशत से अधिक हो गया है (जिसमें मुख्य रूप से उद्योग सैक्टर सम्मिलित है)। इससे स्पष्ट है कि पृथक राज्य बनने के पश्चात् प्रदेश में औद्योगिक विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इस सैक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 36 प्रतिशत है।

राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है और इस समय ऑटो, फार्मा एवं एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्राण्ड के उत्पाद राज्य में बन रहे हैं। अधिकतर औद्योगिक समूहों का मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का औद्योगिक वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिये इन उद्योग समूहों द्वारा लगातार अपने निवेश में वृद्धि की जा रही है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये 1 अप्रैल, 2017 से औद्योगिक विकास योजना–2017 लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक प्रवृत्त रहेगी। इस योजना में नये तथा विस्तारीकरण के उत्पादक सेवा उद्यमों को प्लाण्ट व मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 करोड़ का उपादान तथा भवन व मशीनरी के बीमा के प्रीमियम में 5 वर्ष तक शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों एवं अवस्थापना कार्यकलापों को गतिशील बनाये जाने हेतु प्रयासरत है। उद्यमियों के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा गत वर्ष आयोजित ''उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट'' के अपने उद्बोधन में उत्तराखण्ड को उसके प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति एवं परम्पराओं तथा इस क्षेत्र में उत्तराखण्ड की प्रबल सम्भावनाओं के दृष्टिगत ''स्प्रीचुअल इकोनोमिक जोन'' के रूप में विकसित करने का आह्वान किया गया था। विगत वर्षों के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के साथ संवाद तथा निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में राज्य के अनुभवों के आधार पर 6 फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा पर्यटन एवं हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस एवं आयुष, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा (सौर ऊर्जा) एवं भविष्योन्मुख क्षेत्र जैसेः आईटी, फिनटेक, शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। ये सैक्टर राज्य की क्षमताओं, पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चिन्हित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में वेलनेस समिट का आयोजन प्रस्तावित किया गया था एवं इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। कोच्चि, मुम्बई एवं दिल्ली में रोड शो भी आयोजित किये गये थे एवं निवेशकों का अच्छा रूझान भी दिखा था, लेकिन कोविड–19 के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

अवस्थापना विकास

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व राज्य में उद्योग विभाग/यूपीएसआईडीसी द्वारा 2116.62 एकड़ भूमि में 46 वृहत/मिनी औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत् है :–

क्र.सं.	औद्योगिक आस्थान	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान	30	148.56
2	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1968.06
योग		46	2116.62

राज्य सरकार द्वारा लागू नई एमएसएमई नीति–2015 में सूक्ष्म व लघु विनिर्माणक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि की उचित दरों पर व्यवस्था हेतु भूमि बैंक तथा नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। इसके दृष्टिगत सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाओं युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में विभाग के 10 मिनी औद्योगिक आस्थानों में से 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथाः डुण्डा व गवाणा (उत्तरकाशी), भीमतल्ला व कालेश्वर (चमोली) तथा द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में एमएसएमई विभाग द्वारा एवं 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथाः पुरोला (उत्तरकाशी), मुनस्यारी (पिथौरागढ़), सरोठ (टिहरी), बेतालघाट (नैनीताल) तथा भिकियासैंण (अल्मोड़ा) में सिडकुल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान राज्य सरकार के गठन के उपरान्त राज्य में औद्योगिक निवेश तथा इस हेतु विभिन्न उद्देश्यों से निवेशकों को आकर्षित करने हेतु सिडकुल के प्रयास/उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं –

1- वर्ष 2020–21 में सिडकुल के एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में 44 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई जिसमें 597 करोड़ रूपयों का निवेश हुआ और 4050 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

2- सिडकुल की एक नीति मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंन्ट पॉलिसी–2015 के अंतर्गत 04 औद्योगिक इकाईयों द्वारा 882 करोड़ रूपयों का निवेश किया गया ।

3- सिडकुल द्वारा जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड में भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु आई0आई0ई0 सितारगंज फेज–2 में 40 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। सिडकुल द्वारा रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार में जमा की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है।

4- उत्तराखण्ड विभिन्न प्रकार की मिट्टी और कृषि जलवायु परिस्थिति से समृद्ध है, जो राज्य को जंगली और सुगंधित प्रजातियों की एक विशाल जैव विविधता वाला केन्द्र बनाता है। काशीपुर, उत्तराखण्ड में लगभग 41 एकड़ के क्षेत्र में राज्य एरोमा पॉलिसी के अंतर्गत एरोमा पार्क विकसित कर आवंटन प्रारंभ कर दिया गया है।

5- हरिद्वार में 101.30 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाईस पार्क विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड में प्रस्तावित मेडिकल डिवाईस पार्क के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आन्ध्र प्रदेश के कलॉम इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यह पार्क भारत सरकार की

6- योजना ''मेडिकल डिवाईस पार्कों को बढ़ावा'' के अंतर्गत विकसित किया जायेगा। सिडकुल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति हेतु डिपार्टमेन्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, भारत सरकार को मूल्यांकन हेतु भेजा जा चुका है।

7- भारत सरकार की अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/सिडकुल हेतु खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य 07 राज्यों के अंतर्गत आने वाले 20 शहरों में एक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना है, जिसमें एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करना सम्मिलित है।

8- भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा औद्योगिकीकरण और इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाईन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिये इलैक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (संशोधित योजना अप्रैल, 2020) में लागू की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इसी क्रम में एकीकृत औद्योगिक आस्थान जिला ऊधमसिंहनगर में 102 एकड़ भूमि ई0एम0सी0 हेतु चिन्हित की गयी है। सिडकुल द्वारा इस विषय में हितधारकों से एक वेबिनार के माध्यम से गहन चर्चा की गयी। साथ ही, ई0एम0सी में एंकर यूनिट को आकर्षित करने हेतु एक ई0ओ0आई0 भी जारी किया गया है।

9- सिडकुल द्वारा मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में होटल/रिसोर्ट/वैलनेस रिसोर्ट स्थापित करने हेतु दो प्लॉट उपलब्ध है। मदन नेगी में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु इस विषय में प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी0) जारी किया जा चुका है।

10- प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु एरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी प्रख्यापित की गई है। मेक इन इण्डिया के अंतर्गत निहित उद्दश्यों की प्राप्ति तथा इस क्षेत्र में भी एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के दृष्टिगत डिफेन्स क्षेत्र के ले0 कर्नल के स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जो रक्षा उत्पादन से जुडी इकाईयों से आवश्यक समन्वय व सहयोग प्रदान करेंगे।

फाईल किये गये उद्योग आधार मैमोरेण्डम/उद्यम रजिस्ट्रीकरण का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्योग आधार मैमोरण्डम (18 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक)			उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण (वर्ष 2020–21)			अब तक फाईल किये गये कुल उद्योग आधार		
		स्थापित उद्यमों की संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	स्थापित उद्यमों की संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)	स्थापित उद्यमों की संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में)
1	नैनीताल	1213	7275	524.24	291	887	138.50	1504	8162	662.740
2	उधमसिंहनगर	2432	14214	753.80	629	3950	95.47	3061	18164	849.268
3	अल्मोड़ा	941	3286	124.14	296	1002	25.04	1237	4288	149.179
4	पिथौरागढ़	812	2066	54.25	213	653	14.42	1025	2719	68.672
5	बागेश्वर	587	1596	30.80	154	514	11.62	741	2110	42.420
6	चम्पावत	585	1994	47.26	154	760	9.45	739	2754	56.706
7	देहरादून	1891	15170	549.29	489	4171	247.29	2380	19341	796.580
8	पौड़ी	1483	8881	299.68	403	1823	74.55	1886	10704	374.230
9	टिहरी	979	4355	160.79	363	1284	36.02	1342	5639	196.806
10	चमोली	670	2310	39.91	179	482	8.95	849	2792	48.860
11	उत्तरकाशी	694	2094	43.53	180	542	17.67	874	2636	61.200
12	रूद्रप्रयाग	596	1915	40.66	238	744	17.43	834	2659	58.090
13	हरिद्वार	2641	30693	1044.28	680	5345	149.93	3321	36038	1194.210
	योग :–	**15524**	**95849**	**3712.63**	**4269**	**22157**	**846.34**	**19793**	**118006**	**4558.961**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की स्थिति

उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में 14,163 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयॉ स्थाई रूप से पंजीकृत थी, जिनमें रू0 700.29 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 38,509 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। राज्य गठन के पश्चात् से माह 31 मार्च, 2021 तक 68888 लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के रूप में स्थाई पंजीकरण तथा उद्यमिता ज्ञापन भाग–2/ उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण फाइल किये गये हैं, जिनमें रू0 14463.06 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 3,46,441 लोगों को रोजगार दिया गया है। लघु स्तरीय उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकृत/उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 फाइल/उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण करने वाले उद्यमों का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	दिनांक 8–11–2000 तक (राज्य गठन के समय) स्थापित लघु स्तरीय उद्यम			राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9–11–2000 से माह 31 मार्च, 2021 तक स्थापित उद्यम			कुल स्थापित उद्यम		
	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू.में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू.में)	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रू.में)
नैनीताल	816	3513	158.36	4025	18893	1070.308	**4841**	**22406**	**1228.668**
उद्यमसिंहनगर	804	4899	233.71	8179	65702	4323.097	**8983**	**70601**	**4556.807**
अल्मोड़ा	904	1846	17.78	3674	9357	232.081	**4578**	**11203**	**249.861**
पिथौरागढ़	534	1013	5.85	2970	7289	116.291	**3504**	**8302**	**122.141**
बागेश्वर	387	607	2.04	1686	4236	77.021	**2073**	**4843**	**79.061**
चम्पावत	147	322	4.95	1719	5067	93.382	**1866**	**5389**	**98.3322**
देहरादून	2321	7232	88.01	7127	52795	1615.524	**9448**	**60027**	**1703.534**
पौड़ी	1720	4196	28.39	5055	20461	586.671	**6775**	**24657**	**615.061**
टिहरी	1025	2413	14.44	3984	12699	337.589	**5009**	**15112**	**352.029**
चमोली	844	1154	5.45	2724	6876	112.467	**3568**	**8030**	**117.917**
उत्तरकाशी	1734	2364	10.6	2680	6602	124.986	**4414**	**8966**	**135.586**
रूद्रप्रयाग	394	737	7.2	1931	5582	124.635	**2325**	**6319**	**131.835**
हरिद्वार	2533	8213	123.51	8971	92373	4948.719	**11504**	**100586**	**5072.229**
योग :–	**14163**	**38509**	**700.29**	**54725**	**307932**	**13762.771**	**68888**	**346441**	**14463.061**

कार्यरत् वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में मार्च, 2021 तक कार्यरत् वृहत उद्योगों की संख्या 329 है, जिनमें रू. 37,957.94 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,11, 451 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित वृहत उद्योगों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र. सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
1	देहरादून	23	604.06	4753
2	हरिद्वार	124	18047.33	58224
3	ऊधमसिंहनगर	174	15458.39	44106
4	नैनीताल	3	3669.01	3469
5	पौड़ी	3	116.86	784
6	उत्तरकाशी	1	8.10	19
7	चमोली	1	54.19	96
	योग :–	**329**	**37957.94**	**111451**

राज्य में कार्यरत वृहत उद्योगों की स्थिति

विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार
उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व (प्रारम्भ से 8–11–2000 तक)	39	8369.78	29197
उत्तराखण्ड राज्य बनने से अब तक (9–11–2000 से मार्च, 2021 तक)	290	29588.16	82254
योग :–	**329**	**37957.94**	**111451**

माटी कला बोर्ड

प्रदेश सरकार द्वारा कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक उन्नति के लिए माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को कुम्हारी एवं मिट्टी का कार्य सम्बन्धी कुटीर उद्योग के समुचित महत्व को पारम्परिक शिल्पकला के संरक्षण के साथ ही शिल्पियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु तथा कारीगरों को तकनीकी कौशल, आर्थिक सहायता एवं विपणन के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड का गठन किया गया।

बोर्ड के कार्य :

- माटी कला उद्योगों से सम्बन्धित अधोसंरचना की सुविधाएं यथा–बिजली पानी, सड़क आदि की व्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शेड आवंटन हेतु सुझाव देना।
- टैक्स, खनिज रायल्टी आदि पर युक्तियुक्त नीति बनाना।
- संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना।
- तकनीकी सहायता हेतु मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना।
- उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु मेला–प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कराना।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड में नियुक्त उपाध्यक्ष महोदय के मौथरावाला, देहरादून स्थित आवास कम कैम्प कार्यालय में दिनांक 4–10–2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में माटी कला से जुड़े शिल्पियों को 60 विद्युत चालित चाक वितरित की गई। माटी कला शिल्पियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा माटी कला शिल्पियों हेतु 200 मिट्टी गौंथने की मशीनें वितरित किये जाने की घोषणा की गई, जिसकी घोषणा सं0–15/2021 दिनांक 11–2–2021 को उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त हुई है। माटी कला शिल्पियों के उत्थान हेतु जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की में माटी कला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–14/2021 तथा माटी कला शिल्पियों हेतु मिट्टी की व्यवस्था किये जाने हेतु घोषणा सं0–16/2021 दिनांक 11–2–2021 उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त हुई है।

हथकरघा योजनायें हथकरघा एवं हस्तशिल्प योजनायें (विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की योजनायें) :–

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना **(Integrated Development and Promotion of Handicrafts)**

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के 24300 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किये जाने हेतु वर्ष 2014–15 में परियोजना स्वीकृत की गई है।

योजनान्तर्गत 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों में दो माह की 144 एवं पांच माह की 38 डिजाइन वर्कशॉप आयोजित की गई हैं जिनमें 5,840 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से बायर सेलर मीट, लोकल लेविल मार्केटिंग वर्कशॉप, राज्य स्तरीय विपणन कार्यशाला तथा राज्य स्तर पर 08 प्रदर्शनियां आयोजित की गयी। सभी 15 ब्लॉकों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें मशीन एवं उपकरण स्थापित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की रणनीति तथा कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

1- राज्य में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये भारत सरकार से अपेक्षित सहायता तथा सुविधाओं के लिये निरन्तर प्रयास किया जायेगा।

2- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, अवस्थापना सुविधा विकास, संस्थागत सहयोग तथा विपणन सहायता प्रदान कर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, हथकरघा–हस्तशिल्प तथा खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

3- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का सृजन एवं हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के उत्पादों को प्रतिस्पर्धी विपणन सुविधा।

4- उत्तराखण्ड की लैण्ड लीजिंग पॉलिसी के अन्तर्गत ऑनलाईन व्यवस्था का क्रियान्वयन।

5- उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों/ अनुमोदनों/ अनुज्ञापन आदि के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण। उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था उत्तराखण्ड की लैण्ड लीजिंग पॉलिसी का प्रचार–प्रसार/प्रभावी क्रियान्वयन।

6- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये औद्योगिक विकास योजना–2017 के अंतर्गत

राज्य की अधिकाधिक ईकाईयों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास।

7- राज्य की सभी न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर योजना का क्रियान्वयन।

8- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित फार्मा एवं ऑटो क्लस्टर इकाईयों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने के तारतम्य में क्लस्टर विकास योजना का संचालन विभिन्न चरणों में किया जायेगा।

9- प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये तथा पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित मिनी औद्योगिक आस्थानों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

10- उद्योग मित्र का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इसके अधीन जनपदों में जिला उद्योग केन्द्रों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला उद्योग मित्र की बैठकों का आयोजन प्रभावी रूप से किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों का भी समय–समय पर आयोजन किया जायेगा, जिससे उद्यमियों की समस्याओं का निरन्तर निवारण किया जा सके।

11- प्रदेश में स्टार्टअप नीति के तहत तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन को प्रदेश में ही निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर नवोन्मेषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

12- ''ईज आफ डूईंग बिजनेस'' के अन्तर्गत राज्य में निवेश प्रोत्साहन हेतु ''निवेश प्रोत्साहन सुविधा केन्द्र'' के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा उद्यमियों को परामर्श दिया जा रहा है।

13- राज्य में युवाओं को उद्यम के स्थापनार्थ मार्ग–निर्देशन एवं तकनीकी/प्रबन्धकीय सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मेंटरशिप कार्यक्रम की ऑनलाईन शुरूआत की गई है। पोर्टल के माध्यम से उद्यम स्थापना की इच्छा रखने वाले युवा बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त, तकनीक, विपणन आदि क्षेत्रों में विशेष सलाह ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

14- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अधिनियम–2006 के अध्याय–5 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में गठित लघु एवं सूक्ष्म उद्यम परिषद नियमावली–2018 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये आगामी वर्षों में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लम्बित देयकों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण कर उनके हितों की रक्षा किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

15- देहरादून में **Central Institute of Plastics and Engineering Technology (CIPET)** की स्थापना की गई है, जिसमें डिप्लोमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

16- प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता तथा प्रमाणित उत्पादों की पहचान स्थापित कर कृषि, बागवानी या गैर कृषि उत्पाद अथवा आर्थिक गतिविधियों वाले भौगोलिक क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुये तेजी से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत सभी तरह के खाद्य औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड उत्पाद, बेमौसमी सब्जियां, मसाले, जड़ी–बूटी, औषधीय पौंध, शहद उत्पाद, पुष्प, प्राकृतिक रेशे, ऊन, रेशम, कण्डाली, भीमल आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा।

17- स्वरोजगार एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय।

18- माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के माटी शिल्पियों, कुम्हारों को विद्युत चालित चॉक वितरित किये जायेंगे व विभिन्न प्रकार के मेलों में अपने उत्पादों के विपणन हेतु प्रोत्साहन।

19- उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरष्कार योजना के तहत 05 विशिष्ट शिल्पियों को पुरष्कार।

20- हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो, पर्यटन केन्द्रों में ''हिमाद्रि'' एम्पोरियम स्थापित किये गये हैं तथा अन्य पर्यटक स्थलों पर इनकी स्थापना का कार्य गतिमान है। इन्हें सुदृढ़ करते हुये स्थानीय उत्पादों से निर्मित वस्तुओं, हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन व्यापक स्तर पर किये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण हाट स्थापित किये जा रहे है।

21- हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ लिया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से सर्वांगीण विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हथकरघा कलस्टर तथा स्वैच्छिक संस्थाओं विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं व राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग के माध्यम से सर्वांगीण सहायता प्रदान करने हेतु नियमित प्रयास किये जायेंगे।

22- महिला शिल्पियों की उत्पादकता एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उन्नत डिजाइन एवं गुणवत्ता सुधार का प्रशिक्षण प्रदान करते हुये उनकी जीविका एवं आय में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ महिला शिल्पियों को मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में प्रशिक्षित कर शिल्पों के उन्नयन में रोजगार से जोड़ा जायेगा।

ग्रामोद्योग

खादी एवं ग्रामोद्योग परिचय

खादी का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमे से दो या सभी प्रकार के सूतो के मिश्रण से भारत मे हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है, ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमे स्थाई पूँजी निवेश (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी 50 हजार से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र मे) समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन

उत्तर प्रदेश राज्य मे खादी ग्रामोद्योग सैक्टर के चहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं0 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप मे हुआ था, तदुपरान्त उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं0 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया जिसके फलस्वरूप बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश मे क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायतशासी संस्था के रूप मे पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 मे उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी। इससे पूर्व ये योजनायें प्रथम एंव द्वितीय पंचवर्षी योजनाकाल में उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत संचालित की जा रही थी। पृथक राज्य गठन के पश्चात उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387/2002–133 उद्योग/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मे भी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य

- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोट तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगों को स्थापित करवाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बोर्ड के कार्य

बोर्ड के अधिनियम् की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य है–:

- प्रदेश मे खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितब्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों मे अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियां भी हैं से समन्वय करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास का बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, मार्केटिंग, उत्पाद के पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजायनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना – वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 35, 29, 29, 29, 28, 35 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 65, 68, 64, 54, 66, 34 पूर्ति व बैंकों द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 (लाख में) 475.40, 296.37, 327.63, 294.14, 272.37, 392.52 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 (लाख में) 166.26, 98.54, 123.53, 101.90, 87.51, 119.86 लाख मार्जिन मनी वितरित कर क्रमशः 398, 188, 236, 195, 170, 340 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ब्याज उपादान योजना – वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर, में जिला योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि क्रमशः 2.50, 3.00, 25.00, 5.00, 4.00, 1.50 लाख रूपये विगत पॉच वर्षों में वित्तपोषित उद्यमियों के पक्ष में ब्याज उपादान के रूप में व्यय की गई।

इस प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में क्रमशः 398, 188, 236, 195, 170, 340 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

खादी वस्त्रों की बिक्री – वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 01, 01, 04, 0, 01, 17 संस्था/समितियों द्वारा क्रमशः रू0 938.43, 43.67, 958.42, 0.00, 17.29, 2732.45 (लाख में) लाख की बिक्री कर क्रमशः रू0 (लाख में) 93.84, 4.26, 95.38, 0.00, 1.72, 271.79 लाख प्रान्तीय रिवेट उपलब्ध कराया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण – वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर में 30 व्यक्तियों को खादी कताई का प्रशिक्षण क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) अल्मोड़ा एवं उधम सिंह नगर के मार्गदर्शन में दिया गया प्रशिक्षण में 02 कुन्तल रुई दी गयी जिसकी कीमत रु0 40600.00 है, प्रशिक्षण में सम्बन्धित अन्य सभी खर्च लगाकर कुल रू0 88000.00 व्यय हुआ। जनपद अल्मोड़ा तथा जसपुर में 10 व्यक्तियों को वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 100 किग्रा0 धागा दिया गया, जिसकी कीमत रु0 60,000.00 है तथा जनपद अल्मोड़ा में 01 डिजाइनर की तैनाती की गयी, जिन्हें डिजायन बनाने हेतु सभी खर्चों सहित 2. 45 लाख कुल 2.45 लाख (रूपया दो लाख पैंतालीस हजार) मात्र का व्यय किया गया है।

अध्याय – 13

विद्युत

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, कुमाऊँ क्षेत्र हल्द्वानी के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंह नगर (आंशिक भाग) सम्मिलित है। कुमाऊँ क्षेत्र उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु दृढ़संकल्प है। इसके अतिरिक्त शत–प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करना, टी0 एण्ड डी0 एवं ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना तथा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने हेतु सघन चैंकिग एवं एफ0आई0आर0 की कार्यवाही करना कुमाऊँ क्षेत्र के मुख्य कार्यो की प्राथमिकता में सम्मिलित है। कुमाऊँ क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 6,61,387 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू 5,79,891, वाणिज्यिक 64,142, कृषि 11,517, औद्योगिक 4,299, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 1,538 उपभोक्ता सम्मिलित है।

1. मार्च 2021 तक कुल 87 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित हैं, जिनकी क्षमता 1023.50 एमवीए है।
2. मार्च 2021 तक स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	1460.872 किमी
11 केवी लाई	11934.299 किमी
एल0टी0 लाईन	16686.077 किमी

वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्युत मांग 2871.191 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 2871.191 एम0यू0 (100 %) रही।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत एक विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय हल्द्वानी में स्थापित हैं, जिसके अधीन तीन विद्युत वितरण खण्ड क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड नैनीताल, विद्युत वितरण खण्ड रामनगर, विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी (नगर), विद्युत वितरण खण्ड हल्द्वानी (ग्रामीण) एवं एक विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यरत है। विद्युत वितरण मण्डल, हल्द्वानी के अन्तर्गत कुल 2,63,739 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू 2,27,456 वाणिज्यिक 33,277 कृषि 659 औद्योगिक 1341, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 1006 उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

1. मार्च 2021 तक कुल 30 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 406.50 एमवीए है।
2. मार्च 2021 तक स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	418.462 किमी
11 केवी लाई	3047.390 किमी
एल0टी0 लाईन	4853.836 किमी

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्युत मांग 851.479 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 851.479 एम0यू0 (100 %) रही।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत एक विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय काशीपुर में स्थापित है जिसके अधीन तीन विद्युत वितरण खण्ड क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड काशीपुर, विद्युत वितरण खण्ड जसपुर, विद्युत वितरण खण्ड बाजपुर एवं एक विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यरत है। विद्युत वितरण मण्डल, काशीपुर के अन्तर्गत कुल 1,67,984 नग विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू 1,38,478 नग, वाणिज्यिक 16,166 नग कृषि 10,855 नग औद्योगिक 2,252 नग, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 233 नग उपभोक्ता सम्मिलित है।

1. मार्च 2021 तक कुल 22 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित हैं, जिनकी क्षमता 409.50 एमवीए है।
2. मार्च 2021 तक स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	310.180 किमी
11 केवी लाई	2287.693 किमी
एल0टी0 लाईन	2101.575 किमी

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्युत मांग 1765.550 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 1765.550 एम0यू0 (100 %) रही।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत एक विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय रानीखेत में स्थापित है जिसके अधीन चार विद्युत वितरण खण्ड क्रमशः विद्युत वितरण खण्ड रानीखेत, विद्युत वितरण खण्ड भिकियासैण, विद्युत वितरण खण्ड अल्मोड़ा, विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर एवं एक विद्युत परीक्षण खण्ड कार्यरत है। जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत (विद्युत वितरण खण्ड, रानीखेत, विद्युत वितरण खण्ड, भिकियासैण एवं विद्युत वितरण खण्ड, अल्मोड़ा) कुल 1,59,118 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू 1,48,064, वाणिज्यिक 10,426, कृषि 03, औद्योगिक 384, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 241 उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

1. मार्च 2021 तक कुल 26 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 160.00 एमवीए है।
2. मार्च 2021 तक स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	545.650 किमी
11 केवी लाईन	4874.190 किमी
एल0टी0 लाईन	7404.932 किमी

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्युत मांग 190.185 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 190.185 एम0यू0 (100 %) रही।

जनपद बागेश्वर विद्युत वितरण मण्डल कार्यालय रानीखेत के अधीन सम्मिलित हैं, जिसके अन्तर्गत (विद्युत वितरण खण्ड बागेश्वर में) कुल 70,546 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू 65,893, वाणिज्यिक 4,273, कृषि 0, औद्योगिक 322, सरकारी (जल संस्थान, जल निगम, ऐरीगेशन व स्ट्रीट लाईट) एवं अन्य 58 उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

1. मार्च 2021 तक कुल 9 नग 33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान स्थापित है, जिनकी क्षमता 47.50 एमवीए है।

2. मार्च 2021 तक स्थापित विद्युत लाईनें निम्न प्रकार हैं :

33 केवी लाईन	186.580 किमी
11 केवी लाई	1725.026 किमी
एल0टी0 लाईन	2325.734 किमी

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 में विद्युत मांग 63.977 एम0यू0 के सापेक्ष आपूर्ति 63.977 एम0यू0 (100 %) रही।

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.)

"विद्युत" आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गयी हैं। देश के आर्थिक विकास में विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संचार, परिवहन, मनोरंजन, कृषि, औद्योगिकीकरण के अतिरिक्त घरेलू उपयोग में विद्युत का उपभोग अनिवार्य होता जा रहा है। विद्युत व्यवस्था के निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी. टी.सी.यू.एल.) का क्षेत्रीय कार्यालय 220के0वी0 उपकेन्द्र परिसर कमलुवागांजा, हल्द्वानी में स्थित है, जिसके अन्तर्गत 02 मण्डल स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी एवं काशीपुर में स्थित है। हल्द्वानी मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी, पन्तनगर, सितारगंज एवं अल्मोड़ा तथा काशीपुर मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय 400 के0वी0 काशीपुर, 132 के0वी0 काशीपुर एवं महुवाखेड़ागंज में स्थित हैं।

कुमाऊँ क्षेत्र में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) द्वारा 18 विद्युत उपकेन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो कि कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न जनपदों – ऊधमसिंह नगर में (400 के0वी0 का एक, 220 के0वी0 के दो एवं 132 के0वी0 के सात) कुल 10 उपकेन्द्र, नैनीताल में (220के0वी0 का एक एवं 132 के0वी0 के तीन) कुल 4 उपकेन्द्र, अल्मोड़ा में 132 के0वी0 के 2 उपकेन्द्र, बागेश्वर में 132 के0वी0 का 1 नवनिर्मित उपकेन्द्र एवं पिथौरागढ़ मे 132 के0वी0 का 1 उपकेन्द्र में स्थित है, जिनकी कुल क्षमता 3242 एम0वी0ए0 हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत 1200.825 कि0मी0 (142.700 कि0मी0 –400 के0वी0, 273.484 कि0मी0–220 के0वी0 एवं 784.641 कि0मी0–132 के0वी0) उच्च विभव की पारेषण लाईनों का अनुरक्षण एवं परिचालन भी पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी. यू.एल.) की कुमाऊँ इकाई द्वारा किया जा रहा है।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर में नवनिर्मित नवीनतम तकनीक GIS का 6X7 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 132 के0वी0 उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित 43.757 कि0मी0 132 के0वी0 रानीखेत–बागेश्वर लाईन को दिनांक 07/01/2020 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है। जनपद उधमसिंहनगर में 2×50 एम0वी0ए0 का एक 220 के0वी0 उपकेन्द्र (जाफरपुर) एवं सम्बन्धित 3.89×2 कि0मी0 220 के0वी0 काशीपुर–पन्तनगर लीलो लाईन को दिनांक 31.03.2021 को ऊर्जीकृत कर दिया गया है।

विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने एवं बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए जनपद चम्पावत के लोहाघाट में 2X20 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 132के0वी0 उपकेन्द्र एवं 41.347 कि0मी0 132के0वी0 पिथौरागढ–लोहाघाट लाईन, जनपद पिथौरागढ़ के बरम (जौलजीवी) में 2X25 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 220के0वी0 उपकेन्द्र एवं 21.956 कि0मी0 220 के0वी0 धौलीगंगा–पिथौरागढ (पावरग्रिड) लाईन का बरम उपकेन्द्र में लिलो लाईन का निर्माण भी किया जा रहा हैं।

जल विद्युत

विभाग का परिचय एवं विस्तार

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन ऊर्जा सुधार एवं अन्तरण अधिनियमों के अन्तर्गत 2000 में हो गया था। फलस्वरूप जल विद्युत निगम, पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पारेषण निगम का सृजन हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 09.11.2001 से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड क्रियाशील हुआ। कालान्तर में, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्य करने के उद्देश्य से यूजेवीएन लिमिटेड की स्थापना की गयी। वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड दिनांक 04.04.2011 से प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं उत्पादन के अतिरिक्त सौर ऊर्जा बगास आधारित परियोजनाओं पर भी कार्यरत है एवं गैस चलित ताप विद्युत परियोजनाओं एवं कोल ब्लाक आवंटन क्षेत्र में भी प्रयासरत है। सम्पूर्ण कुमाऊँ मण्डल क्षेत्र में लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाओं के विकासार्थ पिथौरागढ़ में मण्डल कार्यालय क्रियाशील है एवं अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालय मुनस्यारी में स्थापित है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय पोषण

उत्तराखण्ड सरकार के नीतियों के अनुरूप पूर्ववर्ती खण्ड धारचूला एवं थल के अन्तर्गत उत्पादनरत कुल 11.33 मे0वा0 क्षमता की 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को हस्तान्तरित कर दी गयी थी, जिसमें से 4 मे0वा0 की कंचोटी एवं 1.2 मे0वा0 की कूलागाड परियोजना पुनर्निर्माण हेतु वापिस ले ली गयी हैं। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा हैः–

1. तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2X2.5 मे0वा0 सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य।
2. 12 मे0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर0 पूर्ण एवं लैण्ड केस ऑनलाईन फाइल कर दिया गया है।
3. 15 मे0वा0 पैनागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील मुनस्यारी की डी0पी0आर0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
4. 12 मे0वा0 जिम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील मुनस्यारी की डी0पी0आर0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
5. 4 मे0वा0 कंचोटी लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर0 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।
6. 1.2 मे0वा0 कूलागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर0 निर्माण हेतु डिस्चार्ज मापन का कार्य गतिमान है।
7. 120 मे0वा0 सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना, तहसील मुनस्यारी– अनुसंधान एवं नियोजन चरण में है।
8. 230 मे0वा0 की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला– अनुसंधान एवं नियोजन चरण में है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुमाऊँ मण्डल में नदेही एवं बाजपुर शुगरमिल पर क्रमशः 16 मे0वा0 एवं 22 मे0वा0 क्षमता की बगास विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तरांचल शुगर्स से अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिये गये हैं। परियोजनाओं के विकास हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं।

विभागीय कार्यों पर गत वर्षों के सापेक्ष प्रगति एवं समीक्षात्मक आलेख

जून 2013 को आयी प्राकृतिक आपदा के चलते कुमाऊँ मण्डल में उत्पादनरत परियोजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को अभूतपूर्व क्षति पहुॅची। प्राकृतिक आपदा के उपरान्त यथा सम्भव प्रयास करते हुये सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2018–19 की भौतिक प्रगति 87 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019–20 की समाप्ति पर लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य कर लिए गये हैं। तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, की डी0पी0आर0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित है एवं लैंड केस फाईल कर दिया गया है। सेलाउथिंग एवं सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन संबंधी कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। 1.2 मे0वा0 की कूलागाड़ परियोजना का जीर्णोद्धार हेतु डी0पी0आर0 निर्माण का कार्य गतिमान है। वर्ष 2019–20 में 15 मे0वा0 की पैनागाड़ परियोजना, 4 मे0वा0 की कंचोटी परियोजना एवं 12 मे0वा0 की जिम्बागाड़ परियोजनाओं की डी0पी0आर0 का अनुमोदन निदेशक मण्डल से प्राप्त कर लिया गया है।

विभागीय समस्या

नवीन परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर विभिन्न स्तर पर औपचारिकता पूर्ण करने में समस्या आती है। निर्माण प्रारम्भ होने के बाद भी स्थानीय कारणों से कार्य बाधित होता है। परियोजना निर्माण की अवधि बढ़ने से लागत तो बढ़ती है तथा कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण उत्पादन राजस्व की भी हानि होती है। कार्ययोजना का लाभ जनता को देर से प्राप्त हो पाता है।

विभागीय समस्याओं हेतु सुझाव

प्रगति समीक्षा बैठकों के दौरान बहस किये गये मुद्दों के कार्यवृत्त पर निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाना आवश्यक है। कोई नई समस्या आती है तो विभागों को बैठकों के जरिये समयबद्ध तरीके से कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

रोजगार सृजन

परियोजनाओं के निर्माण एवं कमीशनिंग के उपरान्त उत्पादन हेतु परिचालकीय वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आउट सोर्सिंग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से कार्मिकों को अनुबन्धित कर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। नियमानुसार मृतक आश्रितों को भी रोजगार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया सम्पादित करते हुये भी रोजगार प्रदान किये जाते हैं।

अध्याय – 14

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2020–21 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
i	राष्ट्रीय राजमार्ग	किमी0	229.45	128.4	117	204	76	125	879.85
ii	प्रादेशिक राजमार्ग	किमी0	808.33	659.54	312.04	241.77	221.14	258.92	2501.74
iii	मुख्य जिला सड़कें	किमी0	523.72	227.7	175.4	122.52	154.95	125.5	1329.79
iv	अन्य जिला सड़कें	किमी0	477.167	91.01	868.06	115.42	126.85	20.23	1698.74
v	ग्रामीण सड़कें	किमी0	2631.18	2680.08	1148.63	1859.01	634.57	771.05	9724.52
vi	हल्का वाहन मार्ग	किमी0	27.72	87.16	73.05	--	5	39.7	232.63
vii	सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत मोटर सड़कें	किमी0	--	--	149.11	--	--	120	269.11
viii	जिला पंचायत	किमी0	--	292	--	479.88	--	--	771.88
ix	शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य	किमी0	16.45	156.78	42.87	1003.05	--	48.67	1267.82
x	सिंचाई विभाग	किमी0	--	147.56	--	650.43	--	--	797.99
xi	गन्ना विभाग	किमी0	--	48.53	--	408.87	--	--	457.40
xii	वन विभाग	किमी0	119.59	677.84	11.3	--	1.2	252.31	1062.24

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमाऊँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 412.77 किमी0 है। कुमाऊँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 586.65 किमी0, नैनीताल में 435.06 किमी0, अल्मोड़ा में 786.53 किमी0, पिथौरागढ़ में 573.12 किमी0, बागेश्वर में 450.46 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर 231.09 किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊँ मण्डल में प्रति हजार वर्ग किमी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई 998.08 किमी0 है। कुमाऊँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 479.82 किमी0, नैनीताल में 1222.44 किमी0, अल्मोड़ा में 1539.86 किमी0, चम्पावत में 2879.36 किमी0,

बागेश्वर में 784.23 किमी0 तथा पिथौरागढ़ में मात्र 408.67 किमी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहॉ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहॉ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :– मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाईनें उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती हैं, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाईनों की कुल लम्बाई 212 किमी0 है, इन रेल लाईनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहां तक पहुॅचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :– वर्ष 2020–21 तक कुमाऊँ मण्डल में 1147 डाक घर स्थापित हैं। कुमाऊँ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 323, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 152, ऊधमसिंह नगर में 111 तथा चम्पावत में 82 डाकघर हैं। कुमाऊँ मण्डल में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 22871 है। 3750 जनपद अल्मोड़ा में, 10335 जनपद नैनीताल में, 594 जनपद चम्पावत में, 1966 जनपद पिथौरागढ़, 5582 जनपद ऊधमसिंह नगर तथा बागेश्वर में 644 टेलीफोन कनैक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 15

पर्यटन

कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची–नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहॉ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची–नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश–विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।

जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैंची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहॉ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रूद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में माँ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहां प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।

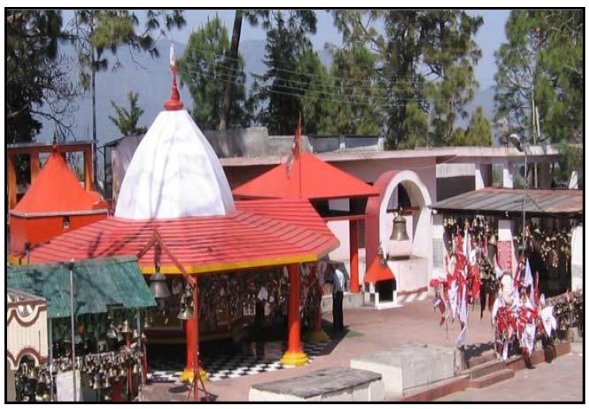

जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।

जनपद पिथौरागढ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में मॉ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब में सिक्खों का प्रसिद्व गुरूद्धारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :– अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमाऊँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहॉ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुऐं व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में ''गोल्लू'' का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता हैं कि मन्नतें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्नत पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी–बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पार्क :– अल्मोड़ा से 3 किमी0 दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है, जहां हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू हैं।

अल्मोड़ा से 6 किमी0 दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहॉ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहॉ रूकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी0 दूर 2420 मी0 की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहां से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा

फूल पाये जाते है इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणार्क के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी0 दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहॉ से हिमालय का विस्तृत श्रृंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्‌भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमाऊँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी0 चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहां से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी0 व बागेश्वर से 39 किमी0 की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमाऊँ भ्रमण के दौरान महात्मा गॉधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी0 की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थी। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमाऊँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहॉ पहुॅचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है।

नैनीताल से 22 किमी0 दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी0 की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21 किमी0 की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पार्क में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वछन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से 4 किमी0 आगे नया गॉव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची मन्दिर जहॉ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहॉ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहॉ का गुरूद्वारा, कुआँ व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध हैं। यह विश्वास है कि यहॉ गुरू नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी0 दूरी पर

चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहॉ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहॉ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी0 दूर ध्वज से हिमालय श्रृखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी0 की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहॉ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी0 की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी0 पर गुपतड़ी तथा वहॉ से 8 किमी0 पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहॉ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी0 व बेरीनाग से 9 किमी0 दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहॉ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्वालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर–दूर से कई श्रद्वालु आते है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसेरों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	**8**	**15**	**444**
2	बागेश्वर	**25**	**9**	**318**
3	नैनीताल	**22**	**17**	**715**
4	ऊधमसिंह नगर	**13**	**3**	**88**
5	पिथौरागढ़	**8**	**10**	**405**
6	चम्पावत	**28**	**7**	**196**
योग मण्डल		**104**	**61**	**2166**

जनपद में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं देने हेतु विभाग द्वारा धार्मिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों, पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण एवं शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार देने हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास (होम स्टे) विकास योजना, अतिथि गृह आवास योजना, दीन दयाल मातृ पित्र तीर्थाटन योजना संचालित की जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनायें–

1– **वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना–** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग में वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वर्ष 2002 में लागू की गयी। जिसके अंतर्गत 8–10 फास्टफूड सेन्टर, रैस्टोरेन्ट, मोटर गैराज, योगध्यान केन्द्र, फोटोग्राफी उपकरण सोविनियर शॉप, हरबल टूरिज्म, संग्रहालय निर्माण, हस्त शिल्प शोरूम, साहसिक पर्यटन उपकरण, होटल/मोटल, बर्ड वाचिंग उपकरण क्रय, एस्ट्रो टूरिज्म के उपकरण क्रय, आल टैरेन बाईक्स, बेकरी शॉप, लॉण्ड्री एवं बस, टैक्सी, जिप्सी, कैरावैन, टैम्पो ट्रैवलर आदि के लिए बैंकों के माध्यम से योजनाओं हेतु ऋण सुविधा एवं उद्यमी को अनुमोदित योजना पर मैदानी क्षेत्र में गैर वाहन मद में 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 10 लाख तक पर्वतीय क्षेत्र में 33 प्रतिशत अधिकतम रू0 15 लाख, वाहन मद में पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता हैं।

2– दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना –

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन के विकास व रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना व नये पर्यटन स्थलों का विकास, राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना हेतु शर्ते भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो और वहा मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो, भवन को होम स्टे योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पर्यटकों के लिए 01 से 06 तक कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी, योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता है। अनुमोदित योजना पर मैदानी क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 25 प्रतिशत अथवा 7.50 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.00 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षो तक मान्य होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 33 प्रतिशत अथवा 10.00 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.50 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षो तक मान्य होगा।

3–दीनदयाल मातृ पित्र तीर्थाटन योजना – उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 65 वर्ष या 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के अन्तर्गत दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना आरम्भ की गयी है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं। सहायक को खर्च में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इच्छुक बुजुर्ग जिला पर्यटन कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत करा सकते हैं। जिसके अन्तर्गत श्री गंगोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, रीठा साहिब, नानकमत्ता, पिरान कलियर सरीफ, ताड़केश्वर, कालीमठ, जागेश्वर, गैराड गोलू, हनोल, गंगोलीहाट तथा बैजनाथ की यात्रा कराई जाती है।

4– उत्तराखण्ड अतिथि गृह आवास पंजीकरण योजना – अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास पंजीकरण योजना का उद्देश्य विदेशी व देशी पर्यटकों के लिए एक साफ व किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने व उनकी संस्कृति का अनुभव व उनकी परम्पराओं को समझने तथा उत्तराखण्डी व्यंजनों के सुस्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा। इस योजना के अनतर्गत आवासीय इकाई को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीन श्रेणियों में पंजीकरण किया जाता है। भवन स्वामी के भवन का पंजीकरण 2 वर्षों के लिये गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज श्रेणी में भवन में पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति का आंकलन करते हुए समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑन लाईन पंजीकरण हेतु विभागीय वेब साईट www.uttarakhandtourism.net.in में आवेदन किया जाना होता है।

5– उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण :– इस नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण हेतु जनपद में अवस्थित पर्यटन गतिविधियों से सम्बन्धित इकाईयां यथा– होटल/मोटल/गेस्ट हाउस/टैन्ट कालोनी/आश्रम/धर्मशाला/कैरावैन/हाउस बोट/रैस्टोरेन्ट/कैफे/बेकरी/बार/फूडट्रक/ट्रैवल ऐजेन्सी/टूर आपरेटर/एम्यूजमेंट पार्क/रोप–वे संचालन/साहसिक खेल गतिविधियों के संचालन/योग–ध्यान केन्द्र/टाइम शेयर अपार्टमेंट अन्य पर्यटन सम्बन्धी इकाईयों का ऑन लाईन पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु विभागीय वेब साईट www.uttarakhandtourism.net.in में आवेदन किया जाना होता है।

8– पर्यटन सांख्यिकीय :– वर्ष 2020–21 में जनपद नैनीताल में भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या निम्नवत हैः–

देशी	विदेशी	कुल
4.37.044	4.081	4.41.125

अध्याय – 16

शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के चहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजर्थिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा उत्तम जन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

कुमाऊँ मण्डल (31 मार्च 2021 तक) के जनपद में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में .कुल प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों कि संख्या.

प्राथमिक स्कूल क्रमशः शासकीय

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
1272	564	483	946	1052	785

उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमशः शासकीय

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
170	111	92	200	217	200

विद्यालयों का उच्चीकरणः–वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के तहत लॉकडाउन होने के कारण कुमाऊँ मण्डल में राजकीय जूनियर हाईस्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण नहीं हुआ है।

प्राथमिक शिक्षा :– प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को सम्वर्धनात्मक शिक्षण, सी0सी0ई0, कम्प्यूटर शिक्षा एवं नवाचारी कार्यक्रम द्वारा रूचिकर शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती रही है। वर्ष 2002 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को सशक्त करने हेतु संचालित किया जा रहा है, तथा कोविड–19 के फलस्वरूप विद्यालय में पठन–पाठन का कार्य शिक्षकों के द्वारा ऑनलाईन/ऑफलाईन वर्कसीट के माध्यम से किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
3727	1854	2669	8162	5254	25796

व्यय धनराशि लाख में–

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
821.49229	195.6567	332.41948	1059.66	1202	2815.61

क्रीड़ा क्षेत्र की उपलब्धियाँ– वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल. में कोविड–19 के फलस्वरूप विद्यालय बन्द होने के कारण छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग नही किया गया।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :– समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक एवं राजकीय व सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/स्कूलों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सैक्टर के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के क्रय हेतु धनराशि डी0वी0टी0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातो में स्थानान्तरित किया गया।

व्यय लाख की धनराशि

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
131.55	64.9855	67.61450	186.68	91.9730	350.26

छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
41150	20620	21466	59495	29309	112350

निःशुल्क गणवेश वितरण :– समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक की समस्त, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं बी0पी0एल0 वर्ग के बालिकाओं एंव बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क गणवेश क्रय करने हेतु धनराशि कोविड–19 के तहत लॉकडाउन होने के कारण डी0बी0टी0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के खातों में स्थानान्तरित किया गया। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

लाख की धनराशि व्यय

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
231.83	118.03	126.60	280.28	174.00	514.95

छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
38640	19671	21100	46711	28996	85825

समावेशित शिक्षा :– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु बच्चों के उचित चिह्नांकन हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा छात्र–छात्राओं का शिविर में परीक्षण उपरान्त उपकरण वितरण किये जाते हैं। वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के फलस्वरूप उक्त शिविर का आयोजन नहीं किया गया है। कुमाऊँ मण्डल के जनपदवार बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, को एस्कोर्ट सुविधा प्रदत्त की गयी।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
261	160	179	410	233	400

बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
7	16	0	51	33	48

बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किये गये।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
33	44	48	77	68	103

समावेशित शिक्षा में धनराशि व्यय की गयी। (लाख में)

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
7.66	3.85	4.38	14.46	6.17528	18.96

मध्यान्ह भोजन :– कुमाऊँ मण्डल के राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक., सहायता प्राप्त प्राथमिक., .सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक., विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
1751	786	681	1393	1488	1279

इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के तहत लॉकडाउन होने के कारण विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में छात्र–छात्राओं को पोषण हेतु कुकिंग कॉस्ट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से छात्र–छात्राओं के खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रेषित की गई तथा जिन छात्र–छात्राओं के खाते नहीं थे, उन्हें धनराशि का नकद भुगतान विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया है व खाद्यान्न (चावल) वितरित किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में किचन कम स्टोर रूम वितरित किये।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
1722	744	681	1318	1428	1192

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में विद्यालयों को **रू0 10000** की दर से बर्तन क्रय करने हेतु धनराशि प्राप्त हुई जो कि विद्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है एवं विद्यालय स्तरीय एम0एम0ई0 के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कोविड–19 होने के कारण विद्यालय के छात्र–छात्रओं को हाथ धोने के लिए साबुन व सैनिटाइजर क्रय करने हेतु आकस्मिक व्यय के रूप में **रू0 15000** की दर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार क्रमशः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में क्रमशः विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जाने हेतु **रू0 5000.00** की दर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़	उ0सिं0न0
58	632	49	40	929	36

जिनमें पैदा की गई सब्जियां विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल हो रही है। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस को समस्त विद्यालयों में सामूहिक जन्मोत्सव मनाया जाता है। किन्तु वर्ष 2020–21 में कोविड–19 होने के कारण विद्यालयों में जन्मोत्सव का आयोजन नही किया गया। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व संदर्भित बच्चों को बीमारियों के अनुरूप दवाएं बाँटी जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में धनराशि व्यय की गयी।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
1243.25	614.50	688.86	92.85	1233.00	2699.27

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :– कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति तथा बी0पी0एल0 परिवार की ऐसी छात्राएं जो विद्यालय जाने से वंचित रह गई हैं, को निःशुल्क शिक्षा, आवास, पठन सामग्री, वेशभूषा, भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है। कुमाऊँ मण्डल में धनराशि व्यय की गयी।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
58.19	19.05	54.19	12.98	66.63	81.75

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत के.जी.बी.वी. हेतु वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
96	50	150	150	150	200

एम.आई.एस.:– परियोजना के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों से सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सूचना प्रणाली तंत्र विकसित किया गया है जिसमें विद्यालयों से न्यूपा नई दिल्ली द्वारा तैयार यू–डायस सॉफ्टवेयर से डी.सी.एफ. प्रपत्र प्रिंट कर उसमें सूचनाएं प्राप्त कर संकलन के उपरान्त डाटा फीड कर सम्पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को प्रेषित की जाती है। विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संकलन उनके स्कूल रिपोर्ट कार्ड के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। यू–डाइस के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया जाता है।

उन्नति कार्यक्रम –

वर्तमान समय में राष्ट्रीय– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व है, यह सर्व विदित है कि अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है, जो सभी व्यक्तियों, संस्कृतियों व देशों को आपस में जोडती है। इस कार्यकमों को जनपद में I.S & F.S देहरादून द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समावेशित शिक्षाः– समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु कुमाऊँ मण्डल के जनपद कुमाऊँ मण्डल के जनपद क्रमशः अल्मोड़ा बागेश्वर ,चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर शिविर आयोजित किये गये।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
33	21	1	03	2	117

जनपद क्रमशः अल्मोड़ा बागेश्वर ,चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधमसिंहनगर में शिविर आयोजित कर छात्रों को लाभान्वित किया गया।

अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	पिथौरागढ़,	उ0सिं0न0
33	44	48	77	68	233

प्राविधिक शिक्षा विभाग

कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत, में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु क्रमशः 08, 12, 09, 17, 03, 04 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान क्रमशः 08, 12, 05, 05, 03, 03 निजी प्राविधिक शिक्षण संस्थान क्रमशः 0, 0, 04, 12, 0, 01 है। अल्मोड़ा में महिला पॉलीटेक्निक संचालित है। महिला पॉलीटेक्निक में केवल महिला अभ्यर्थियों को ही विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त संस्थानों में प्रवेश हेतु वर्तमान में प्रादेशिक स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स (JEEP) आयोजित की जाती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स (JEEP) के माध्यम से मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाईन काउंसिलिंग के उपरान्त संस्थान आवंटित किया जाता है।

उपरोक्त सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है। छात्र/छात्राओं के सेवायोजन हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों को आमन्त्रित कर परिसर साक्षात्कार आयोजित कराया जाता है। परिसर साक्षात्कार के माध्यम से इस वर्ष लगभग 30 प्रतिशत

छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों यथा बजाज ऑटो सिडकुल रूद्रपुर, टाटा मोटर्स रूद्रपुर, सैमसंग नोइडा, स्पाइसर इंडिया, शिनाईजर इलैक्ट्रिक सिडकुल रूद्रपुर, माईक्रोमैक्स सिडकुल कम्पनी, भगवती परो लि0, टेक्सट्रोन टेक्नोलॉजी लि0 लखनऊ, जिन्दल स्टील एण्ड पावर हरियाणा, आनन्द ग्रुप ऑफ कम्पनी चेन्नई, कैवेन्डिस इडस्ट्रीज हरिद्वार, आदि में सेवायोजन का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सामुदायिक विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ–साथ संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवायोजन इकाई के अन्तर्गत समय–समय पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाये जाते है।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर, में उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु पॉलीटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2020–21 में विभिन्न ब्राचों में 14489 सीटों के विपरीत 7344 विद्यार्थी भर्ती/अध्ययनरत् है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र–छात्राएं विभिन्न प्रकार से इसको अपने व्यवसाय से जोडकर नवीन तकनीकी का लाभ उठा सकते हैं।

- विभिन्न विभागों की वेबसाइट से रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना।
- पत्र (समाचार पत्रों, पत्रिका, पम्पलेट, पोस्टर) के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी प्रसारण व जानकारी।
- इन्टरनेट के प्रयोग से जानकारी प्राप्त करके व्यवसाय में प्रवेश करना।
- प्रशिक्षण के उपरान्त व्यक्ति तकनीकी से सम्बन्धित लघु उद्योग, साइबर कैफे, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण एवं व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।
- दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी प्रसारण व जानकारी।
- नवीन तकनीकी द्वारा कुटीर उद्योगों को सफल एवं उच्च कोटि का व्यवसाय बनाने हेतु जानकारी इन्टरनेट से प्राप्त की जा सकती है।
- लघु एवं कुटीर उद्योग से सम्बन्धित पी0पी0टी0 तैयार करके वेबसाइट से अपलोड करके उद्योगों को उच्च कोटि का बनाया जा सकता है।

तकनीकी शिक्षाः– प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्ति को विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक के लिए वांछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण का होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है। इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से जनपद अल्मोड़ा में भी व्यावसायिक शिक्षा हेतु आधुनिक एवं परम्परागत व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण संस्था स्थापित की गयी है, जो कि युवकों की शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके या स्वयं कुटीर अथवा लघु उद्योगों को स्थापित कर सके। जैसा कि सभी जानते है कि आज टैक्नोलाजी का युग है, जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं हैं, जहां पर तकनीकी का प्रयोग न किया जा रहा हो। व्यवहार जगत में देखा जाय तो बैंक, कार्यालय, पोस्ट ऑफिस से लेकर व्यक्तिगत जीवन भी नवीन तकनीकी से प्रभावित है।

शिक्षा जगत में तकनीकी सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है। हम यहां तक भी कह सकते है कि जिस व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नही है उसको हम निरक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी कथन से हम तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं।

वर्तमान समय में व्यवहारिक जीवन पूर्ण रूप से टेक्नालाजी से प्रभावित है। अतः व्यवहारिक समायोजन हो पाए इस हेतु शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में पूर्ण जीवन प्रकिया तकनीकी पर आधारित है। अतः हमें तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, तथा व्यवहारिक जीवन में उसका सदुपयोग भी अत्यन्त आवश्यक है।

हमारा उदेश्य केवल तकनीकी शिक्षा देना नहीं है, वरन शिक्षा में नवीनतम टैक्नोलॉजी का समावेश होना भी है अर्थात आज मुख्य आवश्यकता है। तकनीकी को शिक्षा का माध्यम बनाना, क्योंकि आज शिक्षा में निरन्तर नवीन विकास/परिवर्तन आ रहे हैं, का ही परिणाम है।

हमारी नवीन पीढी हमारा युवा वर्ग विकास की ओर अग्रसर हो तथा विकसित देशों के सापेक्ष जीवन में सफलता प्राप्त कर राष्ट्र की सेवा कर सकें, इसके लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार टेक्नोलाजी का प्रयोग किया जाय। सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा को तकनीकी विकास से प्रभावित करना है। इसके लिए इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि किस प्रकार तकनीकी का प्रयोग शिक्षण कार्य में करके शिक्षण को रूचिकर आसान व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में भी तकनीकी बहुत कारगर सिद्ध होगी। शोध, लेखन में तकनीकी का विशेष योगदान है, इन्टरनेट विश्वकोष द्वारा नवीन विषय साहित्य का संकलन किया जा सकता है। इन्टरनेट द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूरस्थ स्थानों में बैठकर भी शिक्षा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज तकनीकी शिक्षा से आच्छादित है, और हमें चाहिए कि इसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय।

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा

वर्ष 2019–20 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 82 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। जिसमें विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण ट्रेडों के अन्तर्गत 7546 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष क्रमशः 4226 विद्यार्थी अध्ययनरत/भर्ती है।

अध्याय – 17

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पुनर्रक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क बलगम की जांच व सम्पूर्ण अवधि की औषधियों की आपूर्ति की जाती है। इस कार्यक्रम में मरीजों को औषधियों डॉट्स निरीक्षकों द्वारा अपने सामने ही खिलाई जाती है। मरीजों को औषधियां खिलाने की इस पद्धति को Directly Observed Treatment Short Course (डॉट्स) कहते है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौराढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1058, 2451, 707, 289, 888, 10218 कुल 15611 मरीजों को देखा गया एवं क्रमशः 2447, 322, 536, 149, 206, 3517 मरीज धनात्मक पाये गये तथा कुल 7177 मरीजों का उपचार किया गया।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0बी0डी0पी0) एन0वी0बी0डी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू चिकनगुनिया, कालाजार, जापानीज इन्सफलाइटिस बीमारियों का नियंत्रण एवं इलाज किया जाता है। इससे सम्बन्धित जांच व उपचार निःशुल्क किया जाता है। मलेरिया तथा डेंगू की जांच के लिए निकटतम चिकित्सा इकाई व आशा तथा ए0एन0एम0 से सम्पर्क किया जा सकता है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौराढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 17448, 2628, 14290, 3429, 1334, 23540 रक्त पट्टिका एकत्रित कर नैनीताल में 02 पिथौरागढ 0, अल्मोडा में 0, चम्पावत 04, बागेश्वर –0, उधमसिहनगर में 02, मरीज मलेरिया धनात्मक पाये गए, जिनका निःशुल्क उपचार किया गया।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों की टीम द्वारा समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, किशोर व किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा आर0बी0एस0के0स्तरीय चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। भ्रमण करने वाली चिकित्सकों की टीम द्वारा किसी रोग से ग्रसित बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रा0स्वा0केन्द्र, सामु0स्वा0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय में संदर्भित किया जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में भेजने, चिकित्सा उपचार व वहॉ से वापस लाने की सुविधा निः शुल्क की जाती है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 18102, 20496, .32915, 20989, 9378,. 45926, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्रमशः 96, 187, 28, 48, 0, 2289 गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा गया।

राष्ट्रीय अंन्धता उन्मूलन कार्यक्रम (एन0बी0सी0पी0) :– राष्ट्रीय अन्धता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क मोतिया बिन्द के आपरेशन लैंस प्रत्यारोपण किया जाता है, तथा विद्यालयों में ऑखों की जॉच करने के पश्चात् बच्चों को निकटतम सामु0स्वा0 केन्द्र व जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाता है। 60 वर्ष के ऊपर आयु के बृद्धों को भी आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 3461, 1059 , 1119, 266, 132, 3167, मोतिया बिन्द के आपरेशन किये गये।

जननी सुरक्षा योजना(जे0एस0वाई.) :– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराने व प्रसव के 48 घण्टे संस्थान में रूकने के बाद रू0 1400 (ग्रामीण) व 1000 (शहरी) का वित्तीय लाभ

दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को रू0 500 पोषण हेतु गर्भावस्था के 7 वें महीने में सम्बन्धित क्षेत्र की ए0एन0एम0 के माध्यम से दिये जाते हैं ।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमशः. 9904, 4620, 5189, 1895, 2404, 36744, महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया गया।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) :– इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला के पंजीकरण से लेकर प्रसव के बाद 42 दिनों तक तथा नवजात शिशु के 1 वर्ष पूरा होने तक समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें व चिकित्सालय तक आवागमन की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाती है। खुशियों की सवारी के माध्यम से प्रसव के दौरान व प्रसवोपरान्त महिला को चिकित्सालय से घर छोडने की ब्यवस्था व 108 एम्बुलैंस द्वारा चिकित्सालय तक लाने की सुविधा उपलब्ध है। गर्भस्थ भ्रूण की सही स्थिति व वृद्धि की निगरानी हेतु 04 जॉचें ए0एन0एम0 द्वारा करायी जाती है। जॉच में ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा हीमोग्लोबिन, ब्लडप्रेशर, पेशाब की जॉच व आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड भी कराया जाता है तथा इसी के अनुसार सलाह व ईलाज किया जाता है, प्रत्येक महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करने के लिये आशाओं/ए0एन0एम0 द्वारा संस्थागत प्रसव के मामलों में 06 गृह भ्रमण व घर पर प्रसव होने पर 07 गृह भ्रमण किये जाते हैं। इस भ्रमण में मातृ शिशु स्वास्थ्य में कोई जटिलता पाये जाने पर निकटवर्ती चिकित्सा ईकाईयों में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत निः शुल्क उपचार की व्यवस्था कराई जाती है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः .16871, 4620, 5189, 2398, 1114, 36744, महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :– किशोर एवं किशोरियों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में जानकारियां शरीर से सम्बन्धित मुद्दों पोषण विकास व स्वच्छता की जानकारी एवं क्लिीनिकल तथा काउंसलिंग के रूप में परामर्श दिये जाने हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल–1500 एव ऊधमसिंह नगर 359 ग्रामों में किशोर एवं किशोरियों के समूह बनाकर आपस में बैठकों के माध्यम से किशोर/किशोरियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर चिकित्साधिकारियों, ए0एन0एम0, आशा, आगनबाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से परामर्श दिये जाने का कार्य किया गया। सामु0 स्वा0 केन्द्र में किशोर, किशोरियों में शारीरिक मानसिक समस्याओं के चिकित्सकीय निदान हेतु ए0एफ0सी0सी0 (एडोल्सेन्ट फैन्डली काउन्सिलिंग क्लीनिक) स्थापित किये गये हैं, जिसमें चिकित्सकों द्वारा किशोर, किशोरियों की समस्याओं का चिकित्सकीय निदान/परामर्श प्रदान किया जाता है।

फेमिली प्लानिंग इन्डोमिनिटी स्कीम :– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल नसबन्दी, शारीरिक जटिलतायें अथवा मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी/प्रार्थी को उक्त प्रकरण के 90 दिनों के अन्तर्गत दावा करने पर क्षति पूर्ति के रूप में रू0 30000 से रू0 2 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाती है। क्षति पूर्ति हेतु आवेदन सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नसबन्दी के कारण मृत्यु होने पर (अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान मृत्यु होने में भी देय) या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 07 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 2.00 लाख. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 08 से 30 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 0.50 लाख, असफल नसबन्दी होने पर रू0 0.30 लाख प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में –0.60 लाख क्षति पूर्ति के रूप में व्यय किया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक समिति का गठन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10000 अथवा केन्द्र द्वारा निर्धारित धनराशि आशा तथा

ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य के संयुक्त खाते के द्वारा खर्च की जा सकती है, इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिये तथा समिति के अध्यक्ष ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य होती है। वी0एच0एस0एन0सी0 की सदस्य सचिव और संयोजन ग्राम की आशा होती है, ग्राम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग समिति के सहमति की दशा में ग्राम के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण हेतु किया जा सकता है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में 39.13, पिथौरागढ 80.45 अल्मोडा 10.76 चम्पावत में 3.48, बागेश्वर में 0, ऊधमसिंह नगर में 32.85 लाख खर्च किया गया।

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस

वर्ष 2020–21 में चयनित कुमाऊँ मण्डल के, ऊधमसिंह नगर में 7140, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन कर 8.92 लाख खर्च किया गया ।

ई0एम0आर0आई0 108 आकस्मिकता में : ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहुँचाने के साथ–साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। 108 सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गर्भवती महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु पहुँचाने में विशेष सहायता मिली है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 23, 18, 12, 5, 5, 8, वाहनों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

आयुष्मान भारत – अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना – 23 सितम्बर 2018 से माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत –प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुमारम्भ (प्रत्येक परिवार को रू0 5 लाख) तक का स्वास्थ्य बीमा कवर होना है–

पात्र परिवार –सामाजिक आर्थिक व जाति सर्वे 2001 की श्रेणी के अनुसार।

दिनांक 25 दिसम्बर 2018 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त परिवारो को रू0 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाना हैं।

पात्र परिवार– अ– सामाजिक आर्थिक व जाति सर्वे 2011 की श्रेणी।

ब– मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कार्डधारक।

स– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट राशन कार्डधारक।

(परिवार के किसी सदस्य का वोटर आई डी 2012 की सूची में नाम अनिवार्य)

समस्त परिवार अपने निकटतम राजकीय चिकित्सालय (सी0एच0सी0लेवल व ऊपर के) में मुफ्त में व कॉमन सर्विस सैन्टर में रू0 30/– में पंजीकरण कर अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

आवश्क दस्तावेज – पीएमलेटर (एस ई सी सी) /रासनकार्ड (एन0एफ एस ए) /आर एस बी वाईकार्ड/सी एम लेटर बोटर लिस्ट 2012 में नाम अनिवार्य

आई0पी0डी0 में 1350 बीमारियां कवर हैं (हृदय रोग/हड्डी रोग/कैंसर/सर्जरी/न्यूरोसर्जरी/व अन्य)

ओ0पी0डी0 में 105 प्रकार की बीमारियों हेतु डे केयर सुविधा उपलब्ध।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद में क्रमश– नैनीताल में 31–3–2021 तक कुल कार्ड की संख्या 1,50,208, जनपद पिथौरगाढ में 72343, जनपद अल्मोडा में 59593, जनपद चम्पावत में 82383, जनपद बागेश्वर में 118, जनपद उधमसिंहनगर में 606393 कार्ड बनाये गये हैं ।

अर्बन स्वास्थ्य कार्यक्रम – मलिन बस्तियों हेतु एन.एच.एम. के अन्तर्गत अर्बन हैल्थ सेन्टरों की स्थापना की गयी है, जिसमे मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं शिशुओं को टीकाकरण/प्रतिरक्षण कार्यक्रम/परिवार कल्याण /ओ0पी0डी0/जांच आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में 05, पीएचसी संचालित की गयी।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 – कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का प्रत्येक 90 दिनों में निरीक्षण किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु लगातार शिविर आयोजित कर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनता को जागरूक किया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर कमियां पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है, परिणामस्वरूप लिंगानुपात में वृद्धि है तथा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है।

प्रतिरक्षण :– पैन्टावैलेन्ट वैक्सीन 05 जानलेवा बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती है तथा पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है जो कि निःशुल्क उपलब्ध है।

बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने हेतु नियमित प्रतिरक्षण के अलावा विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह व आउटरीच सेसन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में आशा के द्वारा किसी भी 0–5 वर्ष के बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण कराने पर 150.00 रू0 दिया जाता है। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमशः 16592, 7228, 7638, 4388, 3410, 31936 बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कर क्रमशः रू0 64.32, 39.67, 68.55, 6.23, 38.51, 90.12 लाख व्यय किया गया।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के तहत संचारी रोगों की रोकथाम करने हेतु जनपद स्तर पर निगरानी तन्त्र की स्थापना की गयी है, किसी भी प्रकार का आउटब्रेक होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

ब्लड बैंक – वर्तमान में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, चम्पावत रक्तकोष की स्थापना की गयी है, जिसमें लगभग क्रमशः 17742, 2462, 1174, 0, 7170, 76 यूनिट रक्त प्रतिवर्ष एकत्र किया गया है। रक्त अवयव (कम्पोनैन्ट) की सुविधा सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी एवं एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर उधमसिंहनगर में उपलब्ध है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– जनपदों में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत आई0सी0टी0सी0 एवं ए0आर0टी0 केन्द्रों की स्थापना की गयी है व काउन्सलरों के माध्यम से एड्स नियंत्रण सम्बन्धित परामर्श के साथ–साथ जनजागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं, जिसके अर्न्तगत मण्डल में कुल 140 रोगियों का ए0आर0टी0 केन्द्रो के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जा रहा हैं।

एस0एस0बी0 – राष्ट्र की सीमा पर तैनात हमारे जांबांज एस0एस0बी0 द्वारा टनकपुर क्षेत्र में स्वयं का अस्पताल चलाया जा रहा है।

एन0एच0पी0सी0– जनपद चम्पावत के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले टनकपुर क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो पॉवर कॉरपोरेशन का अस्पताल भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है।

जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन इकाई(एफ0आर0यू0)– वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन ईकाई (एफ0आर0यू0) में 16 इकाईयां कार्यरत हैं, जहां पर प्रसव की सुविधायें उपलब्ध हैं।

खुशियों की सवारी – राष्ट्रीय स्वास्स्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपदो में खुशियों की सवारी वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमश 13, 8, 4, 0, 0, 0 वाहन हैं।

अन्टाइड फण्ड – चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत अन्टाइड फण्ड प्रदान किया जाता है जो कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उपकरण आदि के लिये दिया जाता है जो चिकित्सालय की उपलब्धि के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

प्रतिरक्षण	अल्मोड़ा	पिथौरागढ	नैनीताल	उधमसिंह नगर	बगेश्वर	चम्पावत
गर्भवती माताओं का पंजीकरण	8854	7206	17511	36358	4350	4235
प्रतिरक्षण	7626	7228	16592	31936	3531	4388
परिवार कल्याण						
पुरूष नसबन्दी	0	01	13	08	31	0
महिला नसबन्दी	280	511	990	815	443	552
ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	8167	4904	6222	7140	780	2687
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की संख्या	32915	20496	18102	45926	9378	20989

अध्याय – 18

बाल विकास

वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल में के जनपद पिथौरागढ, अल्मोडा, नैनीताल, उधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत, में क्रमशः 1111, 1860, 1416, 2387, 834, 681 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

अनुपूरक पोषाहार – अनूपूरक पोषाहार अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को कुक्ड फूड योजनान्तर्गत प्रतिदिन ताजा पका भोजन खिलाया जाता है। गर्भवती, धात्री महिलाओं एंव 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु अनुपूरक पोषाहार अन्तर्गत टेक होम राशन योजनान्तर्गत प्रत्येक आगंनबाडी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को वजन एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है साथ ही टी0एच0आर0 का वितरण भी किया जाता है।

टी0एच0आर0 सामग्री

लाभाथी वर्ग	सामग्री	मात्रा
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दालें/मूंग दाल/काला भट्ट अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड़ अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
गर्भवती एवं धात्री महिलायें	सोयाबीन दाल अथवा मूंग दाल/स्थानीय दालें /काला भट्ट	1.50 किलो 900 ग्राम
	मडुआ का आटा	2.00 किलो
	नमक	1 पैकेट
	गुड़/चीनी अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
अति कुपोषित बच्चों हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दालें/मूंग दाल अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड़ अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
	अण्डे अथवा फल (सेब, खुमानी, सन्तरा आदि) बादाम अथवा अखरोट	10 अण्डे (सप्ताह में दो बार)

जनपद में कुक्डफूड योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा पोषक आहार (नाश्ता–भोजन)

मार्च से नवम्बर तक का समय

क्र0 सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा अथवा सूजी)	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा मीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना	खिचड़ी

दिसम्बर से फरवरी तक

क्र0सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना गुड़ के साथ	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा एवं बेसन मिक्स अथवा सूजी) मिठास में गुड़ का उपयोग	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली गुड़ के साथ	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा मीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना गुड़ के साथ	खिचड़ी

कुक्ड फूड/टेक होम राशन योजनान्तर्गत निम्न निर्धारित वित्तीय मानक अन्तर्गत माह में (25 दिन) हेतु। धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है–

- 6 माह से 03 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – **रु0 200.00**
- 3 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – **रु0 200.00**
- गर्भवती एवं धात्री महिला हेतु – **रु0 237.00**
- अति कुपोषित बच्चों हेतु – **रु0 300.00**

नन्दा देवी योजना 'हमारी कन्या हमारा अभिमान'–

- बी0पी0एल0 परिवार की 02 कन्याओं हेतु संचालित।
- लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता धनराशि – रू0 15000.00
- प्रथम किश्त – रू0 5000.00 (आवेदन पर स्वीकृति पश्चात लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान)।
- शेष रू0 10000.00 की लाभार्थी व माता के नाम 10 वर्ष हेतु संयुक्त एफ0डी0।
- द्वितीय किश्त – रू0 5000.00 का कन्या के 10 वर्ष के आयु पूर्ण होने पर खाते में भुगतान।

- तृतीय किश्त– कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित शेष धनराशि का भुगतान। अन्तिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने व अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

'सबला योजना' –

योजना का आरंभ –भारत सरकार की यह योजना राज्य के 4 जनपद नैनीताल, हरिद्वार, चमोली एवं उत्तरकाशी में यह योजना वर्ष 2009–10 में लागू हुयी थी।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौवन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

'किशोरी शक्ति योजना' –

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौवन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, किशोरियों को समाज की आर्थिक दृष्टि से उपादेय एवं उपयोगी सदस्य बनने के लिये प्रेरित करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना – भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो समस्त जनपदों में 01 जनवरी, 2017 से लागू की गई है, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को पंजीकृत कर समस्त स्वास्थ्य जांच के लाभ प्रदान करना है, ताकि स्वस्थ्य माता एक एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।

नन्दा गौरा योजना – महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर '' नन्दा गौरा योजना '' आरम्भ की गयी है। जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से धनराशि का वितरण किया जायेगा :–

चरण	धनराशि (रू0 में)
प्रथम –जन्म के समय	5000.00
द्वितीय– एक वर्ष पूर्ण होने पर	5000.00
तृतीय–8 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
चतुर्थ– 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
पॉचवीं –12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
छठी–डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण करने पर	10000.00
सतवीं – विवाह के समय	16000.00

अध्याय–19

ग्राम्य विकास

महात्मागॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत प्रत्येक परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रम रोजगार की गारन्टी प्रदान करती है। योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाला शत–प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा कुशल श्रमिकों एवं सामग्री पर होने वाले व्यय में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। मांग आधारित रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2020 से प्रति मानव दिवस मजदूरी दर ₹ 201.00 किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

योजना का उद्देश्य

- पंजीकृत ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
- निर्धनों के आजीविका संसाधनों के आधार को सुदृढ़ करना।
- सामाजिक समावेशन को अतिसक्रियता से सुनिश्चित करना।
- पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

योजना का क्रियान्वयन :

- ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार हेतु इच्छुक परिवारों का पंजीकरण।
- पंजीकृत परिवारों को निःशुल्क जॉब कार्ड का वितरण।
- पंजीकृत श्रमिकों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवेदनकर्ता की मांग पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना।
- 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से।
- परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा।
- भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1 अप्रैल 2020 से ₹ 201 निर्धारित।
- मजदूरी भुगतान खातों के माध्यम से NeFMS (National Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय।

उत्तराखण्ड ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन (USRLM)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोगार योजना (एस0जी0एस0वाई0) के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) एन0आर0एल0एम0 योजना में बदलाव

- विभिन्न कमियों के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माह जून 2011 में एस0जी0एस0वाई0 के मूल्याकंन के आधार पर गुणात्मक सुधार करते हुए एक नई योजना की रूपरेखा तैयार कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम से संचालन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसका परिवर्तित नाम आजीविका भी है एक राष्ट्रव्यापी मिशन तथा ध्वजवाहक कार्यक्रम के रूप में संचालन।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्वपूर्ण घटक

सामाजिक एकजुटता एवं समावेश

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह एवं इनके उच्च स्तरीय संगठनों (VO/CLF) के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ कर उनकी आजीविका को संवहनीय बनाना।
- मिशन से पर्वतीय जिलों में 5 से 20 व मैदानी जिलों में 10से 20 महिलाओं के साथ एक स्वयं सहायता समूह यानी SHG बनाया जाता है. जो अपने क्षेत्रों में नियमित सप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक लेन–देन, ऋण वापसी व दस्तावेजीकरण जैसे पंचसूत्र पर कार्य करता है।
- 5 से 10 समूह से मिलकर ग्राम संगठन तथा 5 से 10 ग्राम संगठन मिलकर क्लस्टर लेवल संगठन बनाते हैं, साथ ही वर्तमान में उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के 95 विकासखण्डों में ये समूह संचालित हो रहे हैं।
- ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कर उन्हें रोजगार एंव स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- सहभागिता से गरीबों की पहचान (PIP)।

संस्थागत तथा कौशल विकास

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण, क्षमता विकास एवं नवीन स्वयं सहायता समूहों का सृजन एवं क्षमता वर्धन कर आजीविका के विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा गया अथवा जोड़ा जा रहा है।
- समूह गठन में पंचसूत्र का नितान्त समावेशन।

वित्तीय समावेशन

- महिला स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों (Federations) को सतत् मार्गदर्शन एंव क्षमतार्वधन करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को वित्तीय साक्षरता यथा–बचत, ऋण, साख तथा बीमा पर परामर्श उपलब्ध कराते हुए पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन करना।
- आर0एफ0 तथा सी0आई0एफ0 समूहों एवं उनके संगठनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता। साथ ही समूहों को बैकों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट के अन्तर्गत 6 लाख तक लोन।

आजीविका प्रोत्साहन

- मौजूदा आजीविका के मुख्य साधनों (कृषि, गैर कृषि एवं स्वरोजगार इत्यादि) का विस्तार तथा संगठन आधारित आजीविका का सृजन करना।
- कौशल एवं उद्यमिता आधारित रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास करना।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता तथा महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन करना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) एन0आर0एल0एम0 योजना चरणबद्ध रूप से राज्य के 13 जनपदों के समस्त 95 विकास खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है।
- एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत सक्रिय महिला/विकलांग महिला समूहों जो समूह पंचसूत्रीय जैसे **(नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित ऋण, नियमित ऋण की वापसी, बुक किपिंग)** आदि समूहों को लिया गया है।
- समूह गठन के 3 से 4 महीने बाद 15 से 20 हजार रुपये का रिवाल्विंग फण्ड समूह के बैंक खाते में मिलता है साथ ही सामुदायिक निवेश फण्ड यानी CIF से 75000 से 1.5 लाख तक कि राशि प्रदान की जाती है।
- महिलाओं के कार्य बोझ को कम करने एवं तकनीकी उपकरणों का उपयोग हेतु 132 फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराये गये हैं।
- यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा एम0एस0एम0ई0 विभाग के साथ महिला समूहों के उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजार उपल्बध कराने हेतु 24 ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना की गयी है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन हेतु 13 जनपदों में यूनिट, 13 सरस सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं, साथ ही 33 नैनो पैकेजिंग प्लांट भी स्थापित किए गए हैं।
- परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान तक प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 5649 एग्री न्यूट्री गार्डन का निर्माण किया जा चुका है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना

- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का संचालन प्रदेश के चार जिलों चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल के क्रमशः जोशीमठ, यमकेश्वर, बेरीनाग एवं बेतालघाट विकासखण्डों में किया जा रहा है।
- परियोजना के अन्तर्गत चयनित जिलों के विकासखण्डों में 5000 महिला किसानों का चयन किया गया है।
- परियोजना अन्तर्गत चयनित 500 महिला किसानों को उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा जैविक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- परियोजना अन्तर्गत प्रशिक्षित 500 महिला किसानों द्वारा शेष महिला किसानों को ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

Startup Village Enterprenurship Programme (SVEP)

- SVEP कार्यक्रम का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य के जनपद उधमसिंह नगर व देहरादून के जसपुर एवं सहसपुर विकासखण्डों में किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विकासखण्डों में विभिन्न आयोपार्जक उद्यमों की स्थापना की जाती है।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित विकासखण्डों में वित्तीय वर्ष 2021–22 में 756 उद्यमों के लक्ष्य के सापेक्ष 770 उद्यमों की स्थापना की जा चुकी है।
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2022–23 से जनपद चमोली एवं पिथौरागढ़ के जोशीमठ एवं धारचूला विकासखण्डों में किया जाना प्रस्तावित है।

▪ **दीन दयाल उपाध्याय** – ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) एन0आर0एल0एम0 के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में एन0आर0एल0एम0 के उपघटक के रूप में संचालित कौशल विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

योजना का उद्देश्य – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित गरीब परिवारों के 15 वर्ष से 45 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक कोर्स में प्रशिक्षण देकर न्यूनतम मजदूरी या इससे अधिक की नियमित मासिक आय वाले स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है जिससे युवाओं का बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके।

प्रशिक्षण अवधि– चयनित कोर्स में प्रशिक्षुओं की अभिरूचि तथा योग्यतानुसार कम से कम 3 माह से लेकर 6 माह, 09 माह तथा अधिकतम 12 माह का आवासीय/गैरआवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे रोजगार के लिए योग्य बन जायें। यह परियोजना प्रशिक्षुओं के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है।

प्रशिक्षण की विशेषताएं :

- परियोजना में प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष की है। यह पाठयक्रम के चयन पर निर्भर करता है।
- प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षुओं को भोजन एवं आवास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- इसके अतिरिक्त उन्हें प्रशिक्षण के दौरान पहने जाने वाले परिधान, पुस्तकें, रजिस्टर, कलम इत्यादि भी प्रशिक्षण केंद्र पर निःशुल्क दिये जाते हैं।
- प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills) आदि का प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।
- उच्च स्तर के प्रशिक्षण के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण सामग्री को एंड्रॉयड टेबलेट में भी उपलब्ध कराया जाता है जिसका उपयोग प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में करते हैं।

▪ **श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अर्बन मिशन–** श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अर्बन मिशन का उदेश्य अनिवार्य रुप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुये गांवो के कलस्टर को "**अर्बन गांवो"** के रूप मे विकसित करना है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

- इस मिशन का उदेश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बनाये रखना, आधारभूत सुविधाओं मे वृद्धि करना और योजनावद्ध तरीके से अर्बन कलस्टरों का सृजन करना है।

- श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अर्बन मिशन के अन्तर्गत राज्य में तीन चरणों में कुल 06 कलस्टर चयनित किये गये हैं।
- प्रथम चरण में चयनित अर्बन मिशन के तहत जनपद हरिद्वार के भगतनपुर–आबिदपुर तथा जनपद देहरादून के अठूरवाला कलस्टर का चयन फेस–1 में किया गया है।
- द्वितीय फेस में जनपद टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी कलस्टर का चयन किया गया है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 52.78 करोड़ की धनराशि की समेकित कलस्टर कार्ययोजना पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। द्वितीय फेस में चयनित जनपद नैनतील के नौकुचियाताल कलस्टर की चयनित ग्राम पंचायत नगर पालिका में आने से समेकित कलस्टर कार्ययोजना तैयार करना सम्भव नहीं था। जिसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा कलस्टर का चयन करते हुए स्वीकृति हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
- तृतीय चरण के दो नये कलस्टरों क्रमशः जनपद उ0सि0नगर के पहेनिया तथा जनपद बागेश्वर के कौसानी कलस्टर की समेकित कलस्टर कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – जनवरी 1996 से इन्दिरा आवास योजना एक स्वतन्त्र योजना बना दी गयी थी. इन्दिरा आवास योजना को 1.4.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

- योजना का उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना।
- बड़े (न्यूनतम 25 वर्ग मीटर) टिकाऊ और आपदारोधी आवास बनाना।
- आवासों में स्वच्छ भोजन तैयार करने के लिये रसोई स्थान तथा शौचालय बनाना।
- आवास निर्माण हेतु बढ़ी हुई वित्तीय सहायता (रू. 75 हजार से बढ़कर रू. 1.30 लाख)।
- प्रति परिवार शौचालय निर्माण के लिए 12000/–रूपये तथा गृह निर्माण के लिये मनरेगा योजना से 95 श्रम दिवस की अतिरिक्त सहायता।
- SECC-2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी का चयन।
- आवास साफ्ट एवं पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान करना।
- योजना के क्रियान्वयन एवं मोनीटरिंग हेतु मोबाईल ऐप की अनिवार्यता. लाभार्थी को स्थानीय रूप से उचित एवं उपयोगी आवास डिजाइन चुनने का विकल्प।
- आवासों की गुणवत्ता सुधार एवं दक्षता हेतु मिस्त्रियों का प्रशिक्षण।
- इच्छुक लाभार्थियों को रू 70.00 हजार तक संस्थागत ऋण का प्रावधान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों को सर्वऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत समस्त असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु योजना की अवधि वर्ष 2022 से वर्ष 2019 किये जाने के आलोक में योजना के अवशेष लक्ष्यों में से 2000 किमी0 लम्बे मार्गों का निर्माण कर 200 बसावटों को संयोजित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- योजनानर्तगत मार्गों के निर्माण हेतु नियोजन चरण में समरेखण में आने वाली निजी भूमि प्रतिकर, निजी सम्पत्ति प्रतिकर, वन भूमि प्रतिकर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं 50 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु आनुपातिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा मार्गों के पूर्ण होने के पश्चात् उनके अनुरक्षण पर होने वाला व्यय भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है।

सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.)—उत्तराखण्ड राज्य में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) वित्तीय वर्ष 2001 से लागू है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के पांच जनपद यथा चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिह नगर तथा पिथौरागढ़ के 9 विकासखण्ड (क्रमशः जोशीमठ, लोहाघाट, चम्पावत, भटवाड़ी, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछीना, मूनाकोट) में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए. डी.पी.) संचालित किया जा रहा है। सीमान्त क्षेत्र में आवासित जनमानस के लिए योजनान्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना सृजन, सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्र, खेलकूद आदि क्षेत्रों में विकासोन्मुख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 है।

बायोगैस कार्यक्रम (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित)— राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम शतप्रतिशत केन्द्रपोषित है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास 5 से 10 तक बडे पशु हों योजना के अर्न्तगत लाभान्वित हेतु पात्र है। राज्य के सभी क्षेत्रों हेतु 1 घनमीटर आकार तक के संयत्रों पर ₹ 10,000/—, 2 से 6 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 13,000/—, 8 से 10 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 18,000/—, 15 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 21,000/—, 20 से 25 घन मीटर तक के संयत्रों पर ₹ 28,000/—प्रति संयंत्र अनुदान देय है तथा टर्न की एजेण्ट को बायोगैस निर्माण व तीन वर्ष तक देखरेख के लिये 01 से 10 घन मीटर प्रति संयत्र ₹ 2500/— एवं 15 से 25 घन मीटर के संयत्रों के लिय प्रति संयत्र ₹ 4500/— देय है।

राज्य पोषित योजना

विधायक निधि —मा0 विधायकों की विधान सभा के अन्तर्गत विकास की मूलभूत आवश्यकतायें, अवस्थापनाओं में क्रिटिकल गैप की प्रतिपूर्ति उनके द्वारा संस्तुत योजनाओं/कार्य की स्वीकृति के पश्चात विभिन्न विकास सम्बंधी कार्य सम्पादित किये जाने हेतु योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा रु0 3.75 करोड़ प्रति माननीय विधायक धनराशि को प्रत्येक वर्ष देय है। बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यो की पूर्ति हेतु संबधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्यों का क्रियान्वयन सरकारी विभाग, पंचायतीराज संस्थायें तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है।

मेरा गांव मेरी सड़क योजना— उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न हैं। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़कों से जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये अन्य लोगों के सम्पर्क में आसानी से आ सकें साथ ही गांव की पैदावार को बाजार उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार कर सकें तथा गांवों से हो रहे पलायन को रोका जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु ''**मेरा गांव मेरी सड़क**'' योजना प्रारम्भ की गयी है।

इन्दिरा अम्मा भोजनालय—समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से शासनादेश संख्या—1135/XI/15/56(38)2015 दिनांक 25.08.2015 से उत्तराखण्ड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गयी है जिसका नाम **''इन्दिरा अम्मा भोजनालय''** है। जनपदों में कैंटीन के सुचारू संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को पर्यवेक्षक/नियत्रक अधिकारी बनाया गया हैं। कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जानी है।

नगर विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा उक्त कैंटीन के संचालन हेतु निःशुल्क स्थान/फर्नीचर आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा क्रमशः बिजली एवं पानी की व्यवस्था निःशुल्क करायी जाती है। कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें प्रति थाली पर्वतीय क्षत्रों रू0 25.00 एवं जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में प्रति थाली दर रू0 20.00 उपभोक्ता से लिया जाता है तथा रू. 10.00 राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप प्रति थाली वहन किया जाता है।

जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर जैसे अधिक जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति दिन अधिकतम 1200 थाली भोजन एवं अन्य जनपदों में प्रतिदिन अधिकतम 800 थाली भोजन दिया जाना है। स्वयं

सहायता समूहों को लाभान्वित का पूर्ण ब्यौरा, जिसमें उनका नाम एवं निवास स्थान अंकित हों, रखना आवश्यक है ताकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अंशदान प्राप्त किये जाने में कोई अनियमितता न हो। कैंटीन के संचालन हेतु ईधन/एल0पी0जी0 गैस की व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से की जाती है। शहरी निकायों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी मिशन (NULM) के अर्न्तगत आने वाले स्वयं सहायता समूह भी इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन हेतु पात्र हैं, इन्हें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान देने की व्यवस्था है।

रूरल विजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना (आर.बी.आई.)– योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित सामुदायिक संगठनों/ सामुदायिक कॉडर/कृषक समूहों/ ग्रामीण परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने तथा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में इन्टरप्राईज स्थापना में तकनीकी एवं ज्ञान आधारित सहयोग, Entrepreneur को वित्तीय समावेशन में सहयोग तथा Entrepreneur के समस्या निदान एवं Scalable Business Model चिन्हित करने, जागरूकता एवं क्षमता विकास, स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, विपणन आदि सहगामी क्रिया कलापों में सहयोग हेतु Hub and Spoke Model पर Rural Business incubator (RBI) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका संचालन नियमानुसार तकनीकी एवं अनुभवी एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा। प्रथम चरण में दो Hub की स्थापना क्रमशः जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)– उत्तरखण्ड राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटे पॉच जनपदों के नौ विकास खण्डों क्रमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, उत्तरकाशी के भटवाड़ी, उधमसिंह नगर के खटीमा, चम्पावत के लोहाघाट तथा चम्पावत एवं जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला, मुनस्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट जो कि सामरिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील एवं महत्वपूर्ण हैं, में पलायन रोकने के उद्देश्य से इन विकास खण्डों में आवासित जनमानस को सामुदायिक विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा समग्र आजीविका विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मूल्य संर्वधन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राज्य के पाँच जनपदों के 9 विकास खण्डों क्रमशः जनपद चमोली के जोशीमठ, उत्तरकाशी के भटवाड़ी, उधमसिंह नगर के खटीमा, चम्पावत के लोहाघाट तथा चम्पावत एवं जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला, मुनस्यारी, कनालीछीना तथा मूनाकोट में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम बी0ए0डी0पी0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 0–10 कि0मी0 (अर्न्तराष्ट्रीय सीमा से सटा प्रथम गांव को 0 कि0मी0 मानते हुए) मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से युक्त करना है, साथ ही वहां आवासित जनमानस को स्वरोजगार हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। विशिष्ट परिस्थितियों में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अधिकतम् 50 कि0मी0 तक के गांव को कुछ महत्वपूर्ण घटकों हेतु आच्छादित किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है, किन्तु सर्वप्रथम 0–10 कि0मी0 तक के गॉव को विकास कार्यों के संतृप्तीकरण उपरान्त ही 0–20, 0–30 तथा 0–50 कि0मी0 को योजना के तहत लिए जाने के प्राविधान है।

इस योजना के तहत इन 9 सीमांत विकास खण्डों के गांवों में कृषि /बागवानी, पशुपालन आधारित सेक्टरों में आजीविका विकास, ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, स्वरोजगार स्थापना सबंधी कौशल विकास, विशेष आजीविका विकास परियोजनायें /नवाचार योजनायें, आजीविका मॉडल गॉवों का विकास आदि घटकों में इस योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग किया जायेगा। समस्त योजनायें सामुदायिक विकास की होंगी कोई भी व्यक्तिगत लाभ की योजनायें अनुमन्य नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना पर राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना– योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेट्स आदि को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से संबंधित स्वरोजगार परक/कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक

कार्ययोजना पर राज्य स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। जनपदों को धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना का मूल उददेश्य, उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना व उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना व उनकी निर्धनता को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना की रणनीति आजीविका संवर्धन हेतु निम्नांकित द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाने की है :

1. अधिकांश परिवारों की खाद्य उत्पादन प्रणाली को विकसित करने हेतु उन्हें सहयोग करना।
2. परियोजना का दूसरा व महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र समुदाय को गैर कृषि गतिविधियों में सहयोग करके उनकी नगद आय अर्जन में वृद्धि करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, कारीगरी व अन्य व्यवसायों आदि के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना व युवाओं के रोजगार अर्जित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।

परियोजना क्षेत्रः

परियोजना वर्ष 2012–13 से वर्ष 2020–21 तक कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं देहरादून जनपदों के चयनित 44 विकासखण्डों में किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों के 44 विकासखण्ड़ों के ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना व उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना व उनकी निर्धनता को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना का लक्ष्य

- परियोजना क्षेत्र के समुदाय को गैर कृषि गतिविधियों में सहयोग करके उनकी नगद आय अर्जन में वृद्धि करना है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, कारीगरी व अन्य व्यवसायों आदि के क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना व युवाओं के रोजगार अर्जित करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।
- उत्पादक समूह व आजीविका संगठनों द्वारा स्थापित उद्यमों में वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण का कार्य करना।
- भूमिहीन अथवा कम कृषि जोत भूमि वाले निर्धन परिवार विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निर्बल उत्पादक समूह में सम्मिलित किया जायेगा।
- बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लिंकेज बनाना।
- परियोजना द्वारा संचालित क्षमता विकास के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना।
- उत्पादों का संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं मूल्य संवर्द्धन करना।
- आजीविका संगठन का सदस्य बन कर गतिविधियों में भागीदारी निभाना।
- फैडरेशन/आजीविका संगठनों द्वारा संग्रहित विपणन।
- राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी व बाजार प्रोत्साहन कार्यक्रम, टेक–होम राशन व मिड–डे–मील योजनाओं के साथ लिंकेज, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय मंडियों व अंतरराष्ट्रीय विपणन कम्पनियों के लिंकेज।
- 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता का संरक्षण, वृद्धि व कृषि का संवर्द्धन कर कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुँच विकसित करना।

अध्याय–20
प्रादेशिक विकास दल

विभाग का संक्षिप्त परिचय– प्रान्तीय रक्षक दल विभाग का गठन दिनांक 20 अक्टूबर 1947 के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। तदुपरान्त वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम–1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका और उद्देश्यों का पुष्टिकरण भी कर दिया गया। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग पुनर्गठित करते हुये एक स्वतन्त्र विभाग के रुप में स्थापित किया गया है। विभाग का मुख्य कार्य जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक युवक एंव महिला मंगल दल का गठन करते हुए उनका सम्बद्धीकरण/पंजीकरण कर उनके माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये ग्रामीण जनों को उससे लाभान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय रक्षक दल में पी0आर0डी0 स्वयं सेवको का चयन कर उनको 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न कार्यालयों, मेला, परीक्षा तथा आपदा, शान्ति सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात करते हुये अल्पकालीन रोजगार उपलबध कराया जाना है।

व्यायामशाला – वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः 13, 01, 06, 01, 03, 04 व्यायामशालाएं है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता – ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के अर्न्तगत प्रत्येक विकास खण्ड स्तर एंव जनपद स्तर पर बालक/बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत जनपद/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में यात्रा भत्ता, भोजन भत्ता व खेलकिट आदि पर व्यय की गयी।

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन – युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति दल रुपये चार हजार की धनराशि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी तथा प्रत्येक विकास खण्ड में रु0 2500 प्रतिमाह मानदेय पर महिला संगठकों की तैनाती की गयी।

विवेकानन्द यूथ एवार्ड – जनपद के सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को पृथक–पृथक रूपये 5000.00 (1 शील्ड), 3000.00 व 2000.00 की धनराशि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरूस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर रू0 1500.00, 1000.00 व 500.00 की धनराशि युवक/महिला मंगल दलों को प्रदान की जाती है।

स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण – के अर्न्तगत जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत एंव खण्ड स्तर पर अवैतनिक रुप से तैनात हल्का सरदार तथा ब्लाक कमाण्डरो को क्रमशः रुपये 300.00 व 600.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया गया।

समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा – स्वयं सेवकों को अल्पकालीन रोजगार उपलब्ध कराते हुये विभिन्न कार्यालयों तथा थाने मे तैनात किया गया। उक्त के अतिरिक्त गैर विभागीय ड्यूटियों में भी स्वयं सेवकों को विभिन्न कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा किया गया।

युवा महोत्सव – जनपद स्तर पर युवक/महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन करते हुये विजयी टीमों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया।

खेल महाकुम्भ – खेल महाकुम्भ योजना के अन्तर्गत अण्डर–14, 17 व 19 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं एवं 19–35 आयुवर्ग की महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अध्याय–21

दुग्ध विकास

दुग्ध समितियों के स्तर पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु मदवार निर्धारित मानकों का विवरण (वर्ष 2020–21)

(ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण)

जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रति समिति प्रस्तावित वित्तीय सहायता के मानक की मार्ग–निर्देशिका का अनुलग्नक :–

1. नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता :–

क्र0सं0	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	धनराशि(₹ में)
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन एवं मिल्क एनालाइजर	3000	1000	500	4,500
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैंसी	5,000	–	–	5,000
3.	दुग्ध कैन	7,000	–	–	7,000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7,200	6,000	4,800	18,000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाएं	2,000	–		2,000
6.	कार्यशील पूंजी	5,000	5,000	–	10,000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7,500	–	–	7,500
कुल योगः–		**36700**	**12,000**	**5,300**	**54,000**

2–तकनीकी निवेश कार्यक्रमः–

(2.1) पशु आषैधि– ₹ 150 प्रति पशु ।

(2.2) डिवार्मिंग – ₹ 40 प्रति।

(2.3) टीकाकरणः ₹ 20 प्रति।

(2.4) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)– ₹ 45 प्रति तीन कि0ग्रा0

(2.5) मिनरल मिक्सचर– ₹ 30 प्रति कि0ग्रा0

(2.6) आपातकालीन पशुचिकित्सा एव ं पर्यवेक्षण इकाई–(अधिकतम 02 यूनिट)

(i) पशु चिकित्सक हेतु–

(क.) मानदेय (समस्त भत्तों सहित) ₹ 25 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– ₹ 3.00 लाख।

(ख.) इन्सेन्टिव ₹ 50 प्रति केस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– ₹ 0.48 लाख।

(ii) वाहन–

(क.) पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी0 / दिन / 20दिन / 12माह @ ₹ 9 / किमी0– ₹ 2.16 लाख।

(ख.) जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु 100 किमी0 / दिन / 10दिन / 12माह @₹ 9 / किमी0– ₹ 1.08 लाख।

योगः– प्रति इकाई– ₹ 6.72 लाख।

(2.7) विविध व्ययः–(अधिकतम 01 यूनिट) ₹ 30,000 / प्रतिवर्ष।

(2.8) संतुलित पशु आहार अनुदान–

(क) मैदानी क्षेत्र ₹ 2.00प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र ₹ .4.00प्रति किग्रा0

(2.9) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक–

(क) मैदानी क्षेत्र ₹ 1.00 प्रति किग्रा0

(ख) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 3.00 प्रति किग्रा0

(2.10) पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध सहकारी समितियों के
दुग्ध उत्पादकों को साईलेज अनुदान ₹ 4.00 प्रति किग्रा0

(2.11) हैडलोड अनुदान–

(1) मैदानी क्षेत्र 25 पैसा/लीटर/कि0मी0

(2) पर्वतीय क्षेत्र 75 पैसा/लीटर/कि0मी0

3–दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास–

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र ₹ 4.65 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 5.15 लाख।

(3.2) भूसा गोदाम निर्माण–

(1) मैदानी क्षेत्र ₹ 5.15 लाख।

(2) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 5.65 लाख।

(3.3) डी.पी.एम.सी.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालाइजर स्थापना– ₹ 90,000/ प्रति।

(3.4) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन– ₹ 3,000/ प्रति मशीन।

(3.5) इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन– ₹ 5,000/ प्रति मशीन।

(3.6) मैनुअल चैप कटर– ₹ 6,000/ प्रति नग।

(3.7) इलेक्ट्रिकल चैप कटर (मोटर सहित) ₹ 10,000/ प्रति नग।

4– प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम–

(4.1) समिति भवन वॉल पेंटिंग– ₹ 10,000/प्रति समिति।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन–

क्र0सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता (₹ में)
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1500.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	₹ 2,000/– प्रतिगोष्ठी ₹ 400/– प्रति किट। ₹ 2200/–प्रति दुग्ध मार्ग।	

(4.3) पशु चिकित्सा एवं पशु प्रदर्शनी कैम्प– ₹ 5,000 प्रति कैम्प।

5–स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायताः–

क्र0सं0	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01बछड़ा हेतु 60 वर्ग फुट)	₹ 12,000/– प्रति पशुशाला
5.2	**पशु नांद एवं पशु चरी व्यवस्था–** पशु नांद– पशु चरी व्यवस्था–	 ₹ 4,000/– प्रति। ₹ 2,500/– प्रति।

6– उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम – 7000/– प्रति कैम्प

7– 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की स्थापना हेतु अनुदान–

6.1 03 दुधारू पशुओं की स्थापना हेतु अनुदान रू0 61.625

6.2 05 दुधारू पशुओं की स्थापना हेतु अनुदान रू0 1.01813

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण।

1. पशु औषधि एवं डिवार्मिंग –पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशुचिकित्सा, पशु कृमि नाशकों की औषधियों की जानकारी एवं उपलब्धता न होने के कारण दुग्ध उत्पादक सदस्यों के पशुओं का दुग्ध उत्पादन

गिर जाता है, जिससे प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है और दुग्ध उत्पादन दुग्ध व्यवसाय को अलाभप्रद मानकर इससे विमुख होने लगता है। पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध समिति सदस्यों के पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्राम स्तर पर पशु औषधि एवं डिवार्मिंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ 3667, अल्मोड़ा 5334, चम्पावत 1600, बागेश्वर 200 एवं ऊधमसिंहनगर 9867 कुल 20688 पशु औषधि हेतु 150 प्रति पशु की दर से वितरित किया गया एवं डिवार्मिंग हेतु 40 की दर से क्रमशः 2350, 7500, 10000, 13258, 2500, 8750 कुल 44358 वितरित किया गया।

2. **आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई –** समिति सदस्यों को आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा हेतु आपातकालीन पशुचिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु रू0 6.36 लाख प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

3. **संतुलित पशु आहार अनुदान –** दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशु आहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, कि वे अपने पशुओं को आवश्यकतानुसार संतुलित पश ुआहार खिलायें। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर एवं ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 29.08, 16.14, 26.09, 26.02, 3.0, 16.0 कुल रू0 90.31 लाख का व्यय किया गया।

4. **हैडलोड अनुदान –** पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन अत्यधिक कम है तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुए व सड़क से दूर स्थित हैं। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दुग्ध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुंचाने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाएं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं हैं कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी स्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। अतः हैडलोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 75 पैसा प्रति ली0 प्रति किमी0 की दर से वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर एवं ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 0, 46.0, 39.50, 40.0, 2.50, 0 कुल रू0 128 लाख व्यय किया गया।

5. **मिनरल मिक्सचर –** जनपद में दुधारू पशुओं में कम दुग्ध उत्पादन तथा बांझपन एक गम्भीर समस्या है। इसके निराकरण हेतु दुधारू पशुओं को पर्याप्त मात्रा में मिनरल की आवश्यकता होती है। इसे दृष्टिगत् रखते हुए दुग्ध उत्पादकों को मिनिरल मिक्सचर के प्रस्तावित मूल्य में से प्रति किलोग्राम ₹ 30.00 अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

6. **कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक अनुदान–** जनपद में चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को दुग्ध विकास योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हें रियायती दर पर/अनुदान में कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है।

7. **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम :–**दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रणों की जानकारी, उनकी जांच तथा होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं को उक्त जानकारियां उपलब्ध करायी जा रही है। इन कैम्पों के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता के साथ–साथ उसमें हो रहे अपमिश्रण की जानकारी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा रही है।

8. **दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास–**दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास के अन्तर्गत डी.पी0एम. सी.यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना किया जा रहा है। डी0पी0एम0सी0यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना से दुग्ध गुणवत्ता में सुधार के साथ दुग्ध समिति के कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार हुआ है।

राज्य सेक्टर योजना :–

2.1. <u>डेरी विकास योजना</u> :–

➢ **यातायात योजना** :–इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढुलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातयात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

➢ **सचिव मानदेय** :– इसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों के सचिवों को ₹ 0.50 प्रति ली0 की दर से मानदेय के रूप में आर्थिक सहायता प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक दुग्ध समिति के दुग्ध संघ को ''कि0ग्रा0'' में प्राप्त हो रहे दुग्ध मात्रा को ''ली0'' में गणना कर सचिव मानदेय की राशि का भुगतान किया जाता है।

➢ **प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– प्रदेश में गठित दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों, प्रबंध कमेटी सदस्यों तथा विभागीय व संस्थाओं के कर्मचारियों को डेरी विकास के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के संबंध में आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेरी विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों, यथा–जालन्धर, पंजाब, आणन्द, गुजरात तथा विभिन्न डेरी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। इसके अन्तर्गत डेरी के तकनीकी/गैर तकनीकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों के कौशल में अभिवृद्धि किया जाता है।

➢ **प्लान्ट मशीनरीज एवं सिविल कार्य** :–इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों तथा पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सिविल कार्य एवं प्लान्ट मशीनरीज स्थापना मद में दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से अवस्थापना विकास के अन्तर्गत संघ स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों तथा मशीनरीज क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

➢ **सैन्ट्रल डेरी लैब** :– डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन सेन्ट्रल डेरी लैब, लालकुआं, जनपद–नैनीताल, जिसमें दुग्ध उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता का तरल दूध एवं दुग्ध उत्पाद की उपलब्धता के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के विभिन्न दुग्ध संघों में प्रसंस्करित किये जा रहे तरल दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जाता है। डेरी विकास योजनान्तर्गत दुग्धशाला हेतु उपकरणों एवं आवश्यक रसायनों तथा अन्य विविध कार्यों हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

➢ योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 420.00 लाख बजट प्रावधन के सापेक्ष ₹ 386.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.2 <u>महिला डेरी विकास योजना</u> :–

➢ प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु आय–व्यय जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण तथा स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उत्तराखण्ड में दुग्ध उपार्जन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद–नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 4, 2, 2, 2, 2, 2 कुल 14 समितियों का गठन किया गया, जिनसे प्रतिमाह औसतन क्रमशः 446 ली0, 36 ली0, 28 ली0, 60 ली0, 18 ली0, 85 ली0 कुल 673 ली0 औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन किया गया।

➢ राज्य सेक्टर में डेरी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 454.53 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 420.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.3. <u>सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना</u> :–

➢ योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्य अंतिम चरण में है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 40.00 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

2.4. <u>दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण</u> :–

- योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 50.00 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

2.5. दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना :–

- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जाती है।
- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 2700.00 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 2600.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.6. <u>गंगा गाय महिला डेरी योजना</u> :–

➢ गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 600.00 लाख को बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हई। योजनान्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशुबीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

➢ **योजना की प्रति यूनिट लागत निम्नवत् है –** **(धनराशि ₹ में)**

क्र0 सं0	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान
1.	क्रास ब्रीड गाय	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	1	2800	1400	0	1400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1920	960	0	960
4.	पशु नांद/चरी क्रय हेतु अनुदान	1	2000	2000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु चारे दाने की व्यवस्था	1	5280	2640	0	2640
	योग–	**1**	**52000**	**27000**	**20000**	**5000**

2.7 दुग्ध संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना–

➢ प्रदेश में घाटे में चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में 32 कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 200.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

2.8 पशुचारा परिवहन अनुदान योजना –

➢ दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं को आवश्यकतानुसार पशुचारा यथा संतुलित पशुआहार वैक्यूम पैक्ड साईलेज उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाते हुए साईलेज एवं संतुलित पशुआहार की दरें परिवहन व्यय बढ़ने के कारण अधिक हो जाती है। दूरस्थ क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को भी उक्त अव्यय निर्माण स्थल की दरों पर उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 650.00 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 139.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

2.9 साईलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना–

इस योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों में उनके दुधारू पशुओं के उपयोग हेतु गुणवत्ता युक्त हरे चारे एवं मिनरल मिक्चर के उपयोग के चलन की कमी एवं प्रोबाईटिक्स जो कि दुधारू पशुओ में माइक्रोन्यूटेशन की कमी को दूर करता है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से

साईलेज एवं दुघारू पशु पोषण योजना तैयार की गयी। योजनान्तर्गत उक्त अवयव उनके मूल्य के 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 300.00 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष रू0 230.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई।

कुमाऊँ मण्डल डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियाँ एक दृष्टि में :–

- मिल्क फोर्टीफिकेशन के अन्तर्गत तरल दुग्ध विटामिन ए और डी मिलाया जाता है। इससे दूध की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
- 05 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।
- 05 दुग्धशालाऐं, जिनकी दैनिक क्षमता 1,85,00 लीटर प्रतिदिन।
- 42 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.30 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 100 मै0 टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में स्थापित।
- 88 दुग्ध मार्गों पर 2322 दुग्ध सहकारी समितियां गठित एवं कुल 1750 कार्यरत, जिसमें 94622 सदस्यों तथा 43938 पोरर दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी।
- माह मार्च, 2021 में औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 197768 कि0ग्रा0
- माह मार्च, 2021 में कुल 748 मै0 टन आँचल पशुआहार की बिक्री।

6. माह दिसम्बर, 2020 तक की उपलब्धिः–

कार्यरत समितियां–	1750
सदस्यता–	94622
दैनिक दुग्ध उपार्जन (किग्रा0)–	197768 कि0ग्रा0
दैनिक दुग्ध विक्रय	13107
पशु आहार विक्रय (मै0टन)–	748 मै0टन
प्राथमिक पशु चिकित्सा संख्या/डिवार्मिंग–	20688/44358

7. स्वाट (swot)विश्लेषणः–

(i) ताकत (strength)

- सहकारी संस्था होने के कारण समय–समय पर शासकीय संरक्षण एवं सहायता।
- पर्यटक स्थल होने के कारण दूध की बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है।
- पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय हेतु विभिन्न श्रोतों से व्यापक निवेश हो रहा है।
- सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक जनसहयोग है।

(ii) कमजोरियॉ (weakness)

- सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप व्यवसाय में बाधक।
- त्वरित निर्णय प्रक्रिया का अभाव।
- अत्यधिक कच्चा व्यवसाय होने के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहना।
- पुरानी मशीनरी एवं छोटा संयंत्र।
- कार्मिकों का मूल्यांकन योग्यता एवं उपयोगिता पर आधारित न होकर वरीयता के आधार पर किया जाना।

(iii) सम्भावनॉ (opportunities):–

- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपयोग के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ रही है।
- व्यवसाय का विविधीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्वि तथा कृषि जोतें छोटी होने से स्वरोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भरता बढ़ रही है।

(iv) भय (threat):–

- ईंधन में (कोयला,तेल बिजली) तथा पैकिंग मैटेरियल की दरों में उत्तरोत्तर वृद्वि।
- उपभोक्ताओं में फैट (घी) उपयोग कम करने की ओर रूझान का बढ़ना।
- विश्व व्यापार और वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियां तथा नये कराधानों का बोझ।
- शहरों का तेजी से गांव की तरफ बढ़ने से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कमी होना।
- औद्योगीकरण का तीव्र विकास डेरी व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकता है।

अध्याय – 22
मत्स्य विकास

मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है। वर्तमान में ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियां कामन मिरर, सिल्वर एवं ग्रास कार्प पाली जा रही हैं। प्रमुख जल संसाधन के अर्न्तगत कोसी, रामगंगा, विनोद, गगास ,सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियां हैं। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण अभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्ध जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वृहद् जलाशय क्रमशः नानकसागर, बैगुल, धौरा, तुमरिया, उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा मत्स्य पालन की संभावना वाले इन तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा राजस्व विभाग से जनपद के मत्स्य पालकों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन "नीली क्रान्ति" को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुआयामी प्रयास किये जा रहे हैं। प्राकृतिक जलसम्पदा के रूप में नैनीताल, खुर्पाताल, साततताल, भीमताल एवं नौकुचियाताल प्रमुख झीलें हैं। नदियों के रूप में गौला, कोसी, प्रमुख नदियां हैं।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां वर्ष भर जलस्रोतों की उपलब्धता रहती है।

मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विशिष्ट स्थान है, जहां सागरों, नदियों, झीलों, जलाशयों तथा प्राकृतिक तालाबों के साथ–साथ मानव निर्मित तालाबों के रूप में अन्तः स्थलीय जल संसाधन उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के आर्थिकी का स्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत आर्थिक लाभ अर्जन के साथ–साथ क्षेत्र वासियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक सुपाच्य आहार उपलब्ध कराने का साधन हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों के अनुरूप जनपद में शीत जल मत्स्य प्रजातियों कामन कार्य, मिरर कार्य, सिल्वर कार्य व ग्रास कार्य आदि का पालन किया जा रहा है। जनपद के अन्तर्गत प्राकृतिक जल संसाधन सरयू, गोमती व पिण्डर नदी, गरूड़ गंगा, लाहुर नदी एवं विभिन्न गधेरे हैं।

कृषकों को निजी भूमि में ऐसे स्थान जहां नदियों गधेरों नहरों व प्राकृतिक स्रोतों द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो। छोटे–छोटे तालाब निर्माण/सुधार कर मत्स्य पालन कार्य–व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। तकनीकी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।

जलाशय विकास योजना

➢ **मत्स्य संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जनचेतना एवं गोष्ठी** – पर्वतीय क्षेत्र मे उपलब्ध जलस्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु जन चेतना व गोष्ठियों का आयोजन कर प्रति गोष्ठी रू 10,000/ की दर से व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के अर्न्तगत 53 गोष्ठियों का आयोजन कर रू. 5.30 लाख .की राशि व्यय की गयी।

➢ **मत्स्य बीज संचयः–** मत्स्य बीज संचय हेतु विभिन्न स्रोतों जैसे प्रदेश में स्थित मत्स्य प्रक्षेत्रों/नदियों आदि से मत्स्य बीज संग्रहित कर जनपद के भीतर ही दूसरे ऐसे स्थानों पर जहां पर मत्स्य सम्पदा का निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा मछलियों की कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के अर्न्तगत नदियों में 25.77 लाख मत्स्य बीज जनपद ऊधम सिंह नगर हेमपुर हैचरी, काशीपुर से ला कर संचित किया गया है।

➢ **मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना**– इस योजना के अर्न्तगत पुराने तालाबों का सुधार कर उन्हें रेयरिंग यूनिट के रुप में विकसित करना है। 100 वर्ग मी0 के तालाब के सुधार हेतु कुल मानक धनराशि रू0 40000 के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0 20000 अनुदान देय होगा। वर्ष 2020–21 में प्रत्येक जनपद में प्रति यूनिट रू0 20000 की दर से 13 यूनिट मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना में तालाबों का सुधार किया गया है।

➢ **मत्स्य पालक सशक्तिकरण योजना** – मात्स्यिकी एवं मत्स्य पालन में लगे व्यक्तियों हेतु निवेश सामग्री उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निवेश/इनपुट सामग्री के

क्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा परन्तु जलक्षेत्र/तालाब का क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर या 2000 वर्ग मी0 से अधिक होना चाहिये।

➢ **समन्वित मत्स्य पालन योजना** – समन्वित मत्स्य पालन में मछली पालन के साथ–साथ अन्य पद्धति को समन्वित किया जाता हैं। योजनान्तर्गत पूर्व से निर्मित 0.20 है0 क्षेत्रफल के तालाब पर बतख पालन हेतु बाडा निर्माण एवं बन्धों पर पेड लगाये जाने एवं प्रथम वर्षीय निवेश पर होने वाले व्यय धनराशि रु0 0.91 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रु0 0.455 लाख का अनुदान देय होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। विभागीय योजनाओं के माध्यम से जिन लाभार्थियों द्वारा पूर्व में 0.20 है0 से अधिक क्षेत्रफल के तालाब निर्मित कराये गये हैं, उन मत्स्य पालकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।

➢ **मत्स्य बीज वितरणः–** वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के अर्न्तगत 184.334 लाख मत्स्य बीज मत्स्य पालकों के तालाबों में संचय हेतु उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/अभिकरण की हैचरी से लाकर वितरित किया गया।

राज्य सैक्टर अन्तर्गत योजना (तालाब निर्माण)– पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के 100 वर्ग मी0 तालाब निर्माण हेतु 1,20,000.00 लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है जिस पर तालाब निर्माण हेतु अनुदान 60000.00 एवं निवेश हेतु अनुदान रू 12000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 72000.00 देय है। निवेश के रूप में मत्स्य आहार एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के तालाब निर्माण हेतु 1.0 है0 तालाब निर्माण हेतु कुल लागत रू0 7.00 लाख व्यय किया जायेगा। तालाब निर्माण कार्य के अर्न्तगत लाभार्थी द्वारा तालाब निर्माण के साथ– साथ स्लूयिस गेट निर्माण, फीड स्टोरेज हेतु सेड निर्माण कार्य सम्मिलित है। तालाब निर्माण की कुल लागत 7.00 लाख पर 60 प्रतिशत का अनुदान रू 4.20 लाख देय है, एवं 1.00 है0 क्षेत्रफल कुल लागत 1.50 लाख का व्यय किया जायेगा निवेश के रूप में मत्स्य आहार एवं मत्स्य बीज सम्मिलित हैं। निवेश की कुल लागत 1.50 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू 0.90 लाख अनुदान देय होगा। योजना अर्न्तगत 0.05 है0 क्षेत्रफल से 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब निर्माण कार्य किये जायेगे।

राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन विविधीकरण योजना अनुसूचित जाति /अनु0 जनजातियों के व्यक्तियों के लिए है। मैदानी क्षेत्रों में विगत 05 वर्ष पुराने तालाब जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है। जिस पर 1.00 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत 3.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 2.10 लाख अनुदान देय है। मैदानी तालाब सुधार निवेश हेतु 1.00 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत पर 1.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.90 लाख देय है। निवेश अन्तर्गत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयॉ आदि कार्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 3.00 लाख अनुदान देय है। योजना अन्तर्गत 0.05 है0 क्षेत्रफल से 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब का सुधार कार्य किये जायेंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे तालाब जो विगत 05 वर्ष पुराने जो मरम्मत योग्य दशा में हैं, का सुधार कार्य किया जायेगा। सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित हैं। जिस पर 0.01 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत 0.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.30 लाख अनुदान देय है। **पर्वतीय क्षेत्रों** के तालाब सुधार निवेश हेतु 0.01 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत 0.20 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.12 लाख देय है। निवेश अन्तर्गत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयां, मत्स्य बीज यातायात आदि कार्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 0.42 लाख अनुदान देय है।

5.समन्वित मत्स्य पालन नयी योजना– इस अर्न्तगत **पर्वतीय क्षेत्रों** में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्गमीटर क्षे.का सेड निर्माण, 20 फलदार पेड़, दवाइयां, आहार, 50 बतख के चूजे सम्मिलित हैं एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत 1.39 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू 0.83 लाख देय होगा।

मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्गमीटर क्षे. का सेड निर्माण एक यूनिट, 50 फलदार पेड़, दवाइयां, आहार, 300 बतख के चूजे सम्मिलित हैं। प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत 6.60 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू 3.96 लाख देय होगा।

उत्पाद प्रसंस्करण हेतु मोबाइल फिश शॉप की स्थापना – इसके दृष्टिगत जन सामान्य को मछलियों से तैयार विभिन्न प्रकार के व्यंजन को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु मोबाईल स्टाल (मोटर युक्त वाहन) की व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत खाद्य व्यंजन तैयार किये जाने हेतु समस्त सामग्रियां जैसे– कुकिंग गैस, चौपर, रेफ्रीजेशन, इन्सुलेटेट बाक्स आदि सम्मिलित होंगे। मोबाईल फिश आउटलेट की स्थापना हेतु लागत रू0 2.50 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान रू0 1.50 लाख अनुदान देय है।

पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत 50 वर्ग मी0 तालाब निर्माण एंव निवेश पर कुल धनराशि रू0 50,000.00 तालाब निर्माण पर व्यय किया जाता है, जिस पर निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान रू0 20,000.00 अनुदान देय है एवं निवेश पर अनुदान धनराशि रू 5000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 25000.00 देय है। निवेश के सापेक्ष मत्स्य पालक को मत्स्य आहार, मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श तालाब निर्माण योजना – अन्तर्गत 200 वर्ग मी0 तालाब निर्माण एंव निवेश पर कुल धनराशि रू0 3,00,000.00 का व्यय किया जाता है, जिस पर निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान रू0 1,35,000. 00 अनुदान एवं निवेश हेतु अनुदान रू 15000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 150000.00 देय है। निवेश धनराशि के सापेक्ष मत्स्य पालक को मत्स्य आहार, मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना – इस योजनान्तर्गत मत्स्य आहार 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)– रनिंग फिश कल्चर हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 100 वर्ग मी0 के तालाब निर्माण हेतु रू0 1,00,000.00 के सापेक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 60 प्रतिशत एंव सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

मिशन फिंगरलिग योजना अन्तर्गत–मैदानी क्षेत्रों रियरिंग यूनिट का तालाब निर्माण किया जाता है, जिस पर भारत सरकार के मानकानुसार 01 है0 तालाब की कुल तालाब निर्माण हेतु लागत रू 600000.00 एवं निवेश हेतु रू 150000.00 कुल धनराशि रू 750000.00 का व्यय होता है। जिस पर सामान्य जाति के व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत एवं अनु0 जाति के व्यक्तियों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, 8.60 है0 रियरिंग यूनिट का तालाब निर्माण किया गया है।

ट्राउट रेसवेज निर्माण–इस योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों के समुद्रतल से 4000 फीट वाले जनपदों को ट्राउट रेसवेज निर्माण हेतु 50 क्यूबिक मी0 आयतन के पक्के फार्मिग यूनिट का निर्माण लागत रू0 2,00,000.00 के सापेक्ष 40 प्रतिशत रू0 80000.00 सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु अनुदान धनराशि देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू 1.20 लाख अनु0जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार प्रथम वर्षीय निवेश पर धनराशि 2.50 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु रू0 1.00 लाख देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू 1.50 लाख अनु0जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार निर्माण एवं निवेश की कुल धनराशि रू0 4.50 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान रू 2.00 लाख देय है एवं अनु0जाति एवं जनजाति के लिए कुल अनुदान रू0 2.50 लाख देय है। वर्ष 2020–21 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, 54 रेसवेज का निर्माण हुआ है।

अध्याय – 23

बैंकिंग सेवा

बैंकिंग सेवा के अर्न्तगत वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 539, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 138 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 196 कार्यरत हैं। वर्ष 2020–21 में व्यावसायिक बैंकों की जमा धनराशि 4929611 लाख रूपया है। बैंकों द्वारा वर्ष 2020–21 में 2751388 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2020–21 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 55.81 रहा है। वर्ष 2020–21 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 419914.85 लाख रूपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 362418.97 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया है।

वर्ष 2020–21 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
(क) बैंक शाखाओं की संख्या									
1	राष्ट्रीयकृत बैंक	संख्या	83	139	53	202	28	34	539
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	29	37	30	20	14	8	138
3	अन्य निजी व्यावसायिक बैंक	संख्या	18	66	7	77	6	22	196
4	जिला सहकारी बैंक	संख्या	1	1	1	1	0	0	4
5	सहकारी बैंक की शाखायें	संख्या	21	32	19	32	9	8	121
(ख) व्यावसायिक बैंको में ऋण जमा अनुपात									
1	जमा	लाख रू0	653057	1773512	484192	1567400	200885	250565	4929611
2	वितरित ऋण	लाख रू0	143421	751026	157412	1574000	52069	73460	2751388
3	ऋण–जमा अनुपात	प्रतिशत	21.96	42.35	32.51	100.42	25.92	29.32	55.81
4	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण	लाख रू0	41881	326430.29	37704	647205.53	14254	11913.30	1079388.12
i	कृषि तथा तत्सम्बन्धी सेवायें	लाख रू0	12265	60552.36	14871	317395.47	5287	9544.02	419914.85
ii	लघु उद्योग एवं अन्य	लाख रू0	16824	151722.93	2502	184582.77	5683	1104.27	362418.97
5	दुर्बल वर्ग को अग्रिम	लाख रू0	12792	114155	20331	145227.29	3284	1265.01	297054.30

अध्याय – 24

समाज कल्याण

1:–अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू0 3629.38 लाख की धनराशि व्यय कर 133479 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2:–पिछडी जाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में रू0 1402.46 लाख की धनराशि व्यय कर 17348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3:– दिव्यांग छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के पाल्यों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में रू0 0.85 लाख की धनराशि व्यय कर 112 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4:– आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो (EBC) **हेतु छात्रवृत्ति –** दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) के छात्र एवं छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में विभिन्न कोर्सो हेतु निर्धारित छात्रवृत्ति की दरों के समान ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (सामान्य जाति) के छात्र–छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2020–21 में रू0 159.49 लाख की धनराशि व्यय कर 1742 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

5:–विधवा पेंशन :– योजनान्तर्गत 18 से अधिक वर्ष की आयु की विधवा महिला जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 तक हो को रू0 1200 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में रू0 11335.15 लाख की धनराशि व्यय कर 81689 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

6:–वृद्धावस्था पेंशन :– योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 तक हो को रू0 1200 प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 29185.83 लाख की धनराशि व्यय कर 197822 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया।

7:–दिव्यांग भरण पोषण अनुदान :– योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है, अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 तक हो, को रू0 1200 प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में रू0 4543.30 लाख की धनराशि व्यय कर 30269 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

8:–तीलू रौतेली पेंशन – ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के कृषि कार्य करने में 20 से 40 प्रतिशत दिव्यांगता होने के फलस्वरूप रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 67.62 लाख की धनराशि व्यय कर 795 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

9:–बौना समाज को पेंशन – प्रदेश में 21 वर्ष से अधिक उम्र एवं 4 फुट से कम ऊँचाई के व्यक्तियों को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 4.99 लाख की धनराशि व्यय कर 43 बौने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

10:–जन्म से दिव्यांग बच्चों को भत्ता – योजनान्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण–पोषण हेतु भी रू0 700 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भत्ता दिये जाने का प्राविधान है। योजना हेतु बजट आवंटन दिव्यांग पेंशन के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 217.09 लाख की धनराशि व्यय कर 2953 दिव्यांग बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

11:–दिव्यांग दम्पत्ति को विवाह प्रोत्साहन :– योजनान्तर्गत सामान्य द्वारा दिव्यांग महिला/पुरूष से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000 का प्रोत्साहन दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 7.25 लाख व्यय कर 29 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

12:–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र का क्रय हेतु अनुदानः– इस योजनान्तर्गत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग हो को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र का क्रय किये जाने हेतु रू 3500.00 आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू 15.90 लाख की धनराशि व्यय कर 309 दिव्यांगो को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया।

13–परित्यक्ता पेंशन – योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड में निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाएं जो बी0पी0एल0 हों अथवा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 15,976 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21,206 से अधिक न हो, को लाभान्वित किया जाता है। परित्यक्ता विवाहित महिला, निराश्रित अविवाहित महिलाओं को रू0 1200 प्रतिमाह की दर से तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी को रू0 1,400 प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 454.77 लाख की धनराशि व्यय कर 3419 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

14. किसान पेंशन – 60 वर्ष से ऊपर के स्वंय की भूमि पर खेती करने वाले किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि में कृषि कार्य करते हैं, तथा उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहे हैं, को रू0 1000 प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 1229.48 लाख की धनराशि व्यय कर 10200 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

15:–अनुसूचित जाति की पुत्रियों हेतु शादी अनुदान :– अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रू0 15,000 तक है। अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिये रू0 50,000 आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 में रू0 499.50 लाख व्यय कर 999 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

16:–निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु अनुदान – इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु रू0 50,000 की धनराशि अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 137.50 लाख की धनराशि व्यय कर 275 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

17:–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक हो, की मृत्यु होने पर, शोक संतृप्त परिवार को रू0 20,000 एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 88.20 लाख की धनराशि व्यय कर 441 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

18:–अटल आवास योजना :– अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी रू0 32,000 वार्षिक आय है तथा आवासहीन है, को रू0 38,500 की आर्थिक सहायता आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु दी जाती है। वर्ष 2020–21 में रू. 3.85 लाख रू0 व्यय कर 10 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

19:–अनाथ एवं अकिंचनों का दाह–दफन संस्कार :– अनाथ एवं अकिंचन मृतकों के दाह संस्कार एवं दफन हेतु देय अनुदान की दर रू0 2500 से बढ़ाकर रू0 3500 कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 1.96 लाख की धनराशि व्यय कर 56 अनाथ एवं अकिंचनों का दाह–दफन संस्कार हेतु धनराशि व्यय की गई है।

20:–अनुसूचित जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :– अनु0जाति के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु जनपद नैनीताल के पाइन्स में हिन्दी आशुलिपि, कटिंग टेलरिंग, विद्युत फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड एवं मालधनचौड़ रामनगर में कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फिटर, इलैक्ट्रिशियन ट्रेड तथा जनपद बागेश्वर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर, इलैक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 70.42 लाख की धनराशि व्यय कर 298 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

21:–राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह :– जनपद बागेश्वर में एक राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह की स्थापना की गई है। जहां निराश्रित वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की सुविधा उपलब्ध है। जिसकी स्वीकृत क्षमता 50 है। वर्तमान में 11 वृद्ध निवास करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू. 9.18 लाख की धनराशि व्यय कर 11 निराश्रित वृद्धों को लाभान्वित किया गया।

22:–अनुसूचित जाति छात्रावास :– जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास संचालन किया जा रहा है। जहां अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 20.06 लाख की धनराशि व्यय कर 266 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

23:–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय – प्रदेश में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार, जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तथा अत्यन्त निर्धन हैं, के बच्चो को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र एवं भोजन आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। कुमाऊँ मण्डल के रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) एवं बेतालघाट (नैनीताल) में आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। उपरोक्त विद्यालयों में रूद्रपुर, (ऊधम सिंह नगर) में कक्षा 1 से 5 तक तथा बेतालघाट (नैनीताल) हाई स्कूल, स्तर तक के हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भोजन व्यवस्था हेतु प्रति छात्र प्रति दिन रू. 69 की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, शासनादेश संख्या 94/XVII-A-1/2020-19(01)2019 दिनांक 20 फरवरी 2020 से भोजन दर रू. 150 प्रति छात्र प्रतिदिन कर दी गई है। विद्यार्थियों के वस्त्र, दवाईयों आदि की भी निःशुल्क सुविधा पृथक से उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 25.08 लाख की धनराशि व्यय कर 194 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउडेन्शन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

अध्याय – 25

अक्षय ऊर्जा

सोलर स्ट्रीट लाइट–इस योजना के अन्तर्गत रात्रि में पथ प्रकाश हेतु ग्रामों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण बाजार आदि में सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत यह सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी जाती है। वर्तमान में इस संयंत्र पर अनुदान देय नही है तथा पाँच वर्षीय रख–रखाव सहित संयत्र का मूल्य लगभग रूपये 14000 मात्र है। जिला योजना, विधायक निधि, सांसद निधि तथा अन्य स्रोतों से संयत्र मूल्य की पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने पर यह संयंत्र निर्देशित स्थलों पर स्थापित कराये जाते हैं। यह स्वचालित संयत्र है जो कि अन्धेरा प्रारम्भ होते ही स्वतः ऑन हो जाता है तथा सूर्योदय होते ही ऑफ हो जाता है। वर्ष 2020–21 में जिला–योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा 825, नैनीताल 404, पिथौरागढ़ 716, बागेश्वर 658, चम्पावत 300, उधमसिंह नगर 435, इस प्रकार **कुल 3338 संख्या** सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य कराया गया है।

पारिवारिक बायोगैस – पारिवारिक बायोगैस से जनित गैस पारंपरिक एल0पी0जी0 गैस का उत्तम विकल्प है। इसके उपयोग से जीवाश्म ईधनों पर दबाव तो कम होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त संयन्त्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में मिलती है जो कि खेतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इस योजना में 2–4 घन मी0 के संयन्त्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा रू0 13000.00 प्रति संयन्त्र अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत मैदानी जनपद नैनीताल 45, उधमसिंहनगर 20 इस प्रकार **कुल 65 संख्या** लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सोलर पावर प्लाण्ट (ऑफ ग्रिड) – इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी /संस्थान अपने भवन में विद्युत की सुचारू निरन्तर व्यवस्था हेतु अपनी आवश्यकतानुसार क्षमता अनुरूप ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करवा सकता है यह प्लाण्ट से दिन में धूप द्वारा उत्पादित विद्युत को प्लाण्ट के साथ जोडे गये बैट्री बैंक में दिन के समय एकत्र कर लिया जाता है यथा आवश्यकता अनुसार / ग्रिड की उपलब्धता न होने पर यह संयंत्र के द्वारा विद्युत उपकरणों का संचालन कर उपयोग में लाया जाता है। योजना पर वर्तमान में कोई अनुदान देय नहीं है जिसकी स्थापना हेतु लगभग 15 वर्ग मीटर प्रति किलोवाट छाया रहित स्थल की आवश्यकता होती है तथा प्लाण्ट की स्थापना पर लगभग रू0 1,10,000.00 प्रति किलोवाट की दर से व्यय आता है। वर्ष 2020–21 में विभिन्न स्रोतों से उरेडा के जनपदीय कार्यालयों को धनराशि की उपलब्धतानुसार मण्डल के जनपद नैनीताल 6, अल्मोड़ा 7, चम्पावत़ 2, बागेश्वऱ 3, पिथौरागढ़ 5 इस प्रकार **कुल 23 संख्या** सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना करायी गयी है।

सोलर पावर प्लांट ग्रिड कनेक्टेड – इस योजना के अन्तर्गत 100 किलोवाट से 5000 किलोवाट तक क्षमता के सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना राज्य के अन्तर्गत इच्छुक विकासकर्ताओं से समय–समय पर कराये जाने हेतु ऑन लाइन आवेदन मांगे जाते हैं। प्लाण्ट की व्यवसायिक दृष्टि से स्थापना कर विकासकर्ता द्वारा उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 की ग्रिड में प्रवाहित कर निर्धारित दर अनुरूप नियमित 25 वर्षों तक धनोपार्जन कर सकता है ।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना :– राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" संचालित की जा रही है। प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों एवं कृषकों को रोजगार/व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बेरोज़गार निवासियों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किये जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 को नियत दर पर विक्रय करने से आय के साधन विकसित कराने हेतु प्रोत्साहित करना है। जिस हेतु संस्थान द्वारा जनपदवार ऑन लाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं।

पिरूल (चीड़ की पत्तियां) एवं अन्य प्रकार के ईधनों से विद्युत उत्पादनः– उत्तराखण्ड राज्य में पिरूल से हो रहे वनहानि को रोकने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पिरूल के उपयोग से विद्युत उत्पादन बिक्रेट बनाने तथा बायो ऑयल आधारित औद्योगिक इकाइयां लगाये जाने के लिये उत्पादन नीति–2018 तैयार की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य में जैव ईधन से प्रतिवर्ष लगभग 150 मेगावाट से अधिक विद्युत के उत्पादन की संभावना है। ऊर्जा उत्पादन के इस अप्रयुक्त स्रोत के दोहन से 250 किलोवाट की क्षमता तक की विद्युत उत्पादन इकाईयां तथा 2000 मैट्रिक टन की बिक्रेटिंग एवं बायोऑयल इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इन इकाइयों के स्थापित होने से न केवल स्थानीय ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति बल्कि इनसे रोजगार एवं राजस्व सृजन में सहायता मिल सकेगी। इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम 10 कि0वा0 से अधिकतम 250 किलोवाट की पिरूल आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना एवं 2000 मैट्रिक टन क्षमता तक बिक्रेटिंग एवं बायो ऑयल इकाइयां लगाई जा सकेगी। इस नीति का क्रियान्वयन वन विभाग एवं उरेडा द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत जनपदों के सापेक्ष प्राप्त हो रहे आवेदनों से जनपद अल्मोड़ा में 2, नैनीताल 02, पिथौरागढ़ 1, इस प्रकार कुल 5 संख्या पिरूल परियोजनाओं की स्थापना कराई जा चुकी है अन्य आवेदकों द्वारा कार्यवाही प्रगति पर है।